क्रम संख्या–63 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 अप्रैल, 2016 ई0

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 128/XXXVI(3)/2016/20(1)/2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016'** पर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016)

भाग –एक

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

धाराएँ

1 संक्षित नाम विस्तार और प्रारम्भ

2 परिभाषाएं

भाग–दो

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत

अध्याय–दो

ग्राम सभा की स्थापना और संगठन तथा ग्राम पंचायत की स्थापना एवं संरचना(संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

3 ग्राम सभा संघठन सदस्यता कृत्य तथा बैठकें आदि

4 ग्राम पंचायत संघठन एवं परिसीमन

5. ग्राम पंचायत का संघठन तथा पुनर्संघटन

6. जनसंख्या में परिवर्तन एवं पंचायत क्षेत्र के किसी भी स्तर की नगर पंचायत में सम्मिलित हो जाने का प्रभाव

7. पंचायतो के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना

8 ग्राप पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

9. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

अध्याय–तीन

ग्राम पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

10. ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान

11. ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, पिछडे वर्गो, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था

12. ग्राम पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल

13. निर्वाचन की पद्वति

14. ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

अध्याय–चार

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

15. ग्राम पंचायत की स्थिति में पद त्याग

16. ग्राम पंचायत के प्रधान पद की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

17. प्रधान के पद की अस्थाई रिक्ति की दशा में प्रबन्ध

18. प्रधान, उपप्रधान के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

19. ग्राम पंचायत द्वारा चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

20. ग्राम पंचायत का बाह्य नियंत्रण

अध्याय–पांच

ग्राम पंचायत की बैठकें तथा कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

21. ग्राम पंचायत की बैठकें

22. ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य

23. ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य

24. सार्वजनिक सडकों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों का अधिकार

25. ग्राम पंचायत द्वारा सफाई के सुधार

26. विद्यालयों, चिकित्सालयों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के अधिकार

27. ग्राम पंचायतों द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिशें

28. ग्राम पंचायत द्वारा योजना तैयार करना

29. उपविधियाँ बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत के अधिकार

30. ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, समस्त अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक होंगे

31. ग्राम पंचायत द्वारा अधिकारों का सम्पादन

32. ग्राम पंचायत के प्रधान के कर्तव्य एवं अधिकार

33. ग्राम पंचायत का कार्यालय

34. ग्राम पंचायत के प्रधान उपप्रधान को अपने अधिकार सौंपना

35. ग्राम पंचायत की समितियाँ

अध्याय–छः

ग्राम पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

36. ग्राम पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी/सचिव

37. ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य

38. ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका के बीच विवाद

39. ग्राम पंचायत में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

अध्याय–सात

ग्राम पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

40. ग्राम निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना

41. भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना

42. भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य

43. ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति

44. ग्राम पंचायत का बजट तैयार और पारित करना

45. ग्राम पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा

अध्याय–आठ

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

46. ग्राम पंचायत के कर एवं आय के अन्य स्रोत

47. ऋण लेने का अधिकार

48. करों में ग्राम पंचायत का अंश

49. ग्राम पंचायत को देय धनराशियों की वसूली

भाग–तीन

क्षेत्र पंचायत

अध्याय–नौ

क्षेत्र पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

50. क्षेत्र पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन

51. क्षेत्र पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन

52. क्षेत्र पंचायत को स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना

53. क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता

54. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

अध्याय–दस

क्षेत्र पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

55. क्षेत्र पंचायत का प्रमुख एवं उप प्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख तथा सदस्य का निर्वाचन

56. क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था

57. क्षेत्र पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल

58. निर्वाचन की पद्धति

59. क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

अध्याय–ग्यारह

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

60. क्षेत्र पंचायत के पदाधिकारियों के पद त्याग

61. क्षेत्र पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

62. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख की अनुपस्थिति में व्यवस्था

63. प्रमुख, उप प्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख तथा कनिष्ठ उपप्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव एवं बैठकों की गणपूर्ति

64. क्षेत्र पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

65. क्षेत्र पंचायतों का बाह्य नियंत्रण

अध्याय—बारह

क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

66. क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार तथा प्रशासन
67. क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य
68. क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना
69. क्षेत्र पंचायत के समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे
70. क्षेत्र पंचायत द्वारा अधिकारों का सम्पादन
71. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के कर्तव्य एवं अधिकार
72. क्षेत्र पंचायत का कार्यालय
73. पंचायतों के प्रमुख द्वारा ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधायन
74. क्षेत्र पंचायत में समितियां

अध्याय—तेरह

क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

75. क्षेत्र पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी
76. क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य
77. क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण
78. क्षेत्र पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद
79. क्षेत्र पंचायत में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

अध्याय—चौदह

क्षेत्र पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

80. क्षेत्र निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना
81. क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पति
82. क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार और पारित करना
83. क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा

अध्याय—पन्द्रह

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

84. क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण
85. क्षेत्र पंचायत को देय धनराशियों की वसूली

भाग—चार

जिला पंचायत

अध्याय—सोलह

जिला पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

86. जिला पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन

87. जिलों में परिवर्तन का प्रभाव
88. जिला पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन
89. पंचायतों के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना
90. जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता
91. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

अध्याय–सत्तरह

जिला पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

92. जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का निर्वाचन
93. जिला पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था
94. जिला पंचायतों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल
95. निर्वाचन की पद्धति
96. जिला पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

अध्याय–अठारह

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

97. जिला पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का पद त्याग
98. जिला पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति
99. जिला पंचायत के अध्यक्ष की व्यवस्था
100. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव
101. जिला पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार
102. पंचायत के विघटन का परिणाम

अध्याय–उन्नीस

जिला पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

103. जिला पंचायत की बैठकें
104. जिला पंचायतों के अधिकार, कृत्य व कर्त्तव्य
105. जिला पंचायत द्वारा योजना तैयार करना
106. उपविधियाँ बनाये जाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत के अधिकार
107. जिला पंचायत के समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे
108. जिला पंचायतों द्वारा अधिकारों का प्रयोग और सम्पादन
109. जिला पंचायत के अध्यक्ष के कर्तव्य एंव अधिकार
110. जिला पंचायतों के कार्यालय
111. पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधायन
112. जिला पंचायतों में समितियाँ

अध्याय–बीस

जिला पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

113. जिला पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी
114. जिला पंचायत के कर्मचारियों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग
115. जिला पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य
116. जिला पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण
117. जिला पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद
118. जिला पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

अध्याय–इक्कीस

जिला पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

119. जिला निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना
120. जिला पंचायत में निहित सम्पत्ति
121. जिला पंचायत द्वारा बजट तैयार और पारित करना
122. जिला पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा

अध्याय–बाईस

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

123. कर, जो जिला पंचायत द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं
124. राज्य सरकार का जिला पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार
125. जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प

भाग–पांच

अध्याय–तेईस

नियम, विनियम तथा उपविधियाँ

126. राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार
127. कार्य–संचालन आदि के लिए विनियम बनाने का अधिकार
128. पंचायतों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति

भाग–छः

अध्याय–चौबीस

प्रकीर्ण उपबंध

129. प्रकीर्ण उपबंध

अध्याय–पच्चीस

प्रकीर्ण

130. त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं परिसीमन संख्या का अनुपात
131. निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध

132. निर्वाचन सम्बन्धी विषयों में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध
133. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निरीक्षण आदि हेतु नियत प्राधिकारी
134. पंचायतों के सन्दर्भ में राज्य सरकार के अन्य अधिकार और कर्तव्य
135. विहित प्राधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण
136. नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार
137. आपात स्थिति के समय राज्य सरकार के पंचायतों के प्रति असाधारण अधिकार
138. त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किया जाना
139. राज्य सरकार का पंचायतों को विघटित करने का अधिकार
140. अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन
141. कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति
142. पंचायतों में समानान्तर संस्थाओं के गठन का निषेध
143. पंचायतों का अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा ऐसी संस्थाओं के जिनका वह प्रबन्ध नहीं करती हो, सहायता करने का अधिकार
144. पंचायतों के कार्यों का संचालन और अधिकारों का प्रयोग
145. समितियों के अधिकार व कृत्य
146. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना
147. इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करने की शास्ति
148. अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति
149. नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन
150. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की सम्पत्ति की अन्तःक्षेपित करने की शास्ति
151. जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा
152. अपीलें
153. कतिपय मामलों में अभियोजन का निलंबन
154. अपराध का शमन करने की शक्ति
155. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उनके अधिकारियों और सेवकों के विरूद्ध सिविल वाद
156. कार्यवाहियों की वैधता
157. पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ तथा कर्तव्य
158. वित्त आयोग एवं पंचायतों की निधि
159. भूमि प्रबन्धक समिति का कार्य
160. सदस्य तथा अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व नही अर्जित करेंगे
161. संयुक्त समिति
162. संपत्ति को संक्रमित करने का अधिकार
163. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा संविदाएँ
164. विभव तथा सम्पत्ति पर कर का आरोपण जारी रहना

165. विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्तें और निबन्धन
166. विभव तथा सम्पत्ति कर की ग्राम पंचायतों के माध्यम से वसूली
167. कर रोपण के लिए प्रस्तावों का तैयार किया जाना
168. प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया
169. जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प
170. राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार
171. दायित्व बतलाने का आधार
172. कर के सम्बन्ध में अपील
173. कालावधि तथा अध्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना
174. व्यय
175. कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक
176. व्यावृत्तियां
177. निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम
178. करों में ग्राम पंचायतों का अंश
179. शुल्क और पथ कर—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की संपत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिए शुल्क
180. करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली
181. ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया
182. वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार
183. भूमि के किराए की वसूली
184. अन्य अचल सम्पत्ति के लिए लगान या किराये की वसूली
185. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन
186. वृत्त—पुस्तिकाओं तथा कर—निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा
187. पंचायतों के अभिलेखों की सिद्धि की रीति
188. पंचायतों के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाये जाने पर निबन्धन
189. सदस्यों द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्यों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण
190. देय धनराशियाँ
191. न्याय पंचायत की स्थापना
192. मानदेय और भत्ते
193. अधिभार
194. निरसन

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016)

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से सम्बन्धित विषयों के समेकन तथा उसके आनुषंगिक विषयों को उपबन्धित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

भाग—एक

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2016 है।

(2) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 अथवा छावनी परिषद् अधिनियम, 1924 या तत्सम्बन्धित अधिनियमों के अधीन कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाये, के सिवाय सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह अधिनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(1) **"वयस्क"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(2) **"ग्राम सभा"** से किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3(क) के अधीन स्थापित कोई निकाय अभिप्रेत है;

(3) **"ग्राम्य क्षेत्र"** से जिले में सभी स्तर के नगर निकाय क्षेत्रों तथा छावनी क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों में ग्राम के रूप में अभिलिखित हो अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित ग्राम भी सम्मिलित है;

(4) **"ग्राम पंचायत"** से धारा 4(1) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(5) **"क्षेत्र पंचायत"** से इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत तथा उसके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कृत्य व कर्तव्य का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत या अपेक्षित समिति भी सम्मिलित है;

(6) **"खण्ड"** से कोई विकास खण्ड अभिप्रेत है;

(7) **"गृह"** के अन्तर्गत कोई दुकान, गोदाम, छादक (शेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिए प्रयुक्त कोई बाड़ा अभिप्रेत है;

(8) **"जिला पंचायत"** से इस अधिनियम के अधीन निगमित जिला पंचायत अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिला पंचायत की कोई समिति तथा उसके जिला पंचायत का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक सम्मिलित है, जिसके द्वारा जिला पंचायत के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कृत्यों का सम्पादन करना प्राधिकृत या अपेक्षित हो, भी सम्मिलित है;

(9) **"पिछडे वर्गों"** से उत्तराखण्ड में अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट व्यवस्था अभिप्रेत है;

(10) **"अनुसूचित जातियों"** से ऐसी जाति अभिप्रेत है, जो "संविधान" के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियां समझी जायं;

(11) **"अनुसूचित जनजातियों"** से ऐसी जाति अभिप्रेत है तो "संविधान" के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियों के रूप में विहित की जायं;

(12) **"अनुसूचित बैंक"** से "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में" प्रयुक्त शब्द "अनुसूचित बैंक" अभिप्रेत है;

(13) **"नगर क्षेत्र"** से नगरपालिका अधिनियम के अधीन उसकी दी गयी परिभाषा अभिप्रेत है। इसमें नगर क्षेत्र में नगर निकायों के सभी स्तर की निकायों के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र सम्मिलित होंगे;

(14) **"छावनी"** तथा **"छावनी बोर्ड"** के वही अर्थ होंगे, जो छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन इन शब्दों के लिए दिए गए है;

(15) **"भूमि प्रबन्धक समिति"** से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्धक समिति अभिप्रेत है;

(16) **"पंचायत"** से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन तीनों स्तरों के लिए गठित "पंचायतें" अभिप्रेत है;

(17) **"पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों"** से ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र पंचायतों के सन्दर्भ में किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला पंचायत के सन्दर्भ में, किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) "सम्बन्धित पंचायत यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सन्दर्भ में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष" से क्रमशः इन संस्थाओं के प्रधान या उप प्रधान, प्रमुख या उप प्रमुख तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(19) **"पंचायत कर्मचारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में नियोजित व उसकी सेवा में हो, भले ही वह वेतन राज्य सरकार के कोष से पाता हो;

(20) **"कलेक्टर"** जिला मजिस्ट्रेट व सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का किसी पंचायत के सम्बन्ध में यथास्थिति, उस जिले या परगना अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी पंचायत संगठित की गई हो, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से और शब्द कलेक्टर में एडिशनल कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट में एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट में एडीशनल मजिस्ट्रेट भी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य या अधिकार प्रतिनिहित किया हो;

(21) **"जिला मजिस्ट्रेट "** से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 के अधीन नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(22) **"जिला स्तर के अधिकारी"** से जिले का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करें;

(23) **"राज्य निर्वाचन आयोग"** से संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(24) **"निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी"** से किसी ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(25) **"सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(26) **"वित्त आयोग"** से संविधान के अनुच्छेद 243–झ के अधीन संगठित वित्त आयोग अभिप्रेत है;

(27) **"राज्य निर्वाचन आयुक्त"** से राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, इस रूप में पदाभिहित या नाम–निर्दिष्ट किया गया हो।

(28) **"न्यायाधीश"** से ऐसा जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा नामांकित या कोई अन्य जिला दीवानी न्यायाधिकारी भी है;

(29) **"मण्डल"**, **'जिला"** या **"तहसील"** के वही अर्थ होंगे, जो भू–राजस्व अधिनियम,1901 में क्रमशः "मण्डल" जिला तथा "तहसील" के लिए दिए गए अभिप्रेत है;

(30) **"मण्डलायुक्त"** से भू राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन उस मण्डल के अधीन उस मण्डल के लिए नियुक्त मण्डलायुक्त अभिप्रेत है, जिसके भीतर यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करती हो तथा उक्त अधिनियम के अधीन उस मण्डल के लिए नियुक्त अपर आयुक्त भी इसके अन्तर्गत है;

(31) **"जनसंख्या"** से ऐसे अन्तिम पूववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई ग्रामीण जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गये हों;

(32) **"त्रैमास"** से तीन माह की वह अवधि अभिप्रेत है, जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में से किसी माह के प्रथम तारीख से प्रारम्भ हों;

(33) **"नियत"** से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम द्वारा नियत अभिप्रेत है;

(34) **"नियत प्राधिकारी"** से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिए नियत प्राधिकारी के रूप में राजपत्र से विज्ञापित किया गया हो;

(35) **"नियम"** से इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(36) **"उपविधि"** से इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बनायी गयी उपविधि अभिप्रेत है;

(37) **"विनियम"** से इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(38) **"राज्य"** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(39) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(40) **"विधान सभा की निर्वाचन नामावली"** से राज्य विधान सभा की किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन तैयार की गयी हो;

(41) **"सरकार"** से केन्द्रीय सरकार या भारतीय संघ के किसी राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(42) **"सार्वजनिक सड़क"** से ऐसे मार्ग, सड़क, गली, चौक, सहन तंग गली या रास्ते अभिप्रेत है, जिससे होकर जनता को आने-जाने का अधिकार हो और इसके अन्तर्गत दोनों तरफ की गन्दे पानी की नालियां या मोरियां और उनमें मिली हुई सम्पत्ति की नियत सीमा तक की कोई भूमि है, भले ही किसी बरामदे या दूसरी ऊपर की इमारत का छज्जा ऐसी भूमि के ऊपर हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी सड़क, पुल, गली, चौक, सहन तंग गली या रास्ता सम्मिलित नहीं है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय अधिकारी के स्वामित्व में हो, उसके द्वारा संधारित किया जाता हो अथवा उसके द्वारा उसकी मरम्मत की जाती हो।

(43) **"जन सेवक"** से भारतीय दण्ड सहिंता, 1860 (अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 21 में दी गयी परिभाषा के अनुसार जनसेवक अभिप्रेत है;

(44) **"स्थानीय प्राधिकारी"** के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(45) **"सार्वजनिक सम्पत्ति यथा सार्वजनिक भूमि"** से ऐसा सार्वजनिक भवन, बाग, बगीचा अथवा अन्य स्थान अभिप्रेत है, जहां तत्समय जनता चाहे कोई भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से की जा सकती है अथवा वहां की अनुमति प्राप्त हो;

(46) **"सरकार की सेवा में व्यक्ति"** से अभिप्राय जिला सरकारी अभिभाषक (काउंसिल) अपर सहायक जिला सरकारी अभिभाषक या कोई अन्य अभिभाषक, जिसे सरकार ने नियुक्त किया है परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, राज्य सरकार में सरकारी अभिभाषक पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा में निवृत्त हो गया हो, से नहीं है;

(47) **जिला नियोजन समिति** से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य, छ के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(48) **"परिवार"** से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियो के समूह अभिप्रेत है, जिसमें पति-पत्नि, पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता, भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहते हो तथा एक ही चूल्हे में बना भोजन करते हो।

भाग-दो
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत
अध्याय – दो
ग्राम सभा की स्थापना और संगठन तथा ग्राम पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

ग्राम सभा संगठन सदस्यता कृत्य तथा बैंठकें आदि

3. **(क) ग्राम सभा–** राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिये या ग्रामों के समूह के लिये ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थापित करेगी;

परन्तु यह कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाय, वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव का नाम ग्राम सभा के नाम के रुप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) ग्राम सभा की सदस्यता– प्रत्येक ग्रामसभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह वयस्क व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, ग्राम सभा का सदस्य होगा (प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा।)

(ग) ग्राम सभा स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का दूर किया जाना--यदि किसी ग्राम सभा के स्थापित करने या ग्राम सभा का संचालन करने मे, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वासन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बन्ध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध मे, जिसके लिए इस अधिनियम मे व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय मे अन्तिम और निश्चायक होगा।

(घ) ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य--(1) प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष त्रैमासिक आधार पर कुल चार सामान्य बैठक होगी। इस सामान्य बैठक की अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी ;

परन्तु यह कि प्रधान किसी समय स्वयं, विहित अधिकारी के लिखित निर्देश पर अथवा सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम 1/5 सदस्यों की मांग पर, ऐसी मांग के तारीख से तीस दिन के भीतर असाधारण सामान्य बैठक आहूत कर सकेगा,

परन्तु यह और कि यदि यथापूर्वोक्त बैठक आहूत मे प्रधान द्वारा चूक की जाती है तो विहित प्राधिकारी उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसी बैठक आहूत कर सकेगा।

(2) ग्राम सभा की बैठकें केवल सार्वजनिक/सरकारी भवनों अथवा ग्राम पंचायत के किसी खुले स्थान पर ही आयोजित की जायेगी।

स्पष्टीकरण-- प्रधान/उप प्रधान के घर आहूत बैठक की कार्यवाही अवैध मानी जायेगी।

(ङ) ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए गणपूर्ति-- ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

स्पष्टीकरण-- स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या के 1/10 अथवा कुल परिवारों की संख्या के 1/4 परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति। परिवार की संख्या का निर्धारण परिवार रजिस्टर के आधार पर किया जायेगा।

(च) ग्राम सभा के कृत्य/शक्तियां-- (1) ग्राम सभा निम्नलिखित विषयो पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को अपनी सिफारिश और सुझाव दे सकेगी--

(एक) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो:

(दो) पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट:

(तीन) ग्राम में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि:

(चार) ग्राम के भीतर प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम :

(पांच) ऐसे अन्य सभी जनहित विषय मामले जैसे नियत किये जाएं:

(2) ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् विचार करेगी।

(छ) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन भी करेगी, अर्थात--

(क) सामुदायिक (कल्याण) कार्यकमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना,

(ख) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन मे सहायता पहुँचाना,

(ग) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना।

ग्राम पंचायत संगठन एवं परिसीमन

4. **1–ग्राम पंचायत** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम, या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यथासाध्य 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 1000 में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विर्निदिष्ट किया जाए, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगी;

परन्तु यह कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 2000 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 10000 या इससे अधिक नही होगी, किन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व पर गठित ग्राम पंचायतें, जब तक आवश्यक न हो, यथावत् बनी रहेंगी;

परन्तु यह और कि राजस्व ग्राम को "पंचायत क्षेत्र" की घोषणा के प्रयोजनार्थ विभाजित नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार आदेश द्वारा परिहार्य अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में उक्त प्रतिबन्ध शिथिल कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समयः

(क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करने या उससे निकालकर, परिष्कार कर सकेगी।

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, या

(ग) यह घोषणा कर सकेगी कि कोई क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

(घ) ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जायेगा जो नियत किया जाय और तद्परान्त ग्राम पंचायत को सम्यक् रूप से संघटित समझा जायेगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत के गठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान सहित न्यूनतम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जाये।

(3) ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त नही किया जाय, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा।

(4) प्रधान ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होगा।

(5) ग्राम पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जायेगा।

2–पंचायत क्षेत्र का परिसीमन– (1) पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे रीति से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(2) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ऐसे पंचायत क्षेत्र ज्ञात नाम से ग्राम पंचायत जो कि निगमित निकाय होगी, गठित की जाएगी।

(3) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या–

(1) 1000 तक हो, 7 सदस्य,

(2) 1001 से 2000 तक हो, 9 सदस्य,

(3) 2001 से 3000 तक हो, 11 सदस्य,

(4) 3001 से 5000 तक हो, 13 सदस्य, और

(5) 5001 से अधिक हो, में 15 सदस्य होंगे।

3– ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में महिला सदस्य को सभापति के रूप में ऐसे नियुक्त किया जायेगा जैसा नियमों में विहित किया जाय।

ग्राम पंचायत का गठन तथा पुनर्गठन

5. राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में ग्राम पंचायत के वर्तमान क्षेत्र यदि कोई हों तो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो, उनके गठन या पुनर्गठन का प्रबन्ध करेगी।

जनसंख्या में परिवर्तन अथवा पंचायत क्षेत्र के किसी भी स्तर की नगर पंचायत में सम्मिलित हो जाने का प्रभाव

6. यदि किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया जाए तो वह ग्राम पंचायत नहीं रह जायेगी और उसकी परिसम्पत्ति तथा दायित्व नियत रीति से निस्तारित किये जाएंगी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग सम्मिलित कर लिया जाए, तो उतना भाग उसकी अधिकारिकता से कम हो जाएगा और स्वतः ऐसा भाग क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की अधिकारिता क्षेत्र में नही रहेगा।

ग्राम पंचायत के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना

7. यदि किसी ग्राम पंचायत के स्थापित करने या संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बंध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध मे, जिसके लिए इस अधिनियम मे व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय मे अन्तिम और निश्चायक होगा।

ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

8. (1) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप–प्रधान, सदस्य नियुक्त होने के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह होगा, यदि –

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह घोषित किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो वह इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष की आयु से न्यून है,

(ख) वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य है।

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित होगें।

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है।

(ड.) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत के अधीन कोई पद

धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा है।

(च) किसी नगर निकाय का सदस्य है।

(छ) वह अनुन्मोचित दिवालिया है।

(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।

(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया है।

(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(ण) उसे इस अधिनियम की धारा 138 के अधीन पद से हटा दिया गया है, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत नही हो गई है;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर उपधारा (5) के अधीन अनर्हता नही रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उपधाराओं के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी महिला प्रधान, उप प्रधान, एवं सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता– इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो ग्राम पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

(3) शौचालय न होने पर अर्नहता– (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम

न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नही है, वे पंचायत चुनाव के उम्मदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना:– (क) यदि किसी सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाये तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ऐसे पंचायत का सदस्य नही रह जायेगा;

(ख) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खण्ड (क) अधीन ग्राम पंचायत का सदस्य नही रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नही रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय– यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी है या नहीं तो ऐसे प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है तो ऐसे व्यक्ति का नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से, जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया हो, तत्काल फिर से रख दिया जाएगा,

(6) अभिलेख आदि देने में चूक करने की अनर्हता एवं दण्ड– (क) प्रत्येक कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्यकाल पूर्ण करने पर पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति को तत्काल अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में चूक करेगा तो यह कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा एतदर्थ जारी किए गए प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व की बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(ग) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पद पर रहा हो, उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के फलस्वरूप वह किसी आगामी पंचायत निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(7) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध– कोई व्यक्ति न तो ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार हो सकेगा, और न ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक पद धारण कर सकेगा।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

9. (1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन एक ऐसी निर्वाचक नामावली तैयार की जायेगी जैसा नियमों में विहित किया जाये।

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसरण में निर्वाचक नामावलियो के तैयार किए जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन करेगा;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत, के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम तारीख के पश्चात् एवं उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन उस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में तैयार की गई समझी जायेगी और वह ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

अध्याय–तीन
ग्राम पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान

10. ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उप प्रधान होगा जो क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। प्रधान और उपप्रधान का निर्वाचन आदि ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाये।

ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था

11. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथासम्भव वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के (चौदह) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नही हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर ऐसी जनसंख्या ज्ञात की जा सकेगी;

परन्तु यह और भी कि कुल आरक्षित स्थानों में से आधे से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित होगें।

(2) उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अध्यधीन किसी ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए।

स्पष्टीकरण– इस धारा में उपबन्धित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

ग्राम पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल

12. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत यदि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपनी प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न की उससे अधिक, बनी रहेगी।

(2) किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबंधों के

अधीन अन्यथा समाप्त नही कर दिया जाए तो सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत के प्रधान, उप प्रधान का कार्यकाल सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा।

निर्वाचन की पद्धति

13. किसी ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्य के पद के लिए निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली अथवा ई.वी.एम. द्वारा होगा;

परन्तु यह कि पंचायतों को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने के लिये निवारित नहीं करेगी।

ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

14. (1) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य स्तर पर गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद हेतु संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगें।

(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर सकेगी।

अध्याय–चार

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

ग्राम पंचायत की स्थिति में पद त्याग

15. (1) किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बोधित स्वःहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगें;

परन्तु यह कि स्वःहस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिन के भीतर यदि त्याग पत्र स्वीकृत न हो तो तद्पश्चात् त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत समझा जायेगा और त्याग पत्र देने वाले पदाधिकारी पन्द्रह दिन के पश्चात् अपने पद पर नही रह जायेगा तथा ऐसा पद ऐसी तारीख से स्वतः रिक्त समझा जायेगा।

ग्राम पंचायत के प्रधान पद की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

16. यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने अथवा पद की शपथ लेने से इनकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाये तो यथासम्भव उस पद की पूर्ति उसके शेष कार्यकाल के लिए, ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाये;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्तियां होने के तारीख को यदि पंचायतों का कार्यकाल छः माह से कम हो तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

प्रधान के पद की अस्थाई रिक्ति की दशा में प्रबन्ध

17. जब प्रधान अनुपस्थित हो, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो और उप प्रधान का पद रिक्त हो या जब उप प्रधान, प्रधान के पद की रिक्त के दौरान इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है भी अपने कृत्यों में असमर्थ हो तब जिस तारीख को अनुपस्थित प्रधान अथवा उप प्रधान जब तक अपने कर्तव्यों को पुनः सम्भालें उस तारीख तक इस अधिनियम में विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

प्रधान, उप प्रधान के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

18. (1) प्रधान-- तत्समय ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम पांच सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) **उप प्रधान में अविश्वास का प्रस्ताव--** प्रस्ताव के अभिप्राय का लिखित नोटिस विहित अधिकारी को सम्बोधित होगा। ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से आधे सदस्यो द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा नोटिस व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) **ग्राम पंचायत के प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही--** प्रधान, उप प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस का सरसरी तौर से परीक्षण करने के उपरान्त अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक विशेष बैठक आहूत करेगा और ऐसी बैठक हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद से अन्यून अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति भी करेगा। अविश्वास प्रस्ताव हेतु आहूत गयी यह विशेष बैठक पंचायत भवन अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में ही की जायेगी।

(4) ऐसी विशेष बैठक के लिए पन्द्रह दिन पूर्व का नोटिस और समस्त प्रक्रिया प्रस्तुतीकरण के तीस दिन के भीतर पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(5) ऐसी विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित समझे जायेंगे। गणपूर्ति के अभाव में अथवा प्रस्ताव पारित न होने की दशा में सम्बंधित प्रधान के विरूद्ध एक वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

(6) उप प्रधान के विरूद्ध ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जायेगा।

परन्तु यह कि प्रधान एवं उप प्रधान के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के एक वर्ष की अवधि के भीतर अथवा उनकी पदावधि के अवसान से पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर नही लाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के द्वारा चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

19. (1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, सरकार को यह प्रतीत हो कि ग्राम पंचायत या उसकी संयुक्त समिति या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकेगी।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाए तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उसका सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने का व्यय यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी जैसा निश्चित करे, ग्राम पंचायत द्वारा चुकाया जाए।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाए तो निदेशक, पंचायतीराज द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें ग्राम निधि की अभिरक्षा रखने वाले प्राधिकारी के लिए उस निधि में से उक्त व्यय का भुगतान का निर्देश हो।

ग्राम पंचायत का बाह्य नियंत्रण

20. ग्राम पंचायत के लिए नियत प्राधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होगा, नियत प्राधिकारी से सम्बन्धित अधिकार, कर्तव्य, कृत्य बाह्य नियंत्रण आदि ऐसे होगें जैसा राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर विहित किया जायें।

अध्याय–पांच

ग्राम पंचायतों की बैठकें तथा कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

ग्राम पंचायत की बैठकें

21. (1) कार्य संचालनार्थ ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में न्यूनतम एक बार होगी किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।

(2) ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए स्थान, तारीख, समय ऐसा होगा जैसा विहित किया जाये।

स्पष्टीकरण– प्रधान/उप प्रधान के घर आहूत बैठक की कार्यवाही अवैध मानी जायेगी।

(3) **गणपूर्ति**– ग्राम पंचायत की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी, जिसमें प्रधान और उप प्रधान भी सम्मिलित होंगे। स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति एक तिहाई ही होगी, किन्तु दूसरी बार भी बैठक की गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अगली बैठक हेतु गणपूर्ति 1/5 होगी।

(4) ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रक्रिया आदि ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

(5) ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने के अधिकार ऐसे होगें जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

(6) इस अधिनियम में कोई बात न तो किसी भी को, किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकर देगी, जो यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, परन्तु यह कि ग्राम पंचायत –

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय,, निर्धन–गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण–गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकती है, और

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य

22. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों अथवा अतिरिक्त कृत्यों को ग्राम पंचायत को सौंप सकेगी–

(एक) पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाना और ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित करना;

(दो) ग्राम सभा की वार्षिक आय–व्ययक तैयार करना तथा ग्राम सभा से पारित करा कर निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित करना;

(तीन) प्राकृतिक आपदा में राहत कार्यों के सम्पादन में सहायता करना;

(चार) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रमदान व अंशदान की व्यवस्था करना;

(पांच) पंचायत के आवश्यक आकड़े तथा डाटा बेस का रखा जाना;

(छः) ग्राम पंचायत द्वारा सम्पन्न कार्यों का विवरण ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत करना;

(सात) ग्राम सभा के क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले अपरिचित के विषय में सूचना पंजिका रखना;

(आठ) अन्य कृत्य जो इस अधिनियम के अधीन उसके क्षेत्राधिकार में पड़ते हो या उच्च स्तर से प्रतिनिहित किए जाए;

(नौ) भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबन्ध;

परन्तु यह कि इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध (या राज्य सरकार द्वारा इस विषयक की गयी व्यवस्था) के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है;

(दस) वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;

(ग्यारह) आबादी–स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास,

(बारह) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(तेरह) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास,

(चौदह) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध समिति के कृत्यों के सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन;

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश जमीदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अथवा किसी अन्य अधिनियमित (या राज्य सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था) के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्य का सम्पादन, और

(सोलह) ऐंसे प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जैसा विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण– (1) ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से कोई लाइसेन्स पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा और न उपार्जित करने का प्रयत्न करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति ऐसे क्रय में हित रखता हो जिससे सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति यह विश्वास करती है कि वह नियमित रूप से व्यापार करता है और क्रय की हुई वस्तु का मूल्य दस हजार रूपये से अधिक नही है।

(2) कोई न्यायालय या अन्य अधिकारी ऐसे कार्य के आधार पर जो किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के उपबन्धों के विपरीत किया हो, उक्त व्यक्ति के दावा करने पर उसे कोई हक नहीं दिलायेगा;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत जब भूमि प्रबन्धक समिति के रूप में कार्य करेगी तब राजस्व विभाग का पटवारी ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य

23. ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार, समय–समय पर विनिर्दिष्ट कर प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्–

(एक) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है–

(क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति,

(ख) बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

(दो) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण–

(क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेन्सियों की सहायता करना,

(ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना।

(तीन) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास–

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना,

(ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई उद्देश्य से जलपूर्ति का विनियमन।

(चार) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन–

(क) पालतू जानवरों, कुक्कटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना,

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।

(पांच) मत्स्य पालन– ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास।

(छ:) सामाजिक और कृषि वानिकी–

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण,

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

(सात) लघु वन उत्पाद– लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति में सहायता करना,

(आठ) लघु उद्योग–

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना,

(ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।

(नौ) कुटीर और ग्राम उद्योग –

(क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।

(ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।

(दस) ग्रामीण आवास–

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,

(ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे सबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

(ग्यारह) पेयजल, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल सम्मरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिए जल सम्मरण के स्रोतों का विनियमन।

(बारह) ईंधन और चारा भूमि–

(क) ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित बॉस और पौधों का विकास,

(ख) चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण।

(तेरह) सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन–

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण,

(ख) जलमार्गो का अनुरक्षण,

(ग) सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना।

(चौदह) ग्रामीण विद्युतीकरण– सार्वजनिक मार्गो और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।

(पंद्रह) गैर–पारम्परिक उर्जा स्रोत– ग्राम में गैर–पारम्परिक उर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।

(सोलह) गरीबी उपशमन कार्यक्रम– गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन।

(सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है– शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।

(अठ्ठारह) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा– ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति।

(उन्नीस) प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा– प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति।

(बीस) पुस्तकालय–पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की अनुरक्षण।

(इक्कीस) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य–

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों की प्रोन्नति।

(ख) विभिन्न त्यौहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन,

(ग) खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

(बाईस) बाजार और मेला– पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।

(तेईस) चिकित्सा और स्वच्छता–

(क) ग्रामीण स्वच्छता को प्रोन्नति,

(ख) महामारियों के विरूद्व रोकथाम,

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम,

(घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरूद्व निवारक कार्यवाही,

(ड.) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण।

(चौबीस) परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।

(पच्चीस) आर्थिक विकास और बाल विकास– ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।

(छब्बीस) प्रसूति और बाल विकास–

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(सत्ताईस) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है–

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना,

(ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई उद्देश्य से जलपूर्ति का विनियमन।

(अट्ठाईस) कमजोर वर्गो और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गो के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना,

(ख) सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन।

(उनतीस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली–

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति,

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

(तीस) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण–सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और अनुरक्षण।

सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों का अधिकार

24. समस्त सार्वजनिक सडकों या ऐसी नहरों से भिन्न जिनकी परिभाषा उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित है से भिन्न ऐसे जल मार्गो पर जो किसी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थित हो और जो निजी सडक अथवा जलमार्ग न हों और राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण में न हो उस ग्राम पंचायत का नियन्त्रण होगा और वह उसके संधारण तथा मरम्मत के लिए समस्त आवश्यक कार्य कर सकेगी; और–

(क) नये पुलों–पुलियों का निर्माण कर सकेगी;

(ख) किसी सार्वजनिक सडक, पुलिया अथवा पुल का मार्ग बदल सकती है, उसे बन्द कर सकती है, समाप्त कर सकेगी;

(ग) पास–पड़ोस के खेतों को न्यूनतम क्षति पहुँचा कर सार्वजनिक सड़क पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती है, खोल सकती है, बढ़ा सकती है, अथवा उसमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी;

(घ) जल मार्गो को गहरा कर सकती है अथवा उनमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी है;

(ड.) नियत अधिकारी की स्वीकृति से जहां उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकार की स्वीकृति से भी जिसे राज्य सरकार नियत करें इस धारा के अधीन निर्देश द्वारा निर्दिष्ट लघु सिंचाई परियोजनायें प्रारम्भ कर सकेगी ;

(च) सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष की डाल को काट सकेगी;

(छ) किसी सार्वजनिक जल मार्ग को पानी पीने अथवा रसोई पकाने के प्रयोजन के लिए अलग कर देने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सकती है और स्नान करने, कपड़ा धोने और जानवरों को नहलाने अथवा अन्य कार्य का जिनसे इस प्रकार अलग किये गयें जल मार्गो के गन्दा होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध कर सकेगी;

परन्तु यह कि खण्ड (छ) के अधीन कोई ऐसी बात एतदर्थ राज्य सरकार द्वारा

विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं की जाएगी जिसका प्रभाव उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 द्वारा शासित नहर पर प्रभाव पड़ सकता हो।

ग्राम पंचायत द्वारा सफाई के सुधार

25. ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को उसकी वित्तीय स्थिति पर विचार करके और उसको उसके अनुपालन का यथोचित समय देकर सफाई सुधार हेतु–

(क) ऐसी भूमि पर भवन से सम्बन्धित किसी शौचालय, मूत्रालय, नाबदान ग्राम नाली, नलकूप गन्दगी, गन्दे पानी या कूड़ा–करकट के अन्य पात्रों को बन्द करने, हटाने, बदलने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणुरहित करने अथवा अच्छी हालत में बनाये रखने अथवा किसी ऐसे शौचालय मूत्रालय अथवा नाबदान के जो किसी सड़क या नाली पर खुलता हो, किसी दरवाजे या जाली को हटाने या परिवर्तित करने अथवा नाली का निर्माण करने अथवा शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान की पर्याप्त छत, दीवार या घेरे से बन्द करने जिससे उधर से आने–जाने वाले तथा पड़ोस में रहने वाले उसे न देख सके;

(ख) निजी कूप, तालाब, जलाशय हौज, कुण्ड, गड्डा, नीची भूमि अथवा उसमें से उत्खात को जो ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य के लिए हानिकर अथवा पड़ोसियों को दुर्गन्धयुक्त जान पड़े, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, ढ़ंकने पाटने, निस्तारित करने, गहरा अथवा पानी निकालने;

(ग) किसी वनस्पति वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियां, जंगल साफ करने; तथा

(घ) धूल, गोबर, मल, खाद अथवा अन्य कोई हानिकर दुर्गन्धित वस्तु को वहाँ से हटाने और भूमि अथवा भवन को साफ करने के लिए ग्राम पंचायत आदेश दे सकेगी;

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिस पर खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील किया जाए, नोटिस की प्राप्ति के तारीख से तीस दिन के भीतर सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से नोटिस के विरूद्ध अपील कर सकेगा, जो उसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन, उपान्तरण अथवा पुष्टि कर सकेगा।

विद्यालयों, चिकित्सालयों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के अधिकार

26. (1) (क) ऐसे नियमों के अधीन जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये, सम्बन्धित ग्राम पंचायत्त के स्कूलों तथा किसी वर्तमान प्राइमरी स्कूल के भवन और उसके मैदान सहित सुधार कर सकेगी और उसके समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।

(ख) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो किसी वर्तमान आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल और औषाधालय को उसके भवन और सज्जा के सहित संधारित करेगी की स्थापना तथा देख–रेख के सम्बन्ध में नियम विहित किये जा सकेगें।

(2) जिला पंचायत और राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित स्कूल, अस्पताल अथवा औषधालयों को ऐसा अनुदान दे सकेगी जैसा विहित किया जाएं।

ग्राम पंचायत द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिशें

27. ग्राम पंचायत समुचित प्राधिकारी को :–

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दे सकेगी; और

(ख) ग्राम पंचायत की आधिकारिता के भीतर आने वाले समस्त विभागों के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा, पदच्युत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को सिफारिश कर सकेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार करना

28. प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के लिए एक विकास योजना निर्धारित प्रारूप पर, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, तैयार करेगी और उस सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी को ऐसी तारीख से पूर्व जैसा नियत किया जाए, प्रेषित करेगी।

उपविधियाँ बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत का अधिकार

29\. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विहित प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी उपविधियां, यदि कोई हो, के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित विषयों पर उपविधियां बना सकेगी; अर्थात्–

(क) पीने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्रोत से पानी ले जाने अथवा इसके प्रयोग का प्रतिषेध करना, जिससे स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो और किसी ऐसे कार्य को करने का प्रतिषेध करना जिससे पानी पीने के स्रोत के दूषित होने की सम्भावना हो;

(ख) किसी नाली अथवा भू–गृहादि के किसी सार्वजनिक सड़क अथवा नदी, पोखरें, तालाब, कुएं अथवा किसी स्थान पर पानी के उत्सर्जन का प्रतिषेध या विनियमन करना;

(ग) सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत की किसी सम्पत्ति को क्षति से बचाना;

(घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सफाई मलवाहन तथा जल निस्तरण का विनियम;

(ङ.) दुकानदारी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तह बाजारी की वसूली का प्रतिषेध या विनियमन करना;

(च) इस रीति का विनियमन करना, जिसमें तालाब, पोखरें, नल–कूप, चारागाह, खेल के मैदान, हाथ के गड्ढे, मृतकों के निस्तारण के लिए भूमि तथा स्नान के स्थान संधारित किए जाए तथा प्रयुक्त हो;

(छ) ग्राम पंचायत के ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा कृत्यों का विनियमन करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाए।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा बनायी गयी उपविधियों को विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा। उसके सम्बन्ध में प्राप्त किसी आपत्ति पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जायेगा एवं तदुपरान्त उपविधियों पर प्राप्त आपत्तियां यदि कोई हो, और उन किए गए निर्णयों के साथ विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। उपविधियां जिस रूप में वे विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी हों, विहित प्रकार से प्रकाशित किए जाने के पश्चात, लागू होंगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किसी भी उपविधि को किसी भी समय विखण्डित या उपनिहित कर सकेगी।

ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, समस्त अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक होंगे

30\. ग्राम पंचायत के क्रमशः प्रधान, उप प्रधान, अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेगे तथा उक्त की धारा 161 में प्रयुक्त शब्द 'सरकार' इस धारा के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत भी सम्मिलित समझी जायेंगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा अधिकारों का सम्पादन

31\. ग्राम पंचायत अपने किसी ऐसे अधिकार, कर्तव्य और कृत्य को जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रधान को नही सौंप गये हो, ऐसे अधिकार एवं कृत्यों को उप प्रधान या ग्राम पंचायत की किसी समिति को संकल्प द्वारा प्रतिनिहित कर सकेगी।

ग्राम पंचायत के प्रधान के कर्तव्य एवं अधिकार

32\. (1) प्रधान के कर्तव्य एवं अधिकार जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, प्रधान के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगे :–

(क) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत और उसकी समितियों की बैठकों को बुलायेगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा;

(ख) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या उन समितियों जिसका इस अधिनियम के अधीन वह अध्यक्ष है, अध्यक्षता करेगा।

(2) ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन के लिए एतदर्थ बनाये गये किसी विनियम या नियम के अनुसार अन्यथा नियन्त्रित करेगा।

(3) ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे और उसमें यदि कोई त्रुटि पाये तो उसको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जानकारी में लायें।

(4) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करें जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, उप विधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसे अपेक्षित हों अथवा उस हेतु प्राविधानित किए जायें।

(5) ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में रहते हुए उन्हें सचिव के द्वारा अध्यावधिक किए जाना।

(6) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और प्रधान या उप प्रधान से ग्राम पंचायत के प्रशासन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में विहित रीति से प्रश्न भी पूछ सकेगा।

ग्राम पंचायत का कार्यालय

33. ग्राम पंचायत का कार्यालय सार्वजनिक स्थान पर स्थित पंचायत भवन अथवा किसी अन्य सरकारी भवन में अवस्थित होगा।

ग्राम पंचायतों के प्रधान उपप्रधान को अपने अधिकार सौंपना

34. प्रधान, ग्राम पंचायत अपने कर्तव्य एवं अधिकार उप प्रधान को प्रतिहस्तांतरित कर सकेंगे।

ग्राम पंचायतों की समितियाँ

35. इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत के गठित हो जाने पर 90 दिन के भीतर, ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादनार्थ ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में सहायतार्थ ऐसी समिति या समितियां जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, नियुक्त करेगी। ग्राम पंचायतें अपनी ऐसी शक्तियों या कृत्य, जैसा कि वह उचित समझे, प्रतिहस्तान्तरित कर सकेगी। ग्राम पंचायत के कृत्यों के सम्पादनार्थ ऐसी समितियां और उप समितियां होगी तथा उसके अध्यक्ष, सदस्य, गणपूर्ति तथा अन्य व्यवस्थाये ऐसी होगी जैसा विहित किया जाये।

अध्याय–छः

ग्राम पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियां तथा प्रक्रिया

ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी/सचिव

36. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के समूह के लिए, जैसा राज्य सरकार नियत करे, एक पूर्णकालिक ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव होगा। ग्राम पंचायत विशेष संकल्प द्वारा अपने कार्यों के संचालनार्थ विहित अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य कर्मचारी को भी नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत हों, ऐसे पद नाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा करने के लिए स्थानान्तरित कर

सकेगी। ऐसे कर्मचारी ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जायें।

(3) राज्य सरकार सरकारी सेवकों की सहायता के लिए, किसी अन्य सरकारी सेवक को निर्देश दे सकेगी।

ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य

37. ग्राम पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाये।

ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद

38. यदि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत के बीच में अथवा नगर पंचायत के बीच कोई विवाद हो तो उसे विहित प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

ग्राम पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

39. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी–

(क) ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान की अभिरक्षा में रहेंगे। ग्राम प्रधान की देख–देख में अभिलेखों के रख–रखाव के लिए ग्राम पंचायत के सचिव उत्तरदायी होंगे।

(ख) प्रधान, को आवेदन करने पर और ऐसी फीस के भुगतान कर दिए जाने जैसा विहित की जाय, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख की प्रति देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा।

(ग) ग्राम पंचायत में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत ऐसे सभी अभिलेख रखे जायेंगे जो विहित किए जाएं।

अध्याय–सात
ग्राम पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

ग्राम निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना

40. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा राज्य सरकार निश्चित करे, ग्राम पंचायत की स्थिति में ग्राम निधि किसी ऐसे सरकारी कोषाकार एवं उप कोषाकार अथवा ऐसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक एवं डाक घर में खाता खोलकर जमा की जायेगी। निधि से आहरण वितरण प्रधान व सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना

41. (1) ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम सभा की या उनमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पति के रख–रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

(2) प्रधान भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा।

भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य

42. (1) भूमि प्रबन्धक समिति पर ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से समस्त सम्पति, जिसके अन्तर्गत सामान्य प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियन्त्रण भी सम्मिलित होगा, का भार होगा–

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है।

(ख) वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास,

(ग) आबादी स्थलों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(ङ) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास,

(च) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा, उससे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन,

(छ) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति की विशेषतः अभ्यर्थित कृत्यों का सम्पादन, और

(ज) ऐसे प्रबन्धन परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये, और वह ग्राम पंचायत के उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुषांगिक हों।

(2) भूमि से प्रबन्धक समिति अपना कार्य जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करेगी।

ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति

43. राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए, इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति जो ग्राम के भीतर स्थित हो, ग्राम पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाये, उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त अधिकार में रखी तथा उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात–

(क) प्रत्येक प्रकार की सार्वजनिक ईमारतें, जो ग्राम–निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हो;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग, जो ग्राम–निधि से निर्मित किए गए हों या उससे अनुरक्षित किए जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिए की गई हों;

(ग) सार्वजनिक भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के स्वामित्व में की गई हो।

(घ) **भूमि अर्जित करने का अधिकार**– यदि ग्राम सभा अथवा कई ऐसी ग्राम पंचायतें जो धारा 42(क) अथवा 160 के उपबन्धों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हो, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा करे, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें पहले तो आपसी बातचीत से भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी और यदि सम्बन्धित पक्षों में करार न हो सके, तो ऐसी गाम पंचायत या ग्राम पंचायतें विहित प्रपत्र में कलेक्टर के पास भूमि अर्जित करने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकती हैं और कलेक्टर ऐसी भूमि को उक्त ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के लिये अर्जित कर सकता है।

(ड.) दावों का निस्तारण– जब धारा 43 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत और किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का समुचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी कि उक्त सम्पत्ति को ग्राम सभा की सम्पत्ति समझा जाये या नहीं।

ग्राम पंचायत का बजट तैयार और पारित करना

44. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की जाए, आगामी एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।

(2) ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का होगा।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा बजट पारित होने के पांच दिन के अन्दर ग्राम पंचायत के पारित बजट को सचिव द्वारा उस क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

(4) क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के बजट को मूल रूप में या उसमें अपेक्षित परिष्कार कर निश्चित तारीख तक ग्राम पंचायत को लौटाएगी। ग्राम पंचायत इन परिष्कारों के अनुरूप बजट तैयार कर निर्धारित समय के अन्दर पुनः क्षेत्र पंचायत को भेजेगी और क्षेत्र पंचायत निर्धारित तारीख से पूर्व बजट पारित कर ग्राम पंचायत को लौटायेगी यदि क्षेत्र पंचायत पन्द्रह दिन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के बजट को अनुमोदित नहीं करती है तो ग्राम पंचायत का बजट अंतिम रूप से पारित समझा जाएगा।

ग्राम पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा

45. (1) (क) ग्राम पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा, प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो नियत की जाए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए, द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत को, सम्परीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर उपबन्ध करायी जायेगी।

(ख) सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत हो, को भेजेगी।

(2) ग्राम पंचायतों में संचालित समस्त योजनाओं का सोशल आडिट (सामाजिक सम्परीक्षा) भी कराया जायेगा।

अध्याय–आठ

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

ग्राम पंचायत के कर एवं आय के अन्य स्रोत

46. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्न कर व शुल्क उद्ग्रहण कर सकेगी–

(1) (क) उन क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार–बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूँ तथा उत्तर खण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया, कम से कम पचास पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू–राजस्व देय अथवा देय समझा

जाये, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।

(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया, कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू–राजस्व का देनदार हो भिन्न व्यक्ति वास्तव के कृषि करता हो तो उस व्यक्ति द्वारा होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।

(2) ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में कृषि बागवानी को छोड़कर अन्य प्रकार के व्यवसाय पर कर।

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क।

(4) ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्रकार के क्रय–विक्रय जिसमें पशु क्रय–विक्रय भी सम्मिलित है, शुल्क,

(5) पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निम्न पर उपविधियां बनाकर शुल्क उद्ग्रहण कर सकती है–

(क) केवल ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चलने वाले वाहनों पर शुल्क;

(ख) स्वच्छता शुल्क यदि ग्राम पंचायत स्वच्छता की व्यवस्था करती है;

(ग) पेयजल एवं सिंचाई पर शुल्क यदि ग्राम पंचायत पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था क्षेत्र में करती है;

(घ) हाट बाजार एवं मेलों पर शुल्क।

(6) विवाह स्थल, मण्डप, रिजोर्ट, मनोरंजन स्थलों पर तीनों पंचायतों द्वारा ऐसा कर एवं शुल्क लगाया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करे।।

(7) ग्राम पंचायत की सीमा के अन्तर्गत स्थित सरकारी शराब की दुकानों में होने वाली बिक्री पर उपकर जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करे, का आरोपण ।

(8) भवन निर्माण एवं परिवर्द्धन का मानचित्र स्वीकृत करने पर शुल्क आरोपण, जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करे।

(9) भवन कर– प्रति वर्ष ग्राम पंचायत की सीमा अन्तर्गत निर्मित हो रहे भवनों पर क्षेत्रफल के आधार पर कर का निर्धारण का आरोपण;

परन्तु यह कि राज्य सरकार जैसा कि नियत करे आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन अथवा खण्डित कर सकेगी।

(10) जिन पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत रेत, बजरी आदि खनन का कार्य क्रियान्वित हो रहा हो, वहां राज्य सरकार नियमों के अधीन पंचायतों को रायल्टी का अंश नियत करने हेतु निर्देशित कर सकेगी एवं पंचायत के तीनों स्तरों पर इसका अंश नियत करने का निर्देश दे सकेगी।

(11) यदि कोई ग्रामीण ग्राम पंचायत में हाट बाजार लगाना चाहे, तो सम्बंधित ग्राम पंचायत को उसे व्यक्तिगत हाट बाजार पर लाईसेंस दिये जाने का अधिकार दिये जाने सम्बंधी प्राविधान किया जायेगा, जैसा नियत किया जाय।

(12) पशु वधशाला के लिए लाईसेंस जारी होने से पूर्व सम्बंधित को ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तदनुसार उस पर शुल्क इत्यादि उदग्रहण का प्राविधान करेगी, जैसा नियत किया जाय।

(13) स्टाम्प डयूटी पर सरचार्ज लगाये जाने का प्राविधान किया जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह कि राज्य सरकार न्याय विभाग के परामर्श से नियमों में व्यवस्था करेगी।

(14) पंचायत क्षेत्र में विज्ञापन, होर्डिंग आदि पर कर आरोपित किये जाने का अधिकार सम्बंधित पंचायतों को दिया जाय। इस हेतु राज्य सरकार तीनों स्तरों की पंचायतों के लिये पृथक–पृथक अधिकारिता क्षेत्र निर्धारित करेगी।

(15) ग्राम पंचायतें पंचायतों की सम्पति आदि का दुरूपयोग एवं अतिक्रमण होने की दशा में जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना, जैसा कि नियत किया जाए।

(16) ग्राम पंचायत में कूड़ा–करकट, गंदगी आदि को प्रत्येक घर से एकत्र करने एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का अधिकार (निरंतर सड़कों की सफाई, प्रतिदिन गंदगी की सफाई, मृतक पशुओं को हटाया जाना, डस्टबिन, व्यक्तिगत कूड़ा–करकट इक्टठा करवाना, एकत्रित गंदगी, कूड़ा–करकट डिपों तक पहुंचाना, डस्टबिन तथा पशुओं के शव, संस्थागत कचरा, व्यापारिक कचरा, राख, धूल, घरेलू कचरे के अस्थायी एकत्रीकरण हेतु स्थान एवं पात्र धारक के सम्बंध में व्यवस्था) ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत कर सकेगी।

(17) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जांती है तो निजी शौचालय और नलियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है जो उन मकानों के जिनसे वे शौचालय या नालियां साफ हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा, और

(18) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर।

ऋण लेने का अधिकार

47. ग्राम पंचायत स्थानीय लोगों को रोजगार देने, कुटीर उद्योग चलाने, बागवानी करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति पर नाबार्ड से ऋण ले सकेगी।

करों में ग्राम पंचायतों का अंश

48. यदि जिला पंचायत संकल्प द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने किसी कर, शुल्क या फीस को वसूल कराने का विनिश्चय करें तो ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वसूल की गई धनराशि का निश्चित प्रतिशत जो नियमों द्वारा नियत किया जाये, ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।

ग्राम पंचायत को देय धनराशियों की वसूली

49. इस अधिनियम के अधीन या तदान्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन ग्राम पंचायत को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस आशय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय की व्यवस्था अनुसार विहित रीति से वसूल की जा सकेगी।

भाग–तीन– अध्याय–नौ

क्षेत्र पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

क्षेत्र पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन

50. (1) **ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन–** राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुये प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकेगी या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकेगी।

(2) **खण्डों में परिवर्तन का प्रभाव–** यदि धारा 50 की उपधारा (3) (ख) के अधीन कोई खण्ड निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाय तो ऐसा क्षेत्र उस खण्ड की क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा जिससे वह निकाला गया हो, क्षेत्राधिकार में, तथा उसमें प्रवृत्त नियमों विज्ञाप्तियों, आदेशों निर्देशों और सूचनाओ के अधीन हो जायेगा

तथा राज्य सरकार इस क्षेत्र पंचायत की, क्षेत्राधिकार से निकाला गया हो। आस्तियों का ऐसा नही जो वह उचित समझे उसे दूसरी क्षेत्र पंचायत के सुपुर्द कर सकती है और ऐसे आदेश तथा निर्देश दे सकेगी;

परन्तु यह कि यदि एक खण्ड से निकाला कोई क्षेत्र किसी ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिए कोई क्षेत्र पंचायत गठित न की गयी हो तो जब तक कि नये खण्ड के लिए क्षेत्र पंचायत गठित नही कर दी जाय, उस खण्ड की क्षेत्र पंचायत, जिससे वह क्षेत्र निकाला गया हो, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती रहेगी और क्षेत्र पंचायत द्वारा उस क्षेत्र के सम्बन्ध में की गयी कोई बात अथवा कार्यवाही जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति या, जारी की गयी विज्ञप्ति, आदेश या निर्देश निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, आदेश या निर्देश या लाइसेन्स या किया गया पंजीकरण भी है, नए खण्ड के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नई क्षेत्र पंचायत द्वारा की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे उस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अवक्रान्त न कर दिया जाए।

(3) प्रत्येक खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी जिसका नाम उस खण्ड (क्षेत्र पंचायत) के संघटन के नाम पर होगा एवं जो एतद्पश्चात् उपबन्धित प्रकार से और निगमन द्वारा संघटित की जायेगी। क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख जो उसका पीठासीन होगा, एवं एक ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख भी होगा जो निम्न से मिलकर संगठित होगी।

(क) निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए, पंचायत क्षेत्र को, जैसा राज्य सरकार नियत करे, जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा।

(ख) खण्ड में स्थित ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान ।

(ग) राज्य विधान सभा एवं लोक सभा सदस्य।

(घ) राज्य सभा के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हों;

उक्त उपधारा (3) के (ख), (ग), एवं (घ) मे उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यो को प्रमुख या ज्येष्ठ उपप्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरूद्व अविश्वास के मामलो को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की समस्त कार्यवाही में भाग लेने और उनकी बैठको में मत देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख व ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही विचार कर सकेंगे।

(4) जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो जो पूर्णतः या भागतः किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता हो ऐसी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग कर विचार व्यक्त कर सकेगा, परन्तु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) **क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु मानक--** (क) राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र पंचायत के गठन हेतु अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं अन्तिम परिसीमन की अधिसूचना होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम 25,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम 50,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 व

मैदानी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाली क्षेत्र पंचायतों (विकास खण्डों) में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों होंगे;

परन्तु यह कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथा साध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा;

परन्तु यह और कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन

51. राज्य सरकार प्रत्येक जिलो में क्षेत्र पंचायत के वर्तमान क्षेत्र यदि कोई हों तो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो उनके संघटन या पुनर्संघटन का प्रबन्ध करेगी।

पंचायतों को स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना

52. यदि किसी क्षेत्र पंचायत के स्थापित करने या संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बंध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध मे, जिसके लिए इस अधिनियम मे व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हों तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय मे अन्तिम और निश्चायक होगा।

क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

53. (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए अनर्ह होगा, यदि –

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

(ख) वह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो;

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(ड.) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, क्षेत्र पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह क्षेत्र पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;

(च) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,

(छ) वह अनुत्मोचित दिवालिया हो;

(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।

(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो।

(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ण) उसे धारा 138 के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी क्षेत्र पंचायत की महिला सदस्य/प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निवर्हन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हताः– इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगा।

(3) शौचालय न होने पर अर्नहता– (क)यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नही है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जानाः– (एक) क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नही रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाये;

(दो) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, नही रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय– यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया हो तो उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा। यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध– कोई व्यक्ति एक साथ क्षेत्र पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही क्षेत्र पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

54. (1) क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली (इस अधिनियम के उपबन्धो और उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी।

(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य मे निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसे नियत की जाय।

(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ग्राम पचांयत या ग्राम पंचायत के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचक नामावलियों से मिल कर बनायी जायेगी, जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भाग समाविष्ट हैं और किसी क्षेत्र पंचायत में ऐसी किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक नही होगा;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम तारीख के पश्चात् एवं उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन उस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रीति से निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को अठठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा;

परन्तु यह कि–

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे केवल इसी कारण से कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मे उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह नही समक्ष लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है।

(दो) अपने साधारणतया निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थिति रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध मे केवल इसी कारण यह नही समझा जाएगा कि वह वहाँ का निवासी नही रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप मे अपने कर्त्तव्यो के सम्बन्ध मे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का साधारणतयो निवासी होने से परिविरत नही समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियो को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का साधारणतया निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, साधारणतया कहाँ का निवासी है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश मे किया जाएगा।

(5) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नही है, या

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा

(ग) निर्वाचन सम्बंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह है।

(6) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (6) के अधीन अनर्ह हो जाए उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जाएगा जिसमें वह अंकित है ।

(7) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नही होगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नही होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी परिषद से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली मे दर्ज हो और वह यह प्रदर्शित नही करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है।

(9) जहाँ "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" को दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित की जानी चाहिए, वहाँ वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व नही किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(10) राज्य निर्वाचन आयोग, सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का, ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा;

परन्तु यह कि अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निर्देश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

(11) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, वहां राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धी निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध मे उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात–

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने के तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि:

(ख) निर्वाचक नामावली मे सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि:

(ग) निर्वाचक नामावलियो मे लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि:

(12) निर्वाचक नामावली मे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना –

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचन नामावली मे सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे त्रुटि से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:–

(क) निर्वाचक नामावलियो की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण:

(ख) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन–पत्र पर देय फीस;

(ग) निर्वाचक नामावलियो तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय;

(घ) उपर्युक्त उप धाराओं मे दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के प्रयोजनों हेतु ततसमय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकेगा जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो;

परन्तु यह कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली मे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नही किया जा सकेगा।

(13) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता वर्जित होगी–

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करने या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नही: या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध मे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी कार्यवाही (या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय) की वैधता पर आपत्ति करना।

(14) **मत देने इत्यादि का अधिकार–** अधिनियम की तीनों स्तरों की विभिन्न धारा द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे तत्समय सम्मिलित हो उस क्षेत्र पंचायत मे किसी निर्वाचन मे मत देने का हकदार होगा और उसमे किसी पद पर निर्वाचन नाम–निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने अटठारह वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्ह नहीं होगा।

अध्याय–दस
क्षेत्र पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

क्षेत्र पंचायत का प्रमुख , ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख एवं सदस्य का निर्वाचन

55. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुनेंगे।

(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्त होते हुए भी प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि प्रमुख, उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्वाचन की विहित रीति से किया जायेगा;

परन्तु यह और कि प्रमुख व उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए भी उपधारा (2) के उपबन्ध समान रूप से प्रभावी होंगे।

क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था

56. प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात क्षेत्र पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे कम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी।

(क) आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ख) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के लिए आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा;

स्पष्टीकरण–

इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं की अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

पंचायतों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल

57. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघठित नही कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नही।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन के किसी स्तर पर ऐसे क्षेत्र पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नही होगा जब तक उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नही हो जाती है।

(3) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अध्यधीन रहते हुए, किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुख, का कार्यकाल सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल तक ही रहेगा।

निर्वाचन की पद्धति

58. क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन ऐसो रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय, गुप्त मतदान प्रणाली अथवा ई.वी.एम. द्वारा होगा;

परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पदधारियों का निर्विरोध निर्वाचन कर सकेगी।

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

59. (1) क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।

(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।

अध्याय–ग्यारह

क्षेत्र पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जानां, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

क्षेत्र पंचायत के पदाधिकारियों के पद त्याग

60. (1) प्रमुख, उप प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को सम्बोधित स्वःहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा।

(2) यदि त्याग पत्र देने वाला प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य दस दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य द्वारा स्वःहस्ताक्षरित त्याग पत्र जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के उपरान्त स्वीकृत त्याग पत्र की सूचना क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाने की तारीख से यह समझा जायेगा कि ऐसे प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य क्षेत्र पंचायत ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

क्षेत्र पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

61. यदि किसी प्रमुख, उप प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, अथवा पद के शपथ लेने से इंकार करने या किसी अन्य किसी कारण रिक्त हो जाये तो उस रिक्ति की पूर्ति उस पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए इस अधिनियम में उपबन्धित रीति से की जायेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्तियां होने के तारीख को यदि पंचायतों का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो तो, रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख की अनुपस्थिति में व्यवस्था

62. जब प्रमुख अनुपस्थित हो, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो और उप प्रमुख का पद रिक्त हो या जब उप प्रमुख, प्रमुख के पद की रिक्ति के दौरान इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है, भी अपने कृत्यों का निर्वहन अनुपस्थिति, बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक को अनुपस्थित हो, अपने कर्तव्यों को फिर सम्भाले उस तारीख तक विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उपप्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव एवं बैठकों की गणपूर्ति

63. (1) प्रमुख या उप प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस द्वारा क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, प्रस्ताव की एक प्रति के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी को किया जायेगा।

(2) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा—

(क) क्षेत्र पंचायत की एक विशेष बैठक उक्त अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में स्वयं द्वारा नियत तारीख को आहूत करेगा और यह तारीख उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने की तारीख से 30 दिन के बाद का नही होगा; तथा

(ख) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक का न्यूनतम 15 दिन का नोटिस ऐसे रीति से देगा, जैसा नियत किया जाय।

(3) संबंधित मुख्य विकास अधिकारी जिले में कार्यरत किसी उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला स्तरीय अधिकारी को ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता करने के निर्देश दे सकेगा।

(4) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर ऐसा अधिकारी /उप जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक आगामी तारीख और समय तक के लिए स्थगित हो जायेगी। ऐसी स्थगत बैठक की आगामी तारीख विहित अधिकारी जैसा उचित समझे, नियत कर सकेगा।

(5) यदि उप धारा (4) में उल्लिखित अधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे किसी अन्य तारीख और समय के लिए स्थगित कर सकेगा, जैसा वह नियत करे। वह उप धारा (2) की अधीन बैठक के लिए नियत तारीख से पच्चीस दिन से अधिक नही

होगा। वह मुख्य विकास अधिकारी को लिखित रूप से बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। मुख्य विकास अधिकारी सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (2) के अधीन नियत रीति से न्यूनतम दस दिन पहले देगा।

(6) उपधारा (4) तथा (5) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आहूत की गयी बैठक स्थगित नही की जायेगी।

(7) इस धारा के अधीन आहूत बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन अधिकारी क्षेत्र पंचायत को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक आहूत की गयी है तथा यह घोषित करेगा कि इस पर वाद–विवाद किया जा सकेगा।

(8) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित नही किया जायेगा।

(9) यदि ऐसा वाद–विवाद बैठक आरम्भ होने के निश्चित समय से दो घंटो की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, यदि आवश्यक हो, तो अविश्वास प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नियत रीति से होगा।

(10) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।

(11) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(12) यदि प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई समर्थन से पारित हो तो–

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा कर, उसे प्रकाशित करवाएगा;

(ख) यथा स्थिति प्रमुख या उप प्रमुख प्रस्ताव पारित होने के तारीख से तत्काल अपने पद पर नही रहेगा, उसे रिक्त कर देगा।

परन्तु यह कि –

तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धाराओं के अधीन किए गये प्रस्ताव के विरूद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के लिए अपेक्षित हो;

परन्तु यह और कि प्रमुख, उप प्रमुख के विरूद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव :–

(1) उस तारीख से जिससे वह अपना पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;

(2) उस तारीख से जिससे यथास्थिति उसकी पदावधि समाप्त होती है, पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर;

(3) उस तारीख से जिसको पूर्व में अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

64. (1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, सरकार को यह प्रतीत हो कि क्षेत्र पंचायत या उसकी संयुक्त समिति या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकेगी।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाए तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उसका सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी, और निर्देश दे सकेगी कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने का व्यय यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी जैसा निश्चित करे, क्षेत्र पंचायत द्वारा चुकाया जाए।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया नही जाए तो मण्डलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा आदेश दे सकेगा जिसमें ग्राम निधि, क्षेत्र निधि, जिला निधि की अभिरक्षा रखने वाले प्राधिकारी के लिए उस निधि में से उक्त व्यय का भुगतान का निर्देश हो।

क्षेत्र पंचायतों का बाह्य नियंत्रण

65. क्षेत्र पंचायत की दशा में जिला मजिस्ट्रेट नियत प्राधिकारी होगा और जिला पंचायतों के सम्बन्ध में जो अधिकार, कर्तव्य, कृत्य निदेशक, पंचायतीराज में निहित है, वे क्षेत्र पंचायत की दशा में जिला मजिस्ट्रेट में निहित समझे जायेंगे।

अध्याय–बारह

क्षेत्र पंचायतों की बैठके एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

66. (1) कार्य–सम्पादन के लिए त्रैमासिक आधार पर क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम चार बैठकें होगी।

(2) प्रमुख से उसकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख, जब कभी भी वह उचित समझे, क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकेगा तथा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के न्यूनतम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर, जो प्रमुख या उप प्रमुख को उपलब्ध कराया जा चुका हो अथवा डाक द्वारा पत्र क्षेत्र पंचायत को इस आशय से भेजा जा चुका हो, क्षेत्र पंचायत की बैठक आहूत करना आवश्यक होगा।

(3) क्षेत्र पंचायत की बैठक कोई आगामी या किसी पश्चात्‌वर्ती दिन तक स्थगित की जा सकेगी किन्तु इस प्रकार स्थगित बैठक पुनः एक माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

(4) प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर जिसकी सम्यक रूप से सूचना दी जा चुकी हो, में होगी।

(5) क्षेत्र पंचायत के बैठक की गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों का एक तिहाई होगी एवं गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति भी एक तिहाई ही होगी किन्तु दूसरी बार भी बैठक की गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अगली बैठक हेतु गणपूर्ति 1/5 होगी;

परन्तु यह और कि आहूत बैठक हेतु कार्यसूची यथावत् रहेगी;

परन्तु यह और भी कि आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र पंचायतों की विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकेगी।

(2) **पंचायतों में बैठकों की प्रक्रिया आदि**– क्षेत्र पंचायत की बैठकों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शासित होंगे–

(क) बैठकों में कार्य सम्पादन,

(ख) कार्य के सम्पादन के लिए गणपूर्ति,

(ग) प्रमुख तथा उप प्रमुख की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता,

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना,

(ड.) बैठक की सूचना,

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना,

(छ) मतदान द्वारा निर्णय,

(ज) कार्यवृत्त पुस्तिका तथा संकल्प,

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार,

(ञ) क्षेत्र पंचायत का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार,

(ट) बैठकों के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों का अधिकार,

(ठ) क्षेत्र पंचायत का क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार, तथा

(ड) अन्य आनुषांगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहिये।

(3) क्षेत्र पंचायत का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार–क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा सचिव/खण्ड विकास अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित उपलब्ध कराने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी–

(क) यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आँकड़े या अन्य सूचना,

(ख) किसी उप–समिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण, तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र–व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियंत्रण में प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।

(4) क्षेत्र पंचायतों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अपवाद– इस अधिनियम में कोई बात न तो किसी भी क्षेत्र पंचायत को, किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकर देगी, जो यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो,

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत–

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय,, निर्धन–गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण–गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकेगी, और

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकेगी जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य

67. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं को संकलित करते हुए विकास योजनाओं की वार्षिक योजना तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(2) ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना व आय–व्ययक स्वीकृत करना;

(3) क्षेत्र पंचायत का आय–व्यय तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(4) ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनका मार्ग दर्शन करना;

(5) प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना; और

(6) राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा प्रतिनिहित या सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन व शक्तियों को प्रयोग करना।

उक्त अधिकार व कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र पंचायत खण्ड के भीतर धारा 37(क) में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी।

क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना

68. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजना को सम्मिलित कर अपने–अपने खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उक्त उपधारा (एक) में निर्दिष्ट योजना, क्षेत्र पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से सचिव/खण्ड विकास अधिकारी तैयार करेगा और क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

(3) क्षेत्र पंचायत द्वारा परिष्कार या बिना परिष्कार के साथ अनुमोदित योजना सचिव/खण्ड विकास अधिकारी उस तारीख के पूर्व ऐसे प्रारूप और रीति से जो नियत की जाए जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करेगी।

क्षेत्र पंचायत के समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे

69. क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख एवं अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड सहिंता, 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा तथा संहिता की धारा 161 में "विधिक पारिश्रमिक" की भाषा में प्रयुक्त शब्द "सरकार" में, इस धारा के प्रयोजनार्थ क्षेत्र पंचायत भी सम्मिलित समझी जायेंगी।

क्षेत्र पंचायत द्वारा अधिकारों का सम्पादन

70. क्षेत्र पंचायत अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों को छोड़कर जो इस अधिनियम द्वारा केवल क्षेत्र पंचायत द्वारा ही प्रयोग और सम्पादन किये जाने हो, या प्रमुख के लिए रक्षित हों अथवा उसको सौंपे गये हों, किन्ही ऐसे अधिकारी के कर्तव्यों और कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त हो या उस हेतु निर्धारित किये गये हों या उसको सौंपे गये हों, विशेष संकल्प द्वारा प्रमुख या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकेगी।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, के कर्तव्य एंव अधिकार

71. (1) प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि वह जबकि इस उपधारा द्वारा अन्यथा प्राविधानित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा नही कर सके तो–

(क) क्षेत्र पंचायत तथा उसकी उन समितियों की जिसका इस अधिनियम में उसे अध्यक्ष नियत किया गया है, कि सभी बैठकों को आहूत करे और उनकी अध्यक्षता करे।

(ख) क्षेत्र पंचायत की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन को एतदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसार अन्यथा नियन्त्रित करें।

(2) क्षेत्र पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा क्षेत्र पंचायत प्रशासन का अधीक्षण करे और उसमें पाई गई त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लाये।

(3) ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण और इस निमित विवरण पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपि पंचायत अथवा उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करना।

(4) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, उपविधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन, उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायें।

(5) प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख इस अधिनियम के अधीन प्रमुख के उल्लिखित समस्त कृत्यों व अधिकारों का सम्पादन व प्रयोग करेगा।

(6) प्रमुख या क्षेत्र पंचायत द्वारा उसे प्रतिनिहित किन्हीं कृत्यों व अधिकारों का सम्पादन व प्रयोग करेगा।

क्षेत्र पंचायतों का कार्यालय

72. क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां पर क्षेत्र पंचायत का मुख्यालय स्थित हो अथवा राज्य सरकार नियत आदेश द्वारा करे।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख द्वारा ज्येष्ठउप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों प्रतिनिधायन

73. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख को अपने कर्तव्य एवं अधिकार सौंप सकेंगे।

क्षेत्र पंचायतों में समितियाँ

74. क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, ऐसी समिति या समितियां जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, क्षेत्र पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में उस प्रकार की सहायता करने के लिए नियुक्त करेगी। पंचायतें अपनी ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। क्षेत्र पंचायत के लिए निम्नलिखित समितियां होगी:–

(क) क्षेत्र पंचायत – क्षेत्र पंचायत में कर्तव्यों के सम्पादन हेतु छः समितियों का गठन किया जायेगा जो निम्न प्रकार होंगी:–

(1) नियोजन एवं विकास समिति (2) शिक्षा समिति

(3) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (4) निर्माण कार्य समिति

(5) प्रशासनिक समिति (6) जल प्रबन्धन एवं जैव विविधता प्रबन्धन समिति

(ख) उप समितियाँ–

(1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक या एक से अधिक उप–समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

(2) उप–समिति का संघठन तथा कार्यकाल ऐसे होंगे जैसा समिति द्वारा नियत किये जाएं।

(3) यदि समिति उप–समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।

(ग) समितियों या उप–समितियों का अधीन रहना–

(1) क्षेत्र पंचायत किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उप–समिति से यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप–समिति को कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी माँग सकेगी।

(2) यथास्थिति, समिति अथवा उप–समिति, उप धारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगे।

अध्याय–तेरह

क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियां तथा प्रकिया

क्षेत्र पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी

75. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का एक कार्यपालक अधिकारी होगा। क्षेत्र पंचायत के अधीन रहते हुए खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सचिव अथवा राज्य सरकार जैसा विहित करे, दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जिससे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन कर सके और एसे समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों की सेवाएं क्षेत्र पंचायत को ऐसी शर्तों पर सौंपी गई समझी जायेगी जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

(3) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायत के कृत्यों का सम्पादन करने के उद्देश्य से क्षेत्र पंचायत में नियाजित किए जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं, वेतनक्रम, संख्या तथा सेवा की शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य

76. (1) क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्षेत्र पंचायत के पृथक–पृथक विभागों के विभागाध्यक्ष अपने–अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की दशा में, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में उन्हें अधिकार कृत्य तथा कर्त्तव्य सौंप सकेगा। खण्ड विकास अधिकारी उस क्षेत्र पंचायत में जिसका की खण्ड विकास अधिकारी हो, क्षेत्र पंचायत के नियोजित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य सौंप सकेगा।

क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण

77. (1) प्रमुख, क्षेत्र पंचायत का खण्ड विकास अधिकारी/सचिव पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।

(2) क्षेत्र पंचायत में नियोजित क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी, खण्ड विकास अधिकारी/सचिव के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(3) क्षेत्र पंचायत के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

क्षेत्र पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद

78. यदि क्षेत्र पंचायत की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत के बीच में अथवा नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के बीच कोई विवाद हो तो उसे विहित प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

क्षेत्र पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

79. (1) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत ऐसे अभिलेख जो क्षेत्र पंचायत में रखे जानें आवश्यक हों, रखे जायेंगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियत समस्त अभिलेख क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्बन्धित सचिव/खण्ड विकास अधिकारी की अभिरक्षा में, कार्यालय में रखे जायेंगे।

(3) क्षेत्र पंचायत के सचिव को आवेदन करने पर तथा विहित की गयी फीस के भुगतान किए जाने पर किसी व्यक्ति की मांग की दशा में अभिलेखों की प्रतियाँ सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी। सचिव, मोहर सहित सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यों, प्रयोजनों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, धनराशि के पृथक से कोई अभिलेख नहीं रखे जायेंगे।

अध्याय–चौदह

क्षेत्र पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

क्षेत्र निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना

80. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा राज्य सरकार नियत करे, क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में क्षेत्र निधि, किसी ऐसे सरकारी खजाने में या उप–खजाने अथवा ऐसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक एवं डाक घर में खाता खोलकर जमा की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति

81. (1) राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए, इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति, जो खण्ड/जिले के भीतर स्थित हों, क्षेत्र पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो क्षेत्र पंचायत में निहित हो जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन रहेगी, अर्थात्–

(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें जो क्षेत्र निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हो;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो क्षेत्र–निधि से निर्मित किए गए हों या उससे अनुरक्षित किए जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण–सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिए की गई हो;

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिए पंचायतों को सक्रमित की गई हों; तथा

(घ) जिला/खण्ड के भीतर स्थित समस्त तालाब और कुएं और समस्त जमीनें, इमारतें, सामग्री तथा वस्तुएं जो उनसे सम्बद्ध या सशक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हो और न किसी सरकार द्वारा या जिला पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।

(2)(क) क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमित के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहें, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि या अधिकार, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत में निहित हो जायेगा।

(3) (क) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया क्षेत्र निधि से होता है, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन, क्षेत्र पंचायत में निहित होगा।

(ख) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी क्षेत्र पंचायत में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकेगी;

परन्तु यह कि उसके सम्बन्ध में परिषद् या क्षेत्र पंचायत के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकेगी।

(ग) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त सम्पत्ति, निबन्ध और निधियाँ जो क्षेत्र पंचायत में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों क्षेत्र पंचायत द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिए ऐसी सम्पत्ति, निर्बन्ध तथा निधियाँ उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थी जबकि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी;

परन्तु यह कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन किसी न्यास की सम्पत्ति को पूर्व विन्यास के कोषपाल में निहित होने से रोकती है।

क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार और पारित करना

82. (1) क्षेत्र पंचायत का बजट क्षेत्र पंचायत के सचिव द्वारा नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से तैयार कर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय–व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए अपने आय–व्यय का बजट उस तारीख के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए तैयार करेगी;

परन्तु यह कि अनुमानित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुमानों में भी यह अलग प्रदर्शित किया जाएगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

(2) प्रमुख, नियोजन एवं विकास समिति द्वारा तैयार किए गए लेखे तथा बजट को क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित किए जाने के तारीख से सात दिन के भीतर जिला पंचायत को प्रेषित करेगा एवं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लेखे तथा बजट को जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति के समक्ष पुनरीक्षण के लिए और ऐसी सिफारिशें करने के लिए रखेगी जिन्हें करना नियोजन एवं विकास समिति उचित समझे।

(3) जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति के पुनरीक्षण का परिणाम और उसकी सिफारिशें क्षेत्र पंचायत को ऐसे तारीख के पूर्व संसूचित कर दी जाएगी, जिसे इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित किया जाए।

(4) क्षेत्र पंचायत इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित तारीख के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करके उसमें नियोजन एवं विकास समिति द्वारा तैयार किए गये लेखे और बजट जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति की पुनरीक्षण के परिणाम और सिफारिशों पर विचार–विमर्श करेगी और तब बिना किसी परिष्कार के या ऐसे परिष्कारों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, विशेष संकल्प द्वारा बजट पारित करेगी।

(5) यदि किसी क्षेत्र पंचायत का बजट उसके पारण के लिए नियत तारीख तक उपधारा (4) के अधीन पारित न किया गया हो, तो नियोजन एवं विकास समिति द्वारा तैयार किया बजट, उन परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिनकी सिफारिशें नियोजन एवं विकास समिति ने उपधारा (3) के अधीन की हो, पारित किया गया समझा जाएगा और यह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि क्षेत्र पंचायत उपधारा (4) के अधीन बजट पारित करके उसे अप्रवर्ती न घोषित कर दे।

क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा

83. (क) (1) क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा, प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो नियत की जाए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए, द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत को, सम्परीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर उपबन्ध करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत हो, को भेजेगी।

अध्याय–पन्द्रह

कराधान एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्‌ग्रहण

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण

84. कोई क्षेत्र पंचायत, ऐसी रीति से जैसी नियत की जाए, निम्नलिखित कर आरोपण कर सकेगी–

(क) जलकर, जहां वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिंचाई के लिए या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षा करती है;

(ख) विद्युतकर जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है; और

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिनके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

क्षेत्र पंचायत को देय धनराशियों की वसूली

85. इस अधिनियम के अधीन या तदान्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन क्षेत्र पंचायत को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस आशय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय की व्यवस्था अनुसार विहित रीति से वसूल की जा सकेगी।

भाग–चार

अध्याय–सोलह

जिला पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

जिला पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन

86. (1) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी।

(2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी। जिला पंचायत का एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा तथा एक उपाध्यक्ष और निम्नलिखित से मिलकर संचरित होगी :–

(क) जिले के समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुख:

(ख) निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा:–

(एक) पर्वतीय क्षेत्रों के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम दो प्रादेशिक क्षेत्र होगें तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोतर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे।

(दो) मैदानी क्षेत्रों के 50,000 तक की जनसंख्या वाले विकासखण्डों में न्यूनतम् दो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तदोपरान्त् उत्तरोत्तर अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे;

परन्तु यह कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथा साध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा;

परन्तु यह और कि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी संघटक क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्र भागतः सम्मिलित नही किया जायेगा।

(ग) लोक सभा और विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन–क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है;

(घ) राज्य सभा के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों कें रूप में पंजीकृत हो;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (क) एवं (ग), (घ) में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मात्र उक्त उपधारा (2)(ख) में उल्लिखित निर्वाचित सदस्य ही विचार कर सकेंगे।

जिलों में परिवर्तन का प्रभाव

87. जब कोई नया जिला बनाया जाए तो नया जिला बनाने के ठीक पहले उसके किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला पंचायत उस क्षेत्राधिकार का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उसे नये जिले में नयी जिला पंचायत की स्थापना नही हो जाए और नयी जिला पंचायत की स्थापना पर:–

(क) उस जिला पंचायत की स्थापना के तारीख से नये जिले के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला पंचायत द्वारा आरोपित उदगृहीत, सभी कर शुल्क, अर्थदण्ड तथा शास्तियां और सभी स्वीकृत लाइसेन्स अथवा अनुज्ञा पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार नयी जिला पंचायत द्वारा आरोपित, उदगृहीत या स्वीकृत समझे जायेंगे और जब तक कि वे समाप्त, परिष्कृत अथवा परिवर्तित न कर दिए जाएं तब कि किसी प्रकार वसूली योग्य अथवा प्रभावी बने रहेंगे।

(ख) यदि किसी समय कोई नया क्षेत्र किसी वर्तमान जिले में समाविष्ट किया जाए और ऐसे समादेश के तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख को कोई जिला पंचायत उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही हो तो इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो नया समाविष्ट क्षेत्र कोई नया जिला हो और परिवर्धित जिले कि लिए नयी संघटित जिला पंचायत इस धारा के प्रयोजनों के लिए नयी जिला पंचायत हो।

जिला पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन

88. राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में जिला पंचायत के वर्तमान क्षेत्र यदि कोई हों तो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो उनके संघटन या पुनर्संघटन का प्रबन्ध करेगी।

जिला पंचायत के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का दूर किया जाना

89. यदि किसी जिला पंचायत के स्थापित करने या संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बंध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध मे, जिसके लिए इस अधिनियम मे व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय मे अन्तिम और निर्णायक होगा।

जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

90. (1) कोई व्यक्ति किसी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

(ख) वह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो;

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(ड.) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;

(च) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,

(छ) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;

(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ण) उसे पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार जिला पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निवर्हन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:— इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन—विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो जिला पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता— (क)यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नही है वे पंचायत चुनाव के उम्मदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना:–

(क) जिला पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नही रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाये;

(ख) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह जिला पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नही रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय– यदि यह प्रश्न उठे कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध– कोई व्यक्ति एक साथ जिला पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही जिला पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

91. (1) जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली (इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंन्त्रण के अधीन तैयार की जाएगी–

(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार राज्य मे निर्वाचक नामावलियो के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी जैसे नियत की जाये।

(2) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी। जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी, जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र समाविष्ट हैं और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु यह कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम तारीख के पश्चात् एवं उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन उस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) उपधारा (ख) निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियम रीति से प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपलब्धो के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) उपधारा (क) तथा (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा;

परन्तु यह कि –

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मे उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थिति रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध मे केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ का निवासी नही रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप मे अपने कर्त्तव्यो के सम्बन्ध मे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नही समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियो को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, मामूली तौर से कहाँ का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश मे किया जाएगा।

(5) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृतचित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा

(ग) निर्वाचनों सम्बंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मद देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।

(6) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (5) के अधीन अनर्ह हो जाए उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमे वह दर्ज है।

(7) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नही होगा, यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली मे दर्ज हो, जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

(9) जहाँ "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का चाहे, उसको दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित की जानी चाहिए वहाँ वह इस अधिनियम ओर इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व नही किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(10) राज्य निर्वाचन आयोग, सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है;

परन्तु यह कि अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली जैसी कि वह कोई ऐसा निर्देश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

(11) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धी निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध मे उपबन्ध बना सकेगा।

(12) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने के तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि:

(13) निर्वाचक नामावली मे सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि:

(क) निर्वाचक नामावलियो मे लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियो की शुद्धि:

(ख) निर्वाचक नामावली मे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना –

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचन नामावली मे सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित न हो, जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे गलती से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:–

(क) निर्वाचक नामावलियो की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण:

(ख) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन–पत्र पर देय फीस

(ग) निर्वाचक नामावलियो तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय।

(घ) उपर्युक्त उप धाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो:

परन्तु यह कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली मे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

(14) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता वर्जित होगी–

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करने या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नही; या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध मे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी कार्यवाही (या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय) की वैधता पर आपत्ति करना।

(15) **मत देने इत्यादि का अधिकार**– अधिनियम की तीनों स्तरों की विभिन्न धारा द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी (जिला पंचायत के किसी) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मे तत्समय सम्मिलित हो (उस जिला पंचायत) मे किसी निर्वाचन मे मत देने का हकदार होगा और उसमे किसी पद पर निर्वाचन नाम–निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

अध्याय–सत्तरह
जिला पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

जिला पंचायत का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य का निर्वाचन

92. (1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा।

(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा।

जिला पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था

93. प्रत्येक जिला पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, जिला पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही हागा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के (चौदह) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नही हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।

(क) आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ख) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के लिए आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में निविर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

अग्रेतर यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं की अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

जिला पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल

94. (1) प्रत्येक जिला पंचायत यदि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न की उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए तो सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा।

निर्वाचन की पद्धति

95. जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन नियत रीति से जैसा की राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय, गुप्त मतदान प्रणाली अथवा ई.वी.एम. द्वारा होगा;

परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन कर सकेगी।

जिला पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

96. (1) जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।

(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।

अध्याय–अट्ठारह

जिला पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण

जिला पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का पद त्याग

97. (1) जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य स्वः हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी को सम्बोधित होगा।

(2) यदि त्याग पत्र देने वाला पदाधिकारी दस दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के त्यागपत्र को राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी स्वीकृत करेगा ऐसे स्वीकृत त्याग पत्र की सूचना को जिला पंचायत कार्यालय में प्रेशित किया जायेगा। राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति की तारीख से यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जिला पंचायत का पद रिक्त हो गया है।

जिला पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

98. यदि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु अथवा किसी अन्य कारणों से रिक्त हो जाये तो उस रिक्ति की पूर्ति उस पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए में उपबन्धित रीति से की जायेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्तियां होने के तारीख को यदि पंचायतों का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो तो रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जायेगी।

जिला पंचायत के अध्यक्ष की व्यवस्था

99. जब अध्यक्ष बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो अथवा अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के पद की रिक्ति के दौरान इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस तारीख से अनुपस्थित, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से सम्भाले, उस तारीख तक राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव

100. (1) जिला पचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस जो जिला पंचायत के तत्समय निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचित सदस्यों में से किसी भी दशा में न्यूनतम तीन सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे उस जनपद के जिलाधिकारी, विहित प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत जिला पंचायत स्थित हो, को दिया जायेगा।

(2) निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक का न्यूनतम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाए।

(3) जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी उस जिले के जिला न्यायाधीश से ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध करेगा;

(4) जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी–

(क) जिला पंचायत की एक विशेष बैठक उक्त अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जिला पंचायत के कार्यालय में निश्चित तारीख को आहूत करेगा और यह तारीख उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिए जाने के तारीख से तीस दिन के बाद का नही होगा, तथा

(ख) निर्वाचित सदस्यों को ऐसी विशेष बैठक को न्यूनतम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाए;

परन्तु यह कि जिला न्यायाधीश स्वयं अध्यक्षता करने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल न्यायिक अधिकारी) को, जो दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) से निम्न श्रेणी का न हो, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकेगा।

(5) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न होने पाये तो ऐसी निश्चित बैठक स्थगित हो जायेगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (6) के अधीन निश्चित करेगा।

(6) यदि उपधारा (6) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित कर बैठक आगामी तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा, जिसे वह नियत करे, किन्तु यह तारीख उपधारा 2(ख) के अधीन बैठक के लिए निश्चित तारीख से पच्चीस दिन से अधिक न होगा। वह विहित प्राधिकारी को लिखित रूप से बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। विहित प्राधिकारी सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (ख) के अधीन नियत रीति से न्यूनतम दस दिन पहले देगा।

(7) उपधारा (2) तथा (6) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आहूत गई बैठक स्थगित न की जाएगी।

(8) इस धारा के अधीन आहूत गई बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी बैठक में यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक आहूत गई हो और यह घोषित करेगा कि, अविश्वास प्रस्ताव पर वाद–विवाद किया जा सकता है।

(9) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित न किया जाएगा।

(10) यदि ऐसा वाद विवाद बैठक आरम्भ होने के लिए निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गय हो तो दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। वाद–विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, यदि आवश्यक हो तो वही प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नियत रीति से होगा।

(11) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह इस पर मत देने का अधिकारी होगा।

(12) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार, मंडलायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(13) यदि प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या के दो तिहाई के समर्थन से पारित हुआ हो तो–

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त पारित प्रस्ताव का प्रकाशन, जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिस बार्ड पर अतिशीघ्र चस्पा करेगा; और

(ख) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उस तारीख के, जब उक्त नोटिस पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया हो, तत्काल अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा;

परन्तु यह कि –

उपधारा (क) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धाराओं के अधीन किए गये प्रस्ताव के विरूद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के लिए अपेक्षित हो;

परन्तु यह कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव :–

(1) उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;

(2) उस तारीख से जिसको यथा स्थिति उसकी पदावधि समाप्त होती है पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर;

(3) उस तारीख से जिसको पूर्व में अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर; नहीं लाया जायेगा।

जिला पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

101. (1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, सरकार को यह प्रतीत हो कि जिला पंचायत या उसकी संयुक्त समिति या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकती है।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाए तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उसका सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और निर्देश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने का व्यय यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी जैसा निश्चित करे जिला पंचायत द्वारा चुकाया जाए।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाए तो निदेशक, पंचायतीराज, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें ग्राम निधि, क्षेत्र निधि, जिला निधि की अभिरक्षा रखने वाले प्राधिकारी के लिए उस निधि में से उक्त व्यय का भुगतान का निर्देश हो।

जिला पंचायत के विघटन का परिणाम

102. जिला पंचायत के विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :–

(क) अध्यक्ष सहित पंचायत के समस्त आदेश में निर्दिष्ट तारीख पर अपने पदों का रिक्त कर देंगे किन्तु इसके कारण इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे, उस समय जब तक कि पंचायत पुर्नसंघटित न हो जाए जिला पंचायत के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन यथासम्भव करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए उसे या उन्हें पंचायत समझा जायेगा।

अध्याय–उन्नीस

जिला पंचायतों की बैठके एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

जिला पंचायत की बैठकें

103. (1) (क) कार्य सम्पादन के लिए प्रति तीन मास में जिला पंचायत की न्यूनतम एक बार बैठक होगी।

(ख) अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझें, जिला पंचायत की बैठक बुला सकते है तथा जिला पंचायत के सदस्यों के न्यूनतम 1/5 के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष को नोटिस द्वारा सूचित किया जा चुका हो अथवा पत्र इस आशय हेतु डाक द्वारा जिला पंचायत को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन की प्राप्ति के तारीख से एक महीने के भीतर जिला पंचायत की बैठक अवश्य आहूत करेगा।

(ग) जिला पंचायत की कोई बैठक आगामी अथवा किसी अग्रिम तारीख के लिए स्थगित की जा सकती है तथा स्थगित बैठक पुनः एक माह के भीतर आयोजित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक बैठक जिला पंचायत के कार्यालय में अथवा जिले की सीमान्तर्गत किसी सार्वजनिक एवं सुविधापूर्ण स्थान में, जिसकी सम्यक रूप से सूचना दे दी गयी हो, में की जायेगी।

(ड.) जिला पंचायत की बैठक का गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी एवं गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति भी एक तिहाई होगी, किन्तु दूसरी बार भी बैठक की गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अगली बैठक हेतु गणपूर्ति 1/5 होगी;

परन्तु यह और कि आहूत बैठक हेतु कार्यसूची यथावत् रहेगा;

परन्तु यह और भी कि जिला पंचायतों की आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

(2) **जिला पंचायत में बैठकों की प्रक्रिया आदि**– जिला पंचायत की बैठकों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शासित होंगे–

(क) बैठकों में कार्य सम्पादन,

(ख) कार्य के सम्पादन के लिए गणपूर्ति,

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता,

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना,

(ड.) बैठक की सूचना,

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना,

(छ) मतदान द्वारा निर्णय,

(ज) वृत्त पुस्तिका तथा संकल्प,

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार,

(ञ) जिला पंचायत का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार,

(ट) बैठकों के सम्बन्ध में जिला पंचायत के अधिकारियों का अधिकार,

(ठ) जिला पंचायत का क्रमशः क्षेत्र पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार, तथा

(ड) अन्य आनुषांगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहिये।

(3) जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है–

(क) यथास्थिति, जिला पंचायत के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आँकड़े या अन्य सूचना,

(ख) किसी उप–समिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण, तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र–व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियंत्रण में अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी या मुख्य अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति जिला पंचायत के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।

(4) इस अधिनियम में कोई बात न तो किसी भी जिला पंचायत को, किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकर देगी, जो यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु जिला पंचायत–

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय,, निर्धन–गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण–गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकेगी, और

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

जिला पंचायतों के अधिकार, कृत्य व कर्त्तव्य

104. (1) जिले के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा उसको सौंपे गये कार्यक्रम व योजनाओं तथा क्षेत्र पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को सम्मिलित व समेकित करते हुए सम्पूर्ण जिले के लिए वार्षिक योजना बनाना व जिला नियोजन समिति को प्रस्तुत करना।

(2) क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों का समन्वयक मूल्यांकन, अनुश्रवण करना तथा मार्गदर्शन करना।

(3) क्षेत्र पंचायतों की वार्षिक योजनाओं व आय–व्यय पारित करना।

(4) लोक महत्व के कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त व पंजीकृत संगठनों जो केन्द्र और राज्य स्तर पर क्रियाशील हो भागीदारी करना।

(5) जिले के अन्तर्गत पंचायतीराज के तीनों स्तरों से सम्बन्धित क्रिया कलापों के सुदृढ़ीकरण प्रोत्साहन तथा जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उददेश्य से प्रदर्शनियां, मेले, पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा लोक महत्व व प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सशक्तिकरण के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन व व्यवस्था करना।

(6) अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतीराज से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए किसी व्यक्ति, संस्था व समिति की आर्थिक व अन्य सहायता जो उसके अधिकार में ही उपलब्ध कराना।

(7) पंचायत के कार्यों, प्रशासन तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखना, तथा केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धन को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा सम्बन्धित विभागों को नियत रीति व मानकों के आधार पर वितरित करना।

(8) जिन मेलों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे करे, उनसे भिन्न मेले व उत्सवों का ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धन और

नियंत्रण के प्रयोजन के लिए क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत और उत्सवों के रूप में वर्गीकरण को बदलना।

(9) ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हाट व बाजारों को ग्राम पंचायत के हाट व बाजार तथा जिला पंचायत के हाट बाजार के रूप में श्रेणीबद्ध करना।

(10) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वारा प्रबन्ध, रखरखाव व निर्माण के प्रयोजनार्थ मार्गों का क्रमशः ग्राम मार्ग, अन्तरग्राम मार्ग तथा जिला मार्ग के रूप में वर्गीकरण करना।

(11) एतदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।

(12) इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन सौंपे गए, प्रदत्त व प्रतिनिहित किए गए अन्य अधिकार व कृत्य तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने, प्रदत्त किए जाने व किए जाने वाले अधिकार व कृत्य।

जिला पंचायत द्वारा योजना तैयार करना

105. (1) जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को जिला पंचायत नियोजन एवं विकास एवं प्रशासनिक समिति की सहायता से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार योजना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की वित्त एवं नियोजन समिति के समक्ष रखेगा जो उसमें आवश्यक एवं उचित संशोधन कर सकेगी।

(3) जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति अनुमोदित जिला योजना की जिला पंचायत के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष उसके समक्ष प्रस्तुत योजना में आवश्यकतानुसार परिष्कार यदि आवश्यक हो, करते हुए योजना को मुख्य कार्य पालक जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित जिला योजना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अन्तिम आलेख को जिला योजना समिति के समक्ष उस तारीख तक ऐसे प्ररूप एवं रीति से प्रेषित करेगी, जैसा की नियमो में व्यवस्था की जाय।

उपविधियाँ बनाये जाने के सम्बन्ध में, जिला पंचायत के अधिकार

106. (1) जिला पंचायत अपने प्रयोजनों के लिए और जिला पंचायतों के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है जो जिले के ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से और खण्ड तथा जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त, इस अधिनियम और किसी नियत के सुसंगत, उपविधियाँ बना सकेगी जो जिले के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त हों और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर वह अवश्य ऐसी उपविधियाँ बनायेगी।

(2) विशेषतः तथा उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला पंचायत के उक्त अधिकार का प्रयोग करके निम्नांकित सूची में वर्णित कोई उपविधियाँ बना सकेगी–

क–निर्माण

(क) किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को "महत्वपूर्ण परिवर्तन" घोषित करना,

(ख) वह नियत करना कि एतदर्थ निर्दिष्ट की गई दर से शुल्क देने पर, जिला पंचायत नक्शे तथा निर्दिष्टया प्राप्त की जा सकेंगी,

(ग) वह अविध निश्चित करना जिसमें स्वीकृति मान्य रहेंगी,

(घ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी नियत क्षेत्र में उन इमारतों के, जो बनाई या न बनाई जा सकती हो, प्रकार और विवरण तथा वे प्रयोजन, निजके लिए कोई इमारत बनाई या न बनाई जा सके, नियत करना,

(ड.) वे परिस्थितियाँ नियत करना जिनमें नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अन्य पवित्र इमारत निर्मित पुनर्निर्मित या परिवर्तित की जा सके या न की जा सके,

(च) इमारतों के या उनके किसी वर्ग के निर्माण, पुनर्निर्माण के संबध में निम्नांकित विषयों में सब या कोई नियत करना –

(1) बाहरी और विभाजक दीवारों ,छतों तथा फर्श के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति ,

(2) अग्नि –स्थानों,चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों की स्थिति तथा उनके निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला सामाान और उनके निर्माण की रीति ,

(3) ऐसी सबसे ऊपरी मंजिल की जो मनुष्यों के रहने या भोजन पकाने के कामों के लिये अभिप्रेरित हो छत की ऊंचाई तथा ढाल ,

(4) संवातन तथा स्थान जो इमारत के चारों ओर वायु के निर्बाध संचालन तथा धर की सफाई को सुन्दर बनाने तथा आग लगाने की रोक थाम के निम्मित छोडा जायेगा ;

(5) नींव की सतह तथा चौडाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और निर्माण का स्थायित्व;

(6) इमारत में बनायी जाने वाली मंजिलों की संख्या और ऊंचाई;

(7) आग लग जाने पर इमारत से बाहर निकल जाने की व्यवस्था;

(8) कोई ऐसा अन्य विषय जिसका इमारत में संवातन या स्वच्छता पर प्रभावा पड़े, और

(9) जल को कलुसित होने से बचाने एवं कुंए का उपयोग करने वाली किसी व्यक्ति के लिये पैदा होने वाले संकट का निराकरण करने के उददेश्य से ऐसी शर्ते जिनके अधीन रहते हुए किसी कुंए के निर्माण में या उसमें परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जा सके।

(छ) नियंत्रित ग्राम क्षेत्र के अर्न्तगत किसी भूमि पर किसी घेरे ,दीवार ,मेड तम्बू तिरपाल या अन्य संरचना का चाहे वह किसी भी प्रकार की हो निर्माण किसी ऐसी रीति से विनियमित करना जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो।

ख–नालियाँ, शौचालय, पाइप, नलकूप आदि

(क) किसी ऐसी रीति से जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है नालियों संवातन की नालियों तथा पाइपों, जल प्रक्षालित तथा अन्य शौचालयों, मूत्रालयों, नलकूपों या अन्य जलोत्सारण कार्यों के निर्माण, परिवर्तन अनुरक्षण परिरक्षण सफाई और मरम्मत का विनियमन।

(ख) नालियों में मल कूडा करकट गन्दा पानी तथा अन्या क्षोभकर या अवरोधक पदार्थों के फेंके या जमा किये जाने का विनियमन या निषेध ।

ग–सड़कें

(क) जिला पंचायत को दी जाने वाली सूचनायें तथा नक्शों को आधारित करना।

(ख) फेरी लगाने वाले विकेताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुऐ बेचने या अन्य व्यापार करने अथवा कोई कपडे या लकडी की बनायी हुई दुकान या कोई स्टाल स्थापित करने के लिये किसी या समस्त सार्वजनिक सडकों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासन की अनुमति देना या उसका निषेध या विनिमय तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उपग्रहीत करनें की व्यवस्था करना।

(ग) वे शर्ते विनियमित करना जिन पर क्षेत्र पंचायत द्वारा सडकों और नालियों के ऊपर तथा जिला पंचायत द्वारा अस्थायी रूप से सडकों के अध्यासन की अनुमति दी जा सके।

घ –बाज़ार, वधशालाओं, भोजन–विकय आदि

(क) जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान को वधशाला के रूप में अथवा मानव भोजन के लिये प्रेरित पशुओं या मांस या मछली के विकय के लिये बाजार या दुकानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध।

(ख) शर्ते जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबध हमे ऐसे प्रयोंग के लिये लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलंबित किये जा चुके हैं या वापस लिये जा चुके हैं, नियत करना।

(ग) पूर्वोत्तर रूप में प्रयोग किये जानें वाले स्थान के निरीक्षण तथा उसमें व्यापार के संचालन के विनिमयन की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वछता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद क्षेमकर या भय प्रद प्रभाव जो वहां से उत्पन्न कों ता हो या जिसके वहां से उत्पन्न होने की सम्भावना हो कम हो जाय।

(घ) बाजारों तथा वधशालाओं, अश्वशालाओं शिविरों भूमियों सरायों आटा चक्कियों नानबाई की दुकानों निर्दिष्ट, खाद्य या पेय पदार्थों की तैयारी या विकय के लिये स्थानों अथवा विकय या किराये के लिये पशुओं को अथवा ऐसे पशुओं को जिनसे प्राप्त पदार्थ बेचे जाते हैं रखने या प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों की तथा सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों की स्थापना के लिये और उसके विनियमन तथा निरिक्षण के लिये तथा उसमें समुचित रूप से तथा स्वच्छता से व्यापार के संचालन के लिये व्यवस्था करना। और

(ङ) शर्ते जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें ओर क्षेत्र तथा स्थान जिनके सम्बन्ध में उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेंस स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किए जा सके या वापस लिये जा सके नियत करना तथा ऐसे लाइसेंसों के लिये देय शुल्क निश्चित करना तथा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत लइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित व्यापार के स्थानों का निषेध करना।

ङ.–क्षेमकर व्यवसाय

(क) सिवाय जब और तक कोई बात पेट्रोलियम, ऐक्ट 1934 (ऐक्ट सं0 30,1934) तथा तद्धीन बनाये गये नियमों की किसी बात से असंगत हो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये कारखाने के या व्यापार के अन्य स्थानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध करना–

(एक) मांसोच्छिट रक्त हड्डियों अंतडियों या चिथडों को उवालना या उनका संग्रह करना;

(दो) चमडा या चमडे की वस्तुओं का निर्माण;

(तीन) चरबी या गन्धक पिघलाना;

(चार) ईंट खपरेल या चौके की मिट्‌टी के बर्तन या चूना जलाना या पकाना;

(पांच) साबुन बनाना;

(छः) तेल उबालना;

(सात) सूखी घास भूसा पुआल लकडी कोयला या अन्या भयानक रूप से ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह रखना;

(आठ) पैट्रोलियम या किसी अन्य ज्वलनशील द्रव्य, पदार्थ या स्प्रिट का संग्रह रखना;

(नौ) रूई या रूई के क्षेप्य का संग्रह रखना या उसे दबाना;

(दस) कोई अन्य प्रयोजन यदि ऐसे प्रयोग से लोक कंटक पैदा होने या आग लगने का भय हो।

(ख) वे परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें नियत करना किन्तु इस प्रकार नहीं कि धारा 106(ख ख) द्वारा जिला पंचायत को प्राप्त किसी अधिकार को अल्पीकरण हो, और

(ग) पूर्वोत्तर रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान में व्यापार के संचालन के निरिक्षण तथा विनियम की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद क्षोभकर सा भयप्रद प्रभावा जो वहां से उत्पन्न होता या होने की संभावाना हो कम हो जाय।

च–सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा

(क) सडकों पर किसी प्रकार के यातायात के विनियमन या निषेध की व्यवस्था करना जहां ऐसा विनियमन या निषेध जिला पंचायत को आवश्यकत प्रतीत हो।

(ख) जिले के ग्राम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर दिये जाने के लिए रखे गये अथवा किराये पर चलने वाले वाहनों (मोटर गाड़ियों को छोड़कर) नावों, या पशुओं के स्वामियों या चालको पर अथवा बोझा ले जाने की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर लाइसेंस लेने का आधार आरोपित करना तथा ऐसे लाइसेंसें के लिये देय शुल्क और वे शर्तें निश्चित करना जिन पर वे स्वीकृत किये जायें ओर वापस लियें जायें ।

(ग) ऐसे स्थानों निश्चित करना जहां पर नावें बांधी जा सकती है या भारयुक्त की जा सकेगी और उसके प्रयोग को विनियमित करना और ऐसे स्थानों को छोडकर जो जिला पंचायत द्वारा नियत किये जाएं और कहीं नांव बाँधने या भारयुक्त या भारमुक्त करने का निषेध करना।

(घ) जिले की ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने और उनके जब्त किये जाने की व्यवस्था करना।

(ङ.) सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की वृद्धि के उद्‌देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियम, जिससके लोक कंटक पैदा होता हो या पैदा होने की सम्भावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था नही की गई हों।

(च) पेयजल सम्भरण की व्यवस्था तथा विनियमन।

छ–रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

(क) कब्रिस्तानों तथा शमशानों के प्रयोग तथा प्रबन्ध का नियंत्रण तथा विनियमन और यदि ऐसे स्थानों की व्यवस्था जिला पंचायत ने की हो तो उनके निमित्त लिए जाने वाले शुल्क निश्चित करना और शवों को कब्रिस्तान या शमशान ले जाने के लिए मार्ग नियत करना या निषिद्ध करना,

(ख) स्वच्छता तथा स्वच्छता संरक्षण का विनियमन,

(ग) पूर्वगामी उप शीर्षक के अधीन एतदर्थ कोई उपविधि न बनाई जाने की दशा में, वासगृहों की रजिस्ट्री तथा उनके निरीक्षण और अति भीड़ होने की रोकथाम की व्यवस्था करना, उनमें किसी संक्रामिक या संसर्गिक रोग फैलने की दशा में दिये जाने वाले नोटिस नियत करना तथा सामान्यतया वास–गृहों के समुचित विनियमन की व्यवस्था करना,

(घ) रोगों की रोकथाम या स्वच्छता के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो।

ज–प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई व्यवस्था न की गई हो,

(ख) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जन्म, मरण तथा विवाहों की रजिस्ट्री और जन–गणना करने और ऐसी सूचना जो उक्त रजिस्ट्री या जन–गणना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, अनिवार्यतः दिये जाने की व्यवस्था करना,

(ग) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर, किसी भी वस्तु को, सरकारी हो या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की हो अथवा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में हो, क्षति या हस्तक्षेप से बचाना,

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र के भीतर तथा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के नियत्रंण में मेलों और औद्योगिक प्रदर्शनियों आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनमें उद्गृहीत किये जाने वाले शुल्क निश्चित करना,

(ङ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र में इमारतों और भूमियों के स्वामियों द्वारा, इस अधिनियम या किसी नियम अथवा उपविधि के सभी या किसी प्रयोजन के लिए, उनके अभिकर्ता के रूप में काम करने के निमित्त ऐसे व्यक्तियों की जो उक्त क्षेत्र में या उसके निकट रहते हों, नियुक्ति की अपेक्षा करना तथा उसका विनियमन,

(च) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के कब्जे के ऐसे अभिलेखों तथा लेख्यों को निर्दिष्ट करना जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो या जिनकी प्रतिलिपियाँ दी जा सकती हों तथा ऐसे अभिलेखों अथवा लेखों के निरीक्षण या प्रतिलिपियां के निमित्त लिए जाने वाले शुल्क निर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण और प्रतिलिपियों का दिया जाना विनियमित करना,

(छ) औषधीय भेषजों के विक्रय तथा औषधयोजन के लिए लाइसेन्स देने की व्यवस्था करना,

(ज) सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करने वाली दाइयों की रजिस्ट्री तथा उनके नियंत्रण की व्यवस्था करना,

(झ) प्रसूति–केन्द्रो तथा शिशु कल्याण–गृहों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(ञ) शरीर–संवर्धन संस्थाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करना,

(ट) निर्धन–गृह, अनाथालय, पुस्तकालय, शरणालय, पशु–चिकित्सालय, बाजार, निरीक्षण गृह, सार्वजनिक पार्क और उद्यान तथा अन्य सार्वनजिक संस्थाएं विनियमित करना,

(ठ) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के प्राधिकार के अधीन या अन्यथा लगने वाले ऐसे मेले, पशु–बाजार, कृषि प्रदर्शन तथा औद्योगिक प्रदर्शनियाँ, जिनमें सर्वसाधारण को प्रवेश करने का अधिकार हो, विनियमित करना,

(ड) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के नियंत्रणाधीन किन्ही स्रोतों, जलमार्गों या नालियों के अवरोध का निषेध करना तथा किसी ऐसे अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना,

(ढ) खतरनाक इमारतों, पेड़ों या स्थानों को हटाना, गिराना या उन्हें निरापद बनाना,

(ण) लावारिस, रोगग्रस्त या पागल कुत्तों तथा हानिकर पशुओं के विनाश की व्यवस्था करना,

(त) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की वृत्त–पुस्तिकाओं तथा जिला पंचायत की निर्धारण–सूचियों के निरीक्षण के लिए शर्त नियत करना,

(थ) किसी गन्दे पानी के गड्ढे, नाली, स्टीम इंजिन या ब्वायलर के पानी के अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानिप्रद पदार्थ के किसी नदी, तालाब या जल–सम्मरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में, जिसका पानी साधारणतया पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, डाले जाने का निषेध करना।

इमारतों, सार्वजनिक नालियों तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में अधिकार और शास्ति
इमारतों का विनियमन

106(ख) परिभाषा–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए–

(क) "समुपयुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य क्षेत्र पंचायत से होगा यदि विषय क्षेत्र पंचायत के कृत्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो तथा शेष दशाओं में जिला पंचायत से होगा।

(ख) क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र भी है क्षेत्र पंचायत का तात्पर्य उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली क्षेत्र पंचायत से होगा।

106(ग) इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा–(1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय की धारा 106(घ), 106(ड.), 106(च), 106(छ), 106(ज), 106(झ), 106(ञ), 106(ट), 106(ठ), 106(ढ), 106(ण), 106(त), 106(द), 106(ध), 106(न), 106(क क), 106(क ख), 106(क ग), 106(क घ.), 106(क च), 106(क छ), 106(ख झ), 106(ख ढ) और 106(ख त) के उपबन्ध ग्राम्य क्षेत्र के केवल

उन्हीं भागों में प्रवृत्त होंगे जो जिला पंचायत द्वारा इस धारा के अधीन निर्दिष्ट किये गये हों।

(2) जिला पंचायत संकल्प द्वारा घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) में उल्लिखित धाराओं या उनमें से किसी एक या अधिक धाराओं के उपबन्ध जिले के ग्राम्य क्षेत्र के उस भाग में प्रवृत्त होंगे जो संकल्प में निर्दिष्ट किया हो और तत्पश्चात् संकल्प में वर्णित धाराओं के उपबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त होगें और वह क्षेत्र "नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र" कहलायेगा;

परन्तु यह कि नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों को संकल्प के सार्वजनिक नोटिस उस रीति से दिया जा चुका हो जो नियमों द्वारा नियत की जाये।

106(घ) इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा--(1)नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुऐं को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में जिला पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधि के निदेशों के अनुसरण से अन्यथा नहीं किया जायेगा और उसका आरम्भ तब तक न किया जायेगा जब तक कि क्षेत्र पंचायत को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन का ऐसे ब्योरों सहित, जिनका उक्त नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, न्यूनतम एक महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में न दे दिया गया हो :

(2) किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण समझा जायेगा यदि--

(क) उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल--निस्तारण संवातन स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इमारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो ; या

(ख) उससे किसी इमारत की ऊंचाई, क्षेत्रफल या धन धारिता बढ़ती या घटती हो या इमारत के किसी कमरे की धन धारिता किसी उपविधि द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो ; या

(ग) उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग, जो मूलतः अन्य प्रयोजनों के लिये बनाया गया हो, मनुष्यों के रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाय ; या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो, जो एतदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो।

निर्माण--कार्य की क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति

106(ड.) क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण--कार्य की स्वीकृति--(1)किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे निर्माण--कार्य के लिए, जिसके सम्बन्ध में धारा 47(घ) के अधीन नोटिस दिया गया हो, स्वीकृति देने से इन्कार कर सकती है या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नांकित के अधीन रहते हुये स्वीकार कर सकेगी--

(क) ऐसा लिखित निदेश, जिसे क्षेत्र समिति धारा 106(क) की उपधारा (2) के शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (च) में उल्लिखित सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में देना उचित समझे ; या

(ख) ऐसा लिखित निदेश, जिसमें किसी इमारत या इमारत के भाग की धारा 191 के अधीन नियत सड़क की नियमित निर्माण रेखा तक या ऐसी रेखा के नियत न होने की दशा में किसी पास की इमारत या इमारतों के अग्रभाग की रेखा तक पीछे हटाना अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इन्कार करने की दशा में, क्षेत्र पंचायत धारा 106(घ) के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को उक्त अस्वीकृति के कारणों की लिखित रूप से सूचना देगी।

(3) यदि क्षेत्र पंचायत धारा 106(घ) के अधीन वैध नोटिस प्राप्त होने के बाद एक मास तक उस नोटिस के सम्बन्ध में उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और उसे उस व्यक्ति के पास, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, पहुँचाने में उपेक्षा या चूक करे तो उक्त व्यक्ति लिखित पत्र द्वारा क्षेत्र पंचायत का ध्यान उस उपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है, और यदि ऐसी उपेक्षा चूक एक मास तक और जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि क्षेत्र पंचायत ने प्रस्तावित निर्माण–कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

106(च) स्वीकृति की अवधि--(1) क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(ड.) के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति तीन वर्ष तक या उससे कम ऐसी अवधि के लिए, जो उपविधि द्वारा नियत की जाय, मान्य रहेगी।

(2) उक्त अवधि समापत होने के बाद प्रस्तावित निर्माण–कार्य पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

106(छ) ऐसे निर्माण–कार्यों का निरीक्षण जिनके लिए स्वीकृति अपेक्षित हो– प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी और यदि क्षेत्र पंचायत के संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत हो तो क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य सदस्य अधिकारी या सेवक किसी भी समय, और बिना किसी चेतावनी के किसी ऐसे निर्माण कार्य का, जिसके सम्बन्ध में धारा 47(घ) के अधीन नोटिस अपेक्षित हो–

(क) जब निर्माण–कार्य हो रहा हो, या

(ख) उसके पूर्ण हो जाने के प्रतिवेदन की प्राप्ति को एक महीने के भीतर, या ऐसा प्रतिवेदन न मिलने की दशा में उस निर्माण–कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है।

106(ज) दिये गये आदेश के कारण हुई क्षति के लिए प्रतिकर– इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 106(घ) के अधीन नोटिस देने वाला कोई व्यक्ति, क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(ड.) के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिए कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा, जब तक कि–

(क) उक्त आदेश इस कारण से भिन्न कारण से न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण–कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन करेगा या जनसाधारण या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा, या

(ख) उक्त आदेश में खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई निवेश की प्रकृति या जनसाधारण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्थित न हो, या

(ग) उक्त आदेश में धारा 106(ड.) की उप धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश न हो, या

(घ) उक्त आदेश में किसी इमारत के पुनर्निर्माण की स्वीकृति इस आधार पर देने से

इंकार न किया गया हो कि उसकी योजना या रचना उस स्थान के लिए अनुपयुक्त है या वह अपने प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत हैं जो उस स्थान के लिए अनुपयुक्त है या किसी उपविधि का उल्लंघन होता है।

106(झ) धारा 106(ड.) के अधीन स्वीकृति का प्रभाव– (1) धारा 106(ड.) के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति उस व्यक्ति को, जिसके स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी जाये, किसी ऐसे शास्ति या फल से विमुक्त करने के अतिरिक्त जिसका वह धारा 106(ञ), 106(ट) या 106(क ट) के अधीन अन्यथा भागी होता, कोई अधिकार या असमर्थता प्रदान या समाप्त नही करेगी, न ही प्रतिष्टम्भ अथवा स्वीकरण के रूप में प्रवर्तित होगी, न सम्पत्ति में किसी आगम को प्रभावित करेगी और न उसका किसी अन्य प्रकार का कोई विधि प्रभाव हीं होगा।

(2) विशेषतः ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति को धारा 106(क क) द्वारा आरोपित इस आभार से मुक्त नहीं करेगी कि वह उस धारा में उल्लिखित किसी संरचना के लिए अलग स्वीकृति प्राप्त करें

106(ञ) इमारत कर अवैध निर्माण या परिवर्तन – जो व्यक्ति अपेक्षित नोटिस दिये बिना या जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति देने से इंकार करने के आदेश का या क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(ड.) के अधीन दिये गये किन्ही लिखित निदेशों का या किसी उपविधि का उल्लंघन कर इमारत के किसी भाग का निर्माण पुनर्निर्माण या उसमें कोई महत्वपुर्ण परिर्वतन या कोई कुऑ बनाना या उसे बडा करना आरम्भ करे जारी रखे या उसे पूरा करें तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पॉच सौ रुपये तक हो सकता है ।

106(ट) निर्माण रोकने तथ निर्मित इमारत को गिराने के क्षेत्र पंचायत के अधिकार – जिला पंचायत किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी की उस भूमि पर किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से या उसमें कोई कुऑ बनाने या उसे बडा करने से रोकने का निर्देश दे सकती है जब यह समझे कि ऐसा निर्माण पुननिर्माण परिवर्तन बनाया जाना या बडा किया जाना 106(ञ) के अधीन अपराध है और उसी प्रकार वह यथास्थिति इमारत या इमारत के भाग या कुऍं में परिवर्तन करने या उसे गिराने का जैसा भी वह आवश्यक समझे निदेश दे सकती है।

सार्वजनिक नालियॉं

106(ठ) सार्वजनिक नालियॉं–(जिला पंचायत) नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर ऐसी नालियों बना सकती है जिन्हें वह किसी बने हुये क्षेत्र को समुचित रुप से स्वच्छ रखने तथा जलोत्सारित करने के लिए आवश्यक समझें और ऐसी नालियों को किसी सडक या स्थान के बीच से या उनके आर पार या उसके नीचे से ले जा सकती है तथा स्वामी या अध्यासी को यथोचित लिखित नोटिस देने के बाद उन्हें किन्ही इमारतों या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से ले जा सकती है:

परन्तु यह कि नियमों द्वारा व्यवस्थित रीति से आकलित प्रतिकर उक्त स्वामी या अध्यासी को अदा कर दिया जाएगा।

106(ड) सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन–(1) जिला पंचायत समय समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बडा या छोटा कर सकती है या उसके मार्ग को बदल सकती है

उसे ढक सकती है या उसमें अन्य सुधार कर सकती है और ऐसी किसी नाली को रोक सकती है बन्द कर सकती है या हटा सकेगी।

(2)उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि जब जिला पंचायत उक्त अधिकार का प्रयोग करने किसी व्यक्ति को किसी वर्तमान सार्वजनिक नाली के उपयोग से वंचित करे तो वह उसके बदले एक दूसरी तथा उतनी ही उपयोगी नाली की व्यवस्था करेगी।

106(ढ) सार्वजनिक नाली का उपयोग स्वामियों द्वारा--(1) ग्राम्य के भीतर किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी को अपनी नालियों जिला पचायत की नालियों में गिराने का अधिकार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले क्षेत्र पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त कर लें और किसी उपविधि से सुसंगत ऐसी शर्तो का अनुपालन करें जिन्हें जिला पंचायत उस रीति तथा उस अधीक्षण के सम्बन्ध में नियत कर जिसमें या जिसके अधीन क्षेत्र पंचायत में निहित न हुई नालियों के प्रवाह को इस प्रकार विहित हुई नालियों से मिलाया जायेगा।

(2) जो व्यक्ति जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना या किसी प्रविधि या उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश अथवा लगायी गयी किसी शर्त का उल्लंघन करने अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को जिला पंचायत में निहित किसी नाली से जोडे या जुडवाये या ऐसे किसी जोड में परिवर्तन करे या करवाये तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है तथा जिला पंचायत लिखित नोटिस द्वारा उक्त व्यक्ति से ऐसे जोड को बन्द करने, तोड देने, परिवर्तित करने, पुनर्निर्मित करने या उस सम्बन्ध में ऐसी अन्य कोई कार्यवाई करने का अपेक्षा कर सकती है जो वह उचित समझे।

सडक सम्बन्धी विनियम

106(ण) ऐसे स्थल पर जो कि सार्वजनिक या निजी सडक से लगा हुआ न हो इमारत का निर्माण करने के पहले सडक का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध-- उस दशा को छोड कर जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ हो हो यदि कोई व्यक्ति जो किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो जो उस समय तक इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त करना, बेचना, पट्टे पर देने या अन्यथा संक्रमित करने के पूर्व एक सडक का विन्यास और निर्माण करेगा जो उत्क स्थल को किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी सड़क से मिलाये।

106(त) सडक के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति --(1) किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी नयी सडक का विन्यास या निर्माण आरम्भ करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सडक के विन्यास अथवा निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिये क्षेत्र पंचायत को एक प्रार्थना पत्र देगा और उसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करेगा--

(क) सडक की प्रस्तावित सतह दिया तथा चौडाई,

(ख) सडक का समरेखाकरण और उसकी निर्माण रेखा, तथा

प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि सडक को समतल करने उसमें खडन्जा लगाने उसे पक्का करने उसमें पत्थर लगाने तथा मोरियाँ बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा।

(2) किसी सार्वजनिक सडक की सतह और चौडाई तथा उससे लगी हुई इमारत की उचाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम के तथा उसके बनाये गये किन्ही नियमों या उपविधियों के उपबन्ध उपधारा(1) में उल्लिखित सडक के विषय में भी प्रवृत होगें तथा उस उपधारा में उल्लिखित अन्य समस्त विवरण क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन के अधीन होगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना पत्र प्रति के साठ दिन के भीतर क्षेत्र पंचायत सडक के विन्यास अथवा निर्माण की स्वीकृति ऐसी शर्तो के अधीन देगी जिन्हें लगाना वह ठीक समझे या उसे अस्वीकृत कर देगी अथवा निर्दिष्ट किये गये समुचित समय सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना मॉगेगी।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार किया जा सकता है यदि--

(एक) प्रस्तावित सडक से किन्ही ऐसे प्रबन्धों में बाधा पडे जो सडक में सुधार करने की किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिये गये हो या क्षेत्र पंचायत की राय में जिसके किये जाने की संभावना हो, अथवा

(दो) प्रस्तावित सडक उपधारा (2) में उल्लिखित अधिनियम नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुरुप न हो ,अथवा

(तीन) प्रस्तावित सडक की प्ररचना ऐसी न हो जिसका न्यूनतम छोर एक सार्वजनिक सडक से मिले।

(चार) कोई व्यक्ति जिला पंचायत के आदेशों के बिना अथवा उसके आदेशों के अनुरुप किसी नई निजी सडक अथवा मार्ग का विन्यास या निर्माण नही करेगा। यदि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना मॉगी गई हो तो उक्त सडक का विन्यास अथवा निर्माण तब तक आरम्भ नही किया जायेगा जब तक कि उक्त सूचना को प्राप्ति के पश्चात प्रार्थना पत्र पर आदेश न दे दिया गया हो;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत को ऐसी समस्त सूचना मिलने के पश्चात जिसे वह प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण के लिये आवश्यक समझे ऐसे आदेश देने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक का विलम्ब नही किया जायेगा।

106(थ) कुछ दशाओं में सडक के विन्यास अथवा निर्माण के लिये जिला पंचायत की स्वीकृति का मान लिया जाना-- यदि जिला पंचायत धारा 106(त) के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात साठ दिन तक स्वीकृति प्रदान करने में उपेक्षा या चूक करे अथवा यदि अतिरिक्त सूचना मांगने के निमित उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को जिसने प्रार्थना पत्र दिया हो जिला पंचायत अपेक्षित सूचना के ब्यौरे भेजने में असफलता की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि तीस दिन तक ऐसी उपेक्षा चूक या असफलता जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि क्षेत्र पंचायत ने प्रस्तावित सडक के विन्यास तथा निर्माण के लिए पूर्ण रुप से स्वीकृति दे दी है:

परन्तु यह कि इसमें दी हुई किसी बात से यंह अर्थ न निकाला जायेगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा किन्हीं उपविधियों का उल्लंघन करने कोई कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

106(द) स्वीकृति की अवधि– (1) क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(त) तथा 106(थ) के अधीन दी गयी अथवा दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित सडक पुर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति बिना आरम्भ नही की जायेगी।

106(ध) सड़क का अवैध निर्माण– जो व्यक्ति धारा 106(त) द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना अथवा जिला पंचायत द्वारा धारा 106(थ) या किसी अपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिये गये लिखित निदेश का उंल्लंघन करके किसी का विन्यास अथवा निर्माण आरम्भ करे उसे जारी रखें अथवा पुरा करे तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पॉच सौ रुपये तक हो सकेगा।

106(न) अस्वीकृत सड़क को परिवर्तित करने तथा उसे तोड़ देने के संबन्ध में (क्षेत्र पंचायत) के अधिकार– (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 106(त) में उल्लिखित किसी सडक के विन्यास अथवा निर्माण के आदेश के बिना अथवा उनके अनुरूप करता है तो इस बात के होते हुए भी की दोषी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा –

(क) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे तारीख को या उसके पूर्व जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, जिला पंचायत के पास लिखित एवं अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत उत्तर भेज कर इस बात का पर्याप्त कारण बताइये कि उस सडक को क्षेत्र पंचायत के संतोषानुसार क्यों न परिवार्तित कर दिया जाय अथवा यदि ऐसा परिवर्तन अव्यवहार्य हो तो वह सडक क्यों न तोड दी जाय, अथवा

(ख) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह या तो स्वयं या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायें, क्षेत्र पंचायत के सम्मुख उपस्थित हो और यथा पूर्वोक्त कारण बताइये।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया गया हो जिला पंचायत के संतोषानुसार पर्याप्त कारण न बता सके, तो क्षेत्र पंचायत सडक को परिवर्तित करने अथवा तोड देने के लिये जो भी वह उचित समझे, आदेश दे सकती है।

106(क क) सडकों तथा नालियों के उपर प्रक्षेपों के लिये जिला पंचायत की स्वीकृति–

(1) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिनमें किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्रों में सडकों या नालियों के उपर प्रक्षेपों के लिये जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति की शर्तों नियत की गयी हों क्षेत्र पंचायत उस दशा में जब अनुमति दी जाने की किसी उपविधि द्वारा व्यवस्था की गयी हो–

(क) सडकों में या उन पर स्थित इमारतों के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह खुले बरामदों छज्जों या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार के करें कि उनकी किसी उपरी मंजिल से उनका प्रक्षेप सडक की सतह से उतनी उंचाई पर रहे और इमारतों की कुर्सी या नींव की दीवार की रेखासे उतना आगे रहे जितना उक्त उपविधियो में नियत किया गया हो

(ख) किसी इमारत या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार करें कि वह किसी सडक की नाली के उपर उस नियत आयति तक तथा शर्तों के अनुसार जो उसी प्रकार नियत की गयी हो लटके, बढ़े या उस पर अतिकमण करें।

(2) उपधारा (1)के खण्ड(क) के अधीन अनुमति देते समय क्षेत्र पंचायत वह आयति और शर्तें नियत कर सकती है जिस तक और जिनके अधीन उक्त सडक के उपर कोई छतों,

ओलतियों, जल फलको दुकानों के तख्तों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को सडक पर बढने की अनुमति हों।

106(क ख) बिना अनुमति के सडकों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति– जो व्यक्ति किसी प्रक्षेप अथवा संरचना का निर्माण या पुननिर्माण उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अनुमति के बिना अथवा उसके आधीन दी गयी किसी अनुमति का उल्लंघन करके करे,वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो 50 रूपये तक होगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(क ग) सडकों तथा नालियों के उपर अतिकमण करने वाले मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार– जिला पंचायत किसी इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वाह किसी सडक पर व लटकने वाले उस पर बढ़े हुए या उस पर अतिकमण करने वाले अथवा उस पर की किसी नाली,मल नाली अथवा जल प्रणाली में या उस पर या उसके उपर बने हुए किसी प्रक्षेप अथवा संरचना को हटा दे अथवा उसमें परिवर्तन करें;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अथवा इसके पूर्व विधितः विद्यमान किसी प्रक्षेप अथवा संरचना की दशा में क्षेत्र पंचायत उसे हटाने अथवा उसमें परिवर्तन करने के फलस्वरूप होने वाली किसी क्षति के लिये प्रतिकर देगी जो निर्माण करने तथा गिराने व्यय के तिगुने से अधिक नही होगा।

106(क घ) सडकों के समतल किये जाने तथा उसमें खडंजा लगाये जाने आदि की अपेक्षा करने का अधिकार–(1) यदि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में निजी सडक अथवा उसका कोई भाग क्षेत्र पंचायत के संतोषानुसार समतल न किया गया हो उसमें खडंजा न लगाया गया हो या उसको पक्का न किया गया हो या उसमे पत्थर न लगाये गये हो तो क्षेत्र पंचायत उन भू –गृहादि के जिनके अग्र भाग उक्त सडक या भाग की ओर हों या जो उसे लगे हुए हो स्वामियों अथवा अध्यासियें की नोटिस देकर उनसे अपेक्षा कर सकती है कि वे उस कार्य को जो उसकी राय में आवश्यक हो उस समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाये, सम्पादित करें।

(2) यदि उक्त कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्पादित न किया जाय तो (जिला पंचायत) यदि वह उचित समझे उसे सम्पादित करे सकती है ,तथा उसमें किया गया व्यय उक्त नोटिस की अवहेलना करने वाले स्वामियों अथवा अध्यासियों के अध्याय आठ के अधीन उनके अपने अपने भू–गृहादि के अग्रभागों के अनुसार और ऐसे अनुपात में जो क्षेत्र पंचायतनिश्चित करें, वसूल किया जायेगा।

(3) यदि पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन कोई सडक समतल की गयी हो या उसमें खडंजा लगाया गया हो या वह पक्की की गयी हो या उसमें पत्थर लगाये गये हों या मोरियां तथा नालियां बनायी गयी हों ऐसी सडक उसके स्वामियों के न्यूनतम तीन चौथाई की अभ्यर्थना पर सार्वजनकि सडक घोषित कर दी जायेगी ।

106(क ड.) इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षण की अपेक्षा करने का अधिकार–

(1) क्षेत्र पंचायत की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति कोई पेड या उसकी कोई शाखा नहीं काटेगा परिवर्तन अथवा उसकी मरम्मत करेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रकार का हो कि उससे सडक का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोध, खतरा या क्लेश का संकट पैदा हो।

(2) क्षेत्र पंचायत किसी भी समय नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि उपधारा (1) में उल्लिखित कार्यों मे से कोई कार्य करने वाला अथवा करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति तब तक उस कार्य को प्रारम्भ न करें अथवा जारी रखने से रूका रहे जब तक कि वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश के साथ ऐसी बाडा अथवा पर्दा जो नोटिस में उल्लिखित या वर्णित हो न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे तथा उनकी व्यवस्था न करे और वह किसी भी समय नोटिस द्वारा यह भी अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्यों में से किसी कार्य की प्रत्याशी से अथवा उसके अनुसरण में निर्मित किसी पर्दे अथवा बाड़े की नोटिस में नियत समय के भीतर, हटा दे।

(3) जो व्यक्ति उपधारा(1) के उपबन्धों का उल्लंधन करे वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा, जो 50 रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय तथा प्रथम दोषसिद्ध की तारीख के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उक्त उल्लंधन जारी रहे, अतिरिक्त अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पचास रूपये तक हो सकेगा।

106(क च) झाड़ियों और पेड़ों को छांटने की अपेक्षा का अधिकार – जिला पंचायत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यायी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर उगी हुई सडक के पास की झाड़ियों को या उस पर उगे हुऐ पेडों की एसी शाखाओं को जो सडक के ऊपर लटकती हों और उसे अवरूद्ध करती हों या खतरा पैदा करती हों काटे या छांटे।

106(क छ) आकस्मिक अवरोधों को हटाने का अधिकार –

जब कोई निजी मकान, दीवार या अन्य निर्माण या उससे जुडी हुई कोई अन्य वस्तु या कोई पेड गिर पडे और सार्वजनिक नाली को अवरूद्ध करे या सड़क को रोक ले तो क्षेत्र पंचायत ऐसे अवरोध या रोक को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकेगी और उस व्यय को अध्याय–आठ में व्यवस्थित रीति से वसूलकर सकेगी या नोटिस द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह नोटिस में निर्दिष्ट मे समय के भीतर उसे हटा दे।

106(क ज) किसी सडक को प्रभावित करने वाली जल प्रणालियों तथा नाली के पानी के निकास के लिये बने पाइपों का विनिमयन– जिला पंचायत नोटिस द्वारा सडक से लगी हुई किसी इमारत अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है वह इमारत अथवा भूमि के पानी को ग्रहण करने तथा उसे बाहर ले जाने और उसकी ऐसी रीति से जिसे क्षेत्र पंचायत ठीक समझे, निकासी के लिये, जल प्रणालियों तथा पाइपों की व्यवस्था करे और उन्हें अच्छी दशा में रखे जिससे कि सडक पर चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो

सार्वजनिक सड़कें

106(क झ) सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण ,उनका सुधार तथा स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार– जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत–

(क) किसी नई सार्वजनिक सडक का विन्यास तथा निर्माण कर सकती है और सुरंगे तथा उसके सहायक अन्य निर्माण बना सकती है।

(ख) किसी वर्तमान सार्वजनिक सडक की यदि वह यथास्थिति (जिला पंचायत)या (क्षेत्र पंचायत) में निहित हो चौडी लम्बी, विस्तृत या परिवर्धित कर सकती है अथवा उसमें अन्य सुधार कर सकती है।

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक सडक को ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जाऐं मोड बदल या रोक सकती है अथवा बन्द कर सकती है।

(घ) स्वमति से उतनी लम्बाई–चौडाई के जो वह उचित समझे निर्माण–स्थलों की व्यवस्था कर सकती हो। जो किसी ऐसी सार्वजनिक सडक से लगे हुऐ या उसके पार्श्वस्थ हो जो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा खण्ड (क) (ख) (ग) के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित अथवा चौडी, लम्बी, विस्तृत अथवा परिवर्धित की गयी हो अथवा सुधारी गयी हो।

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धेां के अधीन रहते हुए, जिसमें वे शर्तों नियत की गयी हों जिन पर जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्पति अर्जित की जा सकती हो। किसी ऐसी भूमि को उस पर स्थित इमारतों सहित जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डो द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके हाथ में ली गयी अथवा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्य के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उसके स्वामी के साथ कोई अनुबन्ध करके अथवा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) या अन्य किसी विधि के अधीन अर्जित कर सकेगी, तथा

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसमें वे शर्तो नियत की गयी हों, जिन पर जिला पंचायत का जिला पंचायत मे निहित संपति संकामित की जा सकती हो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा खण्ड (ड.) के अधीन अर्जित किसी संपति को अथवा जिला पंचायत द्वारा सार्वजनिक सडक से रूप में प्रयुक्त किसी ऐसी भूमि को, जिसकी ऐसी भूमि को जिसकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता न रह गयी हों पटटे पर दे सकती है बेच सकती है और ऐसा करने में वह उस पर विद्यमान किसी इमारत को हटाने उस पर बनायी जाने वाली किसी नई इमारत के रूप, अवधि जिसके भीतर ऐसी नयी इमारत पूरी की जायेगी तथा किसी अन्य ऐसे विषय के सम्बन्ध मे जो वह उचित समझे कोई शर्त लगा सकेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कार्य हाथ में लेने में जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या किसी भी दशा में उपासना अथवा धार्मिक पवित्रता के किसी स्थान में हस्तक्षेप या उसका अतिक्रमण नहीं करेगी।

106(क ञ) किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना– (1) जिला पंचायत किसी भी समय किसी सडक पर जो सार्वजनिक सडक न हो अथवा ऐसी सडक के किसी भाग पर सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सडक घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है और अभ्यार्थना द्वारा अपेक्षित होने पर अवश्य ऐसा करेगी। उक्त नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के दो मास के भीतर उस सडक के अथवा सडक के उक्त भाग के अथवा उसके अधिकांश भाग के स्वामी उक्त नोटिस के विरूद्ध क्षेत्र पंचायत की सम्बोधित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी ओर यदि वह उन्हें अस्वीकार करदे तो वह सडक या उस भाग पर ऐक और सार्वजनिक नोटिस लगा कर उसे सार्वजनिक सडक घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस सडक पर लगाये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार पत्र में यदि कोई हो अथवा ऐसी अन्य रीति से जो जिला उचित समझे प्रकाशित किया जायेगा।

(3) जिला पंचायत भी इस धारा के अधिकारों का प्रयोग किसी ऐसी सडक या सडकों के भाग के सम्बन्ध में कर सकती है, जिसे वह जिला सडकों मे सम्मिलित करना चाहती हो।

106(क ट) सार्वजनिक सडकों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार –

(1) जब कभी सम्पयुक्त प्रधिकारी किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित सार्वजनिक सडक के दोनो अथवा किसी और इमारत कि लिये सामान्य निर्माण रेखा निर्धारित करना इष्टकर समझे तो वह ऐसा करने के अपने आशय का सार्वजनिक नोटिस देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि निर्दिष्ट की जायेगी जिसके भीतर आपत्तियां जी जायेगी ।

(3) सम्पयुक्त प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार करेगा और ततपश्चात उक्त रेखा को परिभाषित करते हुए संकल्प पारित कर सकेगा तथा इस प्रकार परिभाषित की हुई रेखा सडक की नियमित निर्माण रेखा कहलाऱ्येगी।

(4) उसके बाद किसी व्यक्ति के लिये किसी इमारत सा इमारत के भाग का पुननिर्माण या परिवर्तन इस प्रकार करना वैध न होगा कि वह सडक की नियमित निर्माण रेखा के आर्गे बढ जाये, जब तक कि उसे लिखित अनुमति द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार नही दे दिया हो और सम्पयुक्त प्राधिकारी को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है ।

(5) भूमि का कोई ऐसा स्वामी जिसे इस धारा के उपबन्धों द्वारा किसी भूमि पर किसी इमारत का निर्माण, पुर्ननिर्माण या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया गया हो, समुपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस क्षति के लिये प्रतिकर दे जो इस प्रकार रोके जाने के कारण उसे पहुंचे तथा सडक की नियमित निर्माण रेखा के भीतर स्थित किसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान हो जाने पर वह भूमि समुपयुक्त प्राधिकारी में निहित हो जायेगी ।

(6) समुपयुक्त प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसी इमारत या उसके भाग मे परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा कर सकता है जिसका निर्माण, पुननिर्माण या परिवर्तन उपधारा (4) का उल्लंघन करके किया गया हो।

106(क ठ) सार्वजनिक सडकों आदि का निर्माण करते समय समुपयुक्त प्राधिकारी के कर्तव्य–

(1) समुपयुक्त अधिकारी किसी सार्वजनिक सडक या अपने में किसी निहित जल मार्ग नाली या भू गृहादी के निर्माण या मरम्मत के दौरान मे या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक सडक जल मार्ग या भू–गृहादि मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा जन साधारण द्वारा उपयोग क लिये असुरक्षित हो गये हो तो दुर्घटना से बचाव के लिये सभीं आवाश्यक पूर्वोपाय निम्नांकित रूप से करेगा –

(क) पार्श्वस्था इमारतों में थूनी लगाकर और उनकी रक्षा करके,

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के समय यातायात को रोकने या उसे दूसरी ओर मोडने के प्रयोजन से किसी सडक में या उसके आर–पार आड, जंजीरों या खम्बे लगाकर, तथा

(ग) किसी कार्य की जो रहा हो, रक्षा करके तथा उसके लिंये सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करके ।

(2) जो व्यक्ति समुपयुक्ति प्रधिकारी के प्राधिकार या सम्पति के बिना समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्माण के सम्बन्ध में या दुर्घटना से बचाव के लिये किये गये किसी प्रबन्ध में हस्तक्षेप करेगा, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो 50 रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

जल संभरण स्त्रोतों की रक्षा

106(क ड) निजी जल मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार –

(1) क्षेत्र पंचायत ऐसे किसी निजी जल मार्ग, सोते तालाब, कुऐं या अन्य स्थान के जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उय पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी और जब क्षेत्र पंचायत ऐसा करने के लिये कहे तो उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह उसे अच्छी हालत में बनाये रखे और समय समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा–करकट या सडने वाली वनस्पति निकाल कर उसकी सफाई करे तथा क्षेत्र पंचायत उससे यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह उसे दूषित होने से उस रीति से बचाये जो क्षेत्र पंचायत उचित समझे ।

(2) जब किसी ऐसे जल मार्ग, सोते, तालाब, कुऐं या अन्य स्थान का पानी जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो तो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पानी को न स्वयं पीने के उपयोग में लाये और न दूसरों को पीने के लिये उसका उपयोग करने में लाने और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा वह पानी पीने के लिये उपयोग में लाया जाय तो यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा उस कुऐं की स्थायी रूप से बन्द करने की या बाड लगा देने की अपेक्षा तालाब कुएं या अन्य स्थान को ऐसी स्थान को ऐसी रीति के धेर देने या उसके चारों ओर बाड़ लगा देने की अपेक्षा कर सकेगी जिसका वह निर्देश दे जिससे कि उसका पानी इस प्रकार उपयोग में नही लाया जा सके।

106(क ढ) महामारी फैलाने पर आपत्ति का अधिकार–जिले के ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में हैजा या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित अन्य संक्रामक रोग फैलाने की दशा में जिला पंचायत का अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या उनमें से किसी के द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति महामारी के फैले रहने की अवधि में बिना नोटिस के और किसी भी समय किसी कुंए तालाब या अन्य स्थान का जिसमें से पानी पीने के लिये लिया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो निरीक्षण कर सकता है और उसे कीटाणु रहित कर सकता है और इसके अतिरिक्त उसमें से पानी का निकाला जाना रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे।

106(क ण) जल सम्मारण के किसी स्त्रोत के निकट से शौचालयों आदि का हटाया जाना–

जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे स्वामी सा अध्यासी से जिनकी भूमि पर किसी स्त्रोत, कुएं तालाब, जलाशय या अन्य स्त्रोंतो जिसमें से सार्वजनिक प्रयोग के लिये पानी निकाला जाता हो या निकाला जा सकता हो के पचास फीट के भीतर स्थित कोई नाली, सन्डास, शौचालय, मूत्रालय, नलकूप या गलीज या कूडा–करगट का अन्य पात्र हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी वह ऐसे नोटिस की तामील के एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बंद कर दे।

106(क त) नाली या जलकार्य के ऊपर अनधिकृत निर्माण आदि–(1) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक नाली या पुलिया या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित किसी जल कार्य के ऊपर कोई सड़क बनाई गई हो अथवा किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना का निर्माण किया गया हो या कोई पेड़ लगाया गया हो तो यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत–

(क) नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से जिसने उक्त सड़क बनायी गयी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो अथवा उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर सड़क बनायी गयी हो संरचना का निर्माण किया गया हो, या पेड़ लगाया गया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क, संरचना या पेड़ को हटा दे या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करें जो, यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत समझे, अथवा

(ख) सड़क संरचना या पेड़ को स्वंय हटा सकती है या उसके संबन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के ऊपर जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया कोई व्यय व्यवस्थित रीति से उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा जिसने सड़क बनायी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो।

बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

106(क थ) बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान–

(1) क्षेत्र पंचायत; जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से, बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के वध के लिए नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में भू–गृहादि निश्चित कर सकती है तथा उसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे भू–गृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है और वापस ले सकेगी।

(2) जब ऐसे भू–गृहादि निश्चित कर दिये गये हों, तो कोई व्यक्ति उक्त भू–गृहादि से दो मील के अर्ध–व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे पशु का वध नही करेगा।

(3) जो व्यक्ति दो मील के अर्ध–व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में ऐसे पशु का बिक्री के प्रयोजनार्थ वध करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो इस प्रकार वध किये प्रत्येक पशु के लिये 2 रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(क द) ऐसे पशुओं के सम्बंध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नही किया जायेगा, जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार– जब कभी सार्वजनिक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह मण्डल के आयुक्त के नियंत्रण में रहते हुये सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्राम्य क्षेत्र के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशु या पशुओं के वध का निषेध या विनियमन कर सकेगी तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिससे होकर ऐसे वध–स्थान में लाये जायेंगे तथा वहाँ से मास बाहर ले जाया जायेगा, नियत कर सकेगा।

106(क ध) दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लाये जाने वाले पशुओं के अनुपयुक्त भोजन देना– जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो अथवा जिसे भोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकर पदार्थ खिलाये या खिलाये जाने दे वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो 50 रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

स्पष्टीकरण– गन्दे अथवा हानिकारक भोजन का तात्पर्य उस भोजन से होगा जो नियमों में नियत किसी प्रधिकारी द्वारा तथा रीति के अनुसार गन्दा अथवा हानिकारक भोजन निर्दिष्ट किया गया हो।

106(क न) भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण— अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य अधिकारी बिना नोटिस के दिन या रात में किसी समय, किसी ऐसे बाजार, दुकान,स्टाल अथवा स्थान में जो मनुष्य के भोजन अथवा पेय की बिक्री के लिये अथवा पदार्थ का अथवा भेषज का जो उसके भीतर हो, निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।

106(ख क) अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण तथा हानिकारक और गत प्रभाव भेषजों का हटाया जाना— (1) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करने में कोई भोज्य अथवा पेय पदार्थ अथवा कोई पशु मनुष्य के उपभोग के लिये अभिप्रेत, किन्तु एतदर्थ अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो इस प्रकार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसका अभिग्रहण कर सकता है और उसे हटा सकता है, या उसे नष्ट करवा सकता है या उसका इस प्रकार निस्तारण करवा सकता है कि वह बिक्री के लिये या इस प्रकार उपभोग के लिये प्रदशित न किया जा सके।

(2) यदि समुचित रूप से यह सन्देह हो कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव या अस्वास्थ्यकर हो गया है या अन्यथा इस प्रकार खराब हो गया है कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है या उसका प्रभाव बदल गया है या वह अनिष्टकर हो गया है, तो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता है, और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन भेषज प्रस्तुत किया हो यह प्रतीत हो कि उसमें अपमिश्रण किया गया है या वह पूर्वोत्क रूप से गत प्रभाव अस्वास्थ्यकर या खराब हो गया है, तो वह उसके नष्ट किये जाने अथवा इस प्रकार निस्तारित किये जाने का जो वह ठीक समझे, आदेश दे सकता है और यदि वह प्रकट हो कि कोई अपराध किया है तो वह उसका संज्ञान करने के लिये कार्यवाही कर सकेगा।

कुछ व्यापारों तथा व्यवसायों से पैदा होने वाले कंटक

106(ख ख) क्षोभकर व्यापारों का विनिमय—

(1) यदि जिला पंचायत के संतोषानुसार यह दिखाया जाय कि ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी इमारत या स्थान से जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण संग्रह किया या निस्तारण के प्रयोजनार्थ कारखाना या कारोबार के अन्य स्थान रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग का आशय करता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा ऐसे आशयगत प्रयोग के कारण कोई लोक कंटक पैदा हेाता है या उसके पैदा होने की संभावना है तो जिला पंचायत अपने विकल्प से उस स्थान या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह –

(क) उक्त इमारत या स्थान का पूर्वोत्तर प्रयोजन के लिये प्रयोग न करें या न करने दें, या

(ख) उक्त इमारत या स्थान का केवल ऐसे प्रयोजन के लिये केवल ऐसी शर्तो पर या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रयोग करें या करने दें जो जिला पंचायत ऐसे प्रयोजन के लिये उक्त स्थान या इमारत के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उददेश्य ये नोटिस में नियत करे।

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिया गया नोटिस मिलने के पश्चात किसी इमारत अथवा स्थान के नोटिस का उल्लंघन करके प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो 20 रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय तथा प्रथम दोष सिद्ध के तारीख के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें वह उक्त इमारत या स्थान का प्रयोग करें अथवा प्रयोग करने दे, अतिरिक्त अर्थ दण्ड का भागी होगा जो 5 रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(ख ग) पथ नियम की उपेक्षा– जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में सड़क पर कोई वाहन हाकने ले जाने अथवा चलाने में वास्तविक आवश्यकता की दशा में अन्यथा –

(क) बांयी ओर न रहे, अथवा

(ख) उसी दिशा में जाने वाले वाहन से आगे निकलने में उसकी दाहिनी ओर न रहें वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो 10 रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

अपवाद– यह धारा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड मण्डलों के जिलों में प्रवृत्त नही होगी और नही उस दशा में प्रवृत्त होगी जब पूर्वोत्तर व्यतिक्रम मोटर व्हीकल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 122 (2) के अधीन दण्डनीय अपराध हो।

106(ख घ) प्राधिकृत परिणाम से अधिक परिणाम मे रखें गये ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी लेने का अधिकार –

(1) जब जीवन या सम्पति के लिये खतरे के निवारणर्थ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो क्षेत्र पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा समस्त व्यक्तियों को किसी मकान, इमारत या स्थान में जो नोटिस में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो, लकडी, सूखी घास, भूसा अथवा अन्य ज्वलशील पदार्थों का संग्रह रखने या करने का अथवा चटाइयां या फूस की झोपडियां रखने या आग जलाने का निषेध कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निषेध का उल्लंघन करके या उपधारा (1) के या किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे मकान, इमारत अथवा स्थान में रखें जाने के अनुज्ञात परिणाम से अधिक परिमाण में, सूखी लकड़ी, घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का संग्रह रखे जाने या किये जाने का सन्देह हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत जिला पंचायत का कोई अधिकारी अथवा सेवक बिना नोटिस तथा दिन अथवा रात में किसी भी समय, ऐसे मकान या इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा निरीक्षण कर सकेगा।

(3) यदि ऐसा पदार्थ किसी परिमाण में या प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में पाया जाय तो ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो मजिस्ट्रेट इसके सम्बन्ध में दे, उसका अभिग्रहण किया जा सकता है और उसे कब्जे में लिया जा सकेगा।

(4) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि अभिग्रहीत पदार्थ उपधारा (1)के अधीन किये गये किसी निषेध के प्रतिकूल मकान, इमारत अथवा स्थान में जमा किया गया था, तो वह उसे जब्त करने का आदेश दे सकेगा।

(5) इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अथवा उद्धीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए इस प्रकार जब्त किया गया पदार्थ मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकता है तथा उससे होने वाली आय ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हुए व्यय की अदागयी के बाद जिला निधि में जमा की जायेगी।

106(ख ङ.) अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद– धारा 106(ख घ) के अधीन जब्ती का कोई आदेश किसी अन्य ऐसी दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाही में बाधक न होगा जो पदार्थ का संग्रह रखने या करने वाले अथवा अनुज्ञान परिमाण से अधिक परिमाण में संग्रह रखने या करने वाले व्यक्ति से विरूद्ध की जा सकेगी।

106(ख च) खड़न्जों आदि को हटाना– (1) जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़न्जे नाली के पत्थर या अन्य सामग्री या, उसकी भेड़ो, दीवारों या खम्भों या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की वही स्थिति ऐसी अन्य सम्पत्ति को, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या अन्य विधिसंगत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटाता है, लेता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो 100 रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार के किसी कार्य के किये जाने के कारण जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया व्यय अपराधी से विहित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

106(ख छ) आग्नेयास्त्र आदि को जोड़ना– जो व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयास्त्र छोड़े अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे छोड़े या कोई ऐसा खेल खेले जिससे पास से निकलने वाले या पास–पड़ोस में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो, तो दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो 20 रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(ख ज) ध्वस्त इमारतों, आरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार– (1) जिला पंचायत, नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकेगी, कि–

(क) यह किसी ऐसी इमारत, दीवार, कगार अथवा अन्य संरचना या उससे संलग्न किसी वस्तु को गिरा दे, अथवा उसकी ऐसी रीति से मरम्मत करे जो जिला पंचायत आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे पेड़ को हटा दे, जो उक्त स्वामी को हो, या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो, जिसके विषय में जिला पंचायत को यह प्रतीत हो कि वह ध्वस्त दशा में है या व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक है, अथवा

(ख) वह किसी ऐसे कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे अथवा खोदे हुए स्थान की, जो उक्त स्वामी को हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो और जो उसकी स्थिति मरम्मत के अभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण जिला पंचायत को खतरनाक प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत करें, रक्षा करे या उसे घेर दे जिससे वह जिला पंचायत आवश्यक समझे,

(2) यदि जिला पंचायत को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति से लिये आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजन के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो जिला पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे तथा ऐसी दशा में जिला पंचायत के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नोटिस दे, यदि जिला पंचायत को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने के फलस्वरूप होने वाले बिलम्ब से इस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

106(ख झ) सड़क का अवरोध– (1) जो व्यक्ति जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना–

(क) किसी वाहन को, उसमें जाते हुए पशु सहित अथवा उसके बिना, उस समय से, जो

उसमें माल लादने या उसमें से माल उतारने या उस पर यात्रियों को चढ़ाने या उसमें से यात्रियों को उतारने के लिए आवश्यक हो, अधिक समय तक इस प्रकार खड़ा रखे या खड़ा रहने दे जिससे किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ख) किसी वाहन या पशु को इस प्रकार छोड़ दे अथवा बांध दे कि उससे ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ग) किसी वस्तु को, विक्रय के निमित स्टाल में या कपड़ा या लकड़ी की बनी दुकान में अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करें कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(घ) किसी ऐसी सड्त्रक में कोई इमारती सामान, बक्स, खम्भा, गॉठ, बन्डल या व्यापारिक समान जमा करें या जमा करने दे, अथवा

(ड़.) किसी ऐसी सड़क में कोई मेड़, कटघरा, खम्भा, स्टाल या पाड़ या ऐसी ही कोई अन्य स्थाय खड़ा करे या बनाये, अथवा

(च) सड़क के निर्बाध आवागमन को जान–बूझ कर किसी रीति से अवरूद्ध करें या कराये, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो 50 रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

(2) जिला पंचायत की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अवरोध को हटाने का अधिकार होगा तथा उसे इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन सड़कों से अवरोधों को हटाने का जिला पंचायत द्वारा प्रयोज्य अधिकार जिला पंचायत द्वारा किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह जिला पंचायत में निहित हो, या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, अवरोधों को हटाने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकेगा।

(4) इस धारा में दी हुई कोई बात सड़क के किसी ऐसे अवरोध पर प्रवृत्त न होगी जिसकी अनुज्ञा इस अधिनियम की किसी धारा अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी लाइसेन्स से अधीन जिला पंचायत द्वारा दी गयी हो।

रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

106(ख ञ) फैक्टरियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिए शौचालय– जिला पंचायत ऐसी किसी व्यक्ति से, जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजन किये हों, या जो किसी बाजार, स्कूल या नाट्यशाला या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो या उसका प्रबन्ध कता हो उस पर नियन्त्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसी शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करें जो जिला पंचायत उचित समझे उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे ओर उनकी प्रति दिन सफाई कराये:

परन्तु यह कि कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63, 1948), द्वारा विनियमित फैक्टरीज पर इस धारा की कोई बात प्रवृत्त न होगी।

106(ख ट) तालाबों, आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार– जिला पंचायत, किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें स्थित किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय,

पोखरे, गड्ढे या खोदे हुए स्थान को, जो जिला पंचायत के पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद या क्षोभकर प्रतीत हो, साफ कराये या उसकी मरम्मर कराये या उसे ढंके, भरवाये या जलोत्सारण करवाये :

परन्तु यह कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्यधिकार जिला पंचायत के व्यय से अर्जित करने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकता है।

106(ख ठ) गन्दी भूमि की सफाई– यदि कोई भूमि, गन्दी या अस्वास्थ्यकर दशा में हो तो जिला पंचायत उसके स्वामी से नोटिस द्वारा उस भूमि की सफाई करने या उसे अन्यथा उचित दशा में करने और आगे स्वच्छ ओर उचित दशा में रखने की अपेक्षा कर सकता है।

106(ख ड) कूड़ा– करकट विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन– (1) जिला पंचायत किसी नियन्त्रण ग्राम्य क्षेत्र में–

(क) क्षोभकर पदार्थ तथा कूड़ा– करकट को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था कर सकती है ;

(ख) विष्ठा तथा अन्य क्षोभकर पदार्थों और कूड़ा–करकट के निस्तारण के लिए स्थान निश्चित कर सकती है ; तथा

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे समय, रीति और शर्तों से सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकती है जिस पर या जिनके अनुसार या जिसके अधीन रहते हुए खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट क्षोभकर पदार्थ का कूड़ा–करकट सड़क पर से ले जाय या जमा किया जाय या अन्यथा उसका निस्तरण किया जाय।

(2) निश्चित स्थान पर या उसके निकट उक्त निश्चय को व्यक्त करने वाला सूचना पट्ट प्रदर्शित कर देना उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन स्थान निश्चित करने की पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

106(ख ढ) कूड़ा–करकट विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिए शास्ति– किसी ऐसी इमारत अथवा भूमि का अध्यासी जिसमें कोई क्षोभकर पदार्थ, कूड़ा करकट या विष्ठा धारा 47(ख ड) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निश्चित स्थान से या उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित पात्र या स्थान से अन्यत्र किसी सार्वजनिक नाली के किसी भाग में या सार्वजनिक नालों से मिलने वाली किसी नाली में ,फेंका जाये या जमा किया जाये, तथा कोई व्यक्ति जो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये जिला पंचायत के किसी निर्देश का उल्लंघन करे, दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो 50 रूपये से अधिक नही होगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(ख ण) सार्वजनिक सड़क आदि पर मलादि के उत्सर्जन के लिए शास्ति– निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जब कभी किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे, मल नाले या नलकूप का पानी, या कोई अन्य क्षोभकर पदार्थ, जिला पंचायत को लिखित अनुमति से बिना या ऐसी अनुमति में नियत किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या किसी ऐसे मलनाले या नाली में, जो पदार्थ पृथक न की गयी हो, बहने या निकलने दिया जाय या रखा जाय तो जिस भूमि या इमारत से ऐसा पानी या क्षोभकर पदार्थ बहे, निकले या निकाल कर रखा जाये उसका स्वामी दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का

भागी होगा, जो 50 रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(ख त) मनुष्यों के रहने के योग्य भवन– (1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में यदि कोई इमारत, या उसका कोई कमरा जिला पंचायत की राय में, जलोत्सारण या संवातन के अचित साधनों के अभाव के परिणाम स्वरूप या अन्यथा, मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त हो तो जिला पंचायत उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस; द्वारा उस इमारत अथवा कमरे को मनुष्यों के रहने के काम में लाने अथवा लाने देने का या तो पूर्ण रूप से या तब तक के लिये निषेध कर सकती है जब तक कि उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, उसमें ऐसा परिवर्तन न कर दे, जो कि उस नोटिस में नियत किया गया हो।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन नोटिस दिया गया हो, यदि वह उसका अनुपालन न करे तो जिला पंचायत के लिये यह वह एक और नोटिस द्वारा उस इमारत या कमरे के गिराये जाने की अपेक्षा करें।

106(ख थ) कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दण्ड– जो व्यक्ति किसी संक्रामक, संसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित हुए–

(क) मानव उपयोग के लिए कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिए तैयार या प्रस्तुत करना है, या

(ख) उक्त किसी पदार्थ, औषधि या भेषज को जब वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया हो जान बूझ कर छूता है, या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने का किसी व्यापार में भाग लेता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो 50 रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

106(ख द) स्वास्थ्य के लिए हानिकर खेती, खाद के प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध– यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक यह प्रमाणित करें कि किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशिष्ट रीति से सिंचाई–

(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिय हानिकर है, या ऐसे कार्यो को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, या

(ख) जो उक्त ग्राम्य क्षेत्र से भीतर किसी निर्दिष्ट स्थान में की जाती है , के द्वारा उक्त निर्दिष्ट स्थान के जल सम्भरण के दूषित हो जाने या उसके अन्यथा पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है, तो जिला पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती, उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति के प्रयोग का जो इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, निषेध कर सकती है या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगा सकती है जिनसे उक्त हानि अथवा दूषण रूक जाय;

परन्तु यह कि जब किसी ऐसी भूमि पर, जिसके सम्बन्ध में ऐसा नोटिस जारी किया जा चुका हो, निषिद्ध कार्य निषेध के तारीख से पूर्व पॉच वर्ष तक लगातार खेती के साधारण क्रम में किया जाता रहा हो तो भूमि में हित रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त निषेध द्वारा क्षति पुची हो जिला निधि से प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

106(ख घ) हानिकर वनस्पतियों को साफ करने की स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार– जिला पंचायत, नोटिस द्वारा, किसी भमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी को साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या पड़ोसियों के लिये क्षोभकर हो।

106(ख न) खोदी हुई भूमि को भरने का जलोत्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार– किसी ग्राम्य क्षेत्र में, जिनके लिये शीर्षक 106 "छ" के उपशीर्षक (घ) के अधीन उपविधियॉ बनाई गयी हों जिला पंचायत किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई–कार्य, नलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उस शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए वह खुदाइ कार्य करने या नलकूल, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुमति दी गयी हो, उल्लंघन करके किया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे खुदे हुए स्थान, नलकूप तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस से निर्दिष्ट अवधि के भीतर भर दे या उसे जलोत्सारित कर दे।

106(ग क) कब्रिस्तान या श्मशान के सम्बन्ध में अधिकार– (1) जिला पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान को जिनके सम्बन्ध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि वह आस–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या उसके हानिकर होने की सम्भावना है, उस तारीख से जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा समुचित दूरी के भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो तो वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में शव को दफनाने का निजी, स्थान, ऐसे शर्तों के अधीन जो जिला पंचायत एतदर्थ लगाये, उक्त नोटिस की व्यप्ति से मुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि दफनाने के ऐसे स्थानों की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हों, तथा व स्थान केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए हो प्रयुक्त किये जायेंगे।

(3) जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या श्मशान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नहीं बनाया जायेगा।:

(4) कोई व्यक्ति जिला पंचायत की लिखित अनुमति से अन्यथा किसी शव को किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में जो उपधारा (1) के अधीन बन्द कर दिया गया हो या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बनया गया हो, न तो दफनाये या जलायेगा और न दफनवाये या जलवायेगा।

(5) जो व्यक्ति किसी शव की इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल दफनाता या जलाता है या दफनवाता या जलवाता है या दफनाने या जलाने देता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो 5 रूपये तक होगा अथवा जैसा विहित किया जाय, जो 50 सौ रूपये तक हो सकेगा अथवा जैसा विहित किया जाय।

निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि

106(ग ख) निरीक्षण का अधिकार– अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत होने पर जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य अधिकारी किसी इमारत या भूमि पर, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे निर्माण कार्य का निष्पादित करने के उद्देश्य से जिसे निष्पादित करने के लिये

यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम द्वारा या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे निष्पादित करना जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के लिए इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या नियमों या उपविधियों के प्रयोजनों के लिए अथवा उनके आवश्यक हो, सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकेगा;

परन्तु यह कि –

(एक) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप अन्यथा व्यवस्थित न हो, सर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश नहीं किया जायेगा, तथा

(दो) जब कि इस अधिनियम में या उपविधियों में स्पष्ट रूप से है अथ्यथा व्यवस्थित न हो, मनुष्यों के रहने के लिए प्रयुक्त किसी इमारत में सिवाय उस दशा के जब अध्यासी ने सम्मति दे दी हो– अध्यासी को अपने ऐसे प्रदेश के अभिप्राय का न्यूनतम चार घन्टे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा, तथा

(तीन) प्रत्येक अवस्था में और उस दशा में भी जब किसी भू–गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा, जिससे किसी ऐसे कक्ष में जो स्त्रियों के लिए ही रहने वाली स्त्रियॉं वहॉं से हट कर भू–गृहादि के किंसी ऐसे दूसरे भाग में चली जाऐ जहॉं उनकी गोपनीयता में बाधा डालने का आवश्यकता न हो, तथा

(चार) प्रवेश किये गये भृ–गृहादि के अध्यासियों की समाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव यथोचित ध्यान रखा जायेगा।

106(ग ग) **प्रवेश का अधिकार**– निरीक्षण करने के या तलाशी लेने के प्रयोजन के निमित्त प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये यह वैध होगा कि वह किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोले या खुलवाये–

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिये उसका खोलना आवश्यक समझे, तथा

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इंकार करें।

जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट

106(ग घ) **जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट के लिए दण्ड**– जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत द्वारा या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के साथ हुई किसी संविदा अधीन नियोजित हो, उसके कर्तव्यों के पालन करने में संविदा को पूरा करने में रूकावट डाले या व्यथित कर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, वह दोषी पाये जाने पर तीन मास तक का कारावास या 50 रूपये तक अथवा जैसा विहित किया जाय, अर्थ दण्ड, दोनों का भागी होगा।

जिला पंचायत के समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे

107. जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा तथा उक्त की धारा 161 में 'विधिक पारिश्रमिक' की भाषा में प्रयुक्त शब्द 'सरकार' में इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला पंचायत भी सम्मिलित समझी जायेंगी।

जिला पंचायत द्वारा अधिकारों का प्रयोग और सम्पादन

108. जिला पंचायत अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों को छोड़कर जो इस अधिनियम द्वारा केवल जिला पंचायत द्वारा ही प्रयोग और सम्पादित किए जाने हो, अध्यक्ष के लिए रक्षित हों, समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त हों, सौंपे गए हों उस हेतु प्राविधानित किए गए हों, विशेष संकल्प पारित कर किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकेगी।

जिला पंचायत के अध्यक्ष के कर्तव्य एंव अधिकार

109. (क) (1) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके--

(एक) जिला पंचायत तथा उन समितियों जिसका इस अधिनियम के अधीन वह अध्यक्ष नियत है, सभी बैठकों को बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।

(दो) जिला पंचायत की सभी बैठकों में कार्य के संपादन को एतदर्थ बनाए गए किसी विनिमय के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करे।

(2) जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करें तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करे।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के विभागाध्यक्षों एवं अन्य कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण रखेगा।

(4) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण व निरीक्षण तथा इस निमित्त विवरण पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करना।

(5) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, उपविधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हो अथवा इस अधिनियम के अनुरूप आवश्यक हो।

(ख)(1) अध्यक्ष की किसी भी प्रकार की रिक्ति की दशा में अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे समस्त अधिकार व कृत्य का सम्पादन करना जो कि धारा 108 में वर्णित है।

(2) अध्यक्ष या जिला पंचायत द्वारा उपाध्यक्ष को किए गये ऐसे किन्हीं अधिकारों और कृत्यों का प्रयोग व सम्पादन।

जिला पंचायतों का कार्यालय

110. जिला पंचायत का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर जिला पंचायत का मुख्यालय स्थित हो अथवा राज्य सरकार नियत करे।

जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधायन

111. अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अपने कर्तव्य एवं अधिकार सौंप सकेगा।

जिला पंचायतों में समितियाँ

112. जिला पंचायत इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, ऐसी समिति या समितियां जिसे राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर अधिसूचित की जाए, जिला पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में उस प्रकार की सहायता करने के लिए नियुक्त करेगी, पंचायतें अपनी ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। जिला पंचायत

के लिए निम्नलिखित समितियां होगी–

(क) जिला पंचायत में कर्तव्यों के सम्पादन हेतु छः समितियों का गठन किया जायेगा जो निम्न प्रकार होंगी–

(1) नियोजन एवं विकास समिति (2) शिक्षा समिति (3) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (4) निर्माण कार्य समिति (5) प्रशासनिक समिति (6) जल प्रबन्धन एवं जैस विविधता प्रबन्धन समिति।

उक्त समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य संख्या वह होगी, जैसी नियत की जाय।

(ख) (1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक या अधिक उप–समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

(2) उप–समिति का संघठन तथा कार्यकाल वे होंगे जो समिति द्वारा निश्चित किये जाए।

(3) यदि समिति उप–समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।

(ग) (1) जिला पंचायत किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उप–समिति से यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप–समिति को कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी माँग सकेगी।

(2) यथास्थिति, समिति अथवा उप–समिति, उप धारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगे।

अध्याय–बीस

जिला पंचायतों के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियां तथा प्रकिया

जिला पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी

113. (1) प्रत्येक जिला पंचायत का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत के कृत्यों के सम्पादन करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।

(2) जिला पंचायत के कार्य सम्पादन के लिए जिला पंचायत में अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के पद भी निम्नानुसार होंगे :

(एक) अपर मुख्य अधिकारी,

(दो) वित्त अधिकारी,

(तीन) कार्य अधिकारी,

(चार) अभियन्ता,

(पांच) कर अधिकारी,

(छः) अवर अभियन्ता,

(सात) संविधान की अनुसूची ग्यारह में दिये गये विषयों से सम्बन्धित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी।

(3) राज्य सरकार जिला पंचायतों के लिए जैसा उचित समझे कर्मचारी वर्ग जोकि राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत हों को ऐसे पदनाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिला पंचायत के अधीन नियुक्त कर सकेगी।

(4) (क) धारा 113 की उपधारा (2) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, कार्याधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता, कर अधिकारी पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायं।

(ख) जिला पंचायत के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्ते में होंगी जो नियत की जायं।

(5) (एक) एतदर्थ बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार–

(क) जिला पंचायत की प्रार्थना पर तथा ऐसे समय के लिए और ऐसी शर्तों पर जो परस्पर तय हो जाएं, अपने किसी कर्मचारी की सेवायें जिला पंचायत को सौंप सकती है, तथा

(ख) ऐसी दशा में जब किसी सरकारी कार्यालय का कार्य किसी जिला पंचायत को संक्रामित हो जाय, लिखित आदेश द्वारा जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियें को जिन्हें सरकार नामोदिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तो पर जो उस आदेश में निर्दिष्ट है नियोजित करे और ऐसा करने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें तत्समय परिषद को सौंपी गई समझी जायेंगी;

परन्तु यह कि जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

(दो) उप धारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते जिला निधि में से उसी प्रकार दिये जायेंगे मानों वे जिला पंचायत के सेवक हों।

(6) जिला पंचायत का वित्त अधिकारी नियमों में व्यवस्थित रीति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(7) (एक) कार्याधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा कर अधिकारी के पदों पर जिनका वेतनमान ऐसा होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, नियुक्तियाँ परिषद द्वारा, राज्य लोक–सेवा आयोग, अथवा अन्य ऐसे आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के, जिसके राज्य सरकार एतदर्थ समस्त पंचायतों के लिए अथवा किन्ही पंचायतों के समुदाय के लिए, पृथक रूप से संघठित करें, (दोनों दशाओं में इसे आगे 'आयोग', कहा गया है) परामर्श से, नियत रीति से की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि आयोग और जिला पंचायत के बीच कोई मतभेद हो तो वह विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(दो) ऐसे किसी अन्य वर्ग के, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदों को छोड़कर जिला पंचायत के लिए नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी विभाग से सम्बद्ध ऐसे पदों पर जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, नियुक्तियाँ मुख्य अधिकारी द्वारा की जायेंगी।

(तीन) इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए जिला पंचायत के अधीन उप धारा (एक) एवं (दो) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियाँ–

(क) अन्य दशाओं में, चुनाव समिति के परामर्श से, अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी;

परन्तु यह कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का मत हो कि चुनाव समिति की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मण्डल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अंतिम बन्धनकारी होगा।

(चार) पूर्ववर्ती उप धारा में किसी बात के होते हुए भी–

(क) यदि राज्य सरकार के धारा 113 की उपधारा(2) के अधीन कोई आदेश किया हो, तो वह आदेश अभिभावी होगा, तथा

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय किसी जिला पंचायत से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी सेवायें धारा 113 की उपधारा(2) के अधीन जिला पंचायत को सौंपी गई हों तथा जिसने एतदर्थ अपनी सहमति दे दी हो अपनी ही सेवा में कर ले और इस प्रकार जिला पंचायत की सेवा में कर लिए जाने पर वह सरकारी कर्मचारी न रह कर जिला पंचायत का सेवक हो जायेगा।

(8) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त अधिकारी का कोई अन्य पद सृजित कर सकती है या समाप्त कर सकेगी।

(9) (एक) धारा 113 की उपधारा(2) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, उचित समय के भीतर या उसके अधीन सृजित किसी पद पर व्यवस्थित रीति से या उसके अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में, नियुक्ति न करे, तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को नियुक्त करने तथा यदि आवश्यक हो तो, आयोग से परामर्श करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वयं उस पर नियुक्त कर सकती है और ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अनुसार की गई समझी जायेगी।

(दो) यदि जिला पंचायत धारा 113 की उपधारा(2) के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत के लिए कर्मचारी की व्यवस्था न करे तो राज्य सरकार जिला पंचायत के कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे कर्मचारी उक्त उप धारा के अधीन क्षेत्र पंचायत में प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे।

जिला पंचायत के कर्मचारियों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग

114. (क) राज्य सरकार किसी समय कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का एक केन्द्रीय, संक्राम्य संवर्ग बना सकती है और जब कोई ऐसा संवर्ग बना दिया गया हो तो कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों या अन्य उपर्युक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर, जैसी भी दशा हो नियुक्तियाँ उक्त संवर्ग के व्यक्तियों में से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो नियमों द्वारा नियत की जाएं तथा इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी संवर्ग के लिए व्यक्तियो का निर्धारण तथा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण और दण्ड नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(ख) (1) धारा 113 की उपधारा(2) में किसी बात के होते भी उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श किये बिना की जा सकती है, किन्तु उप धारा (2) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किए बिना, एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई नियुक्तियाँ, विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी रह सकेगी।

(ग) जिला पंचायत या किसी क्षेत्र में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को दण्ड–ज़िसके अन्तर्गत दण्ड के आदेशों के विरूद्ध अपील, अपील में दिये गये आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार यदि कोई हो, और जाँच होने तक निलंबन भी है, नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि वह प्राधिकारी जिस किसी अधिकारी या सेवक को पदच्युत

करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने का अधिकार दिया जाय, ऐसे अधिकारी या सेवक के पद के नियुक्ति–प्राधिकारी से निम्न पद का न होगा;

परन्तु यह और कि उन कर्मचारियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति राज्य लोक–सेवा आयोग के परामर्श से करना अपेक्षित हो, दण्ड देने वाले अधिकारी के लिए किसी ऐसे कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने का आदेश देने के पहले आयोग से नियत रीति से परामर्श करना आवश्यक होगा।

जिला पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य

115. (1) जिला पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला पंचायत के विभागाध्यक्ष अपने–अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की दशा में, और मुख्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में उन्हें अधिकार कृत्य तथा कर्त्तव्य सौंप सकेगा।

जिला पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण

116. (1) (क) जिला पंचायत, मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर ऐसा नियंत्रण रखेगी जो नियत किया जाये, और अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष मुख्य अधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को भेजे, जिससे मुख्य अधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियाँ अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो;

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी उक्त सरकारी कर्मचारी के कार्य और आचरण के विषय में कोई अन्य प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा भेजी गई अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

(2) जिला पंचायत में नियोजित समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर मुख्य अधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा और विशेष रूप से यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों एवं सेवकों के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर, अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को, यदि कोई हो, भेजे जिससे उक्त अधिकारयों एवं सेवको के सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियाँ अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो। ऐसा प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य और आचरण के विषय में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी भेजी गई अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

(3) जिला पंचायत के विभागाध्यक्षों का अपने–अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा सेवकों पर सीधा नियंत्रण रहेगा।

जिला पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद

117. यदि जिला पंचायत की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक जिला पंचायत के बीच में अथवा नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के बीच कोई विवाद हो तो उसे विहित प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं दानों पर साध्यकारी होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

जिला पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

118. (1) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत ऐसे अभिलेख जो जिला पंचायत पंचायत में रखे जानें आवश्यक हों, रखे जायेंगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियत समस्त अभिलेख जिला पंचायत कार्यालय में रखे जायेंगे।

(3) जिला पंचायत को आवेदन करने पर तथा विहित की गयी फीस के भुगतान किए जाने पर किसी व्यक्ति की मांग की दशा में अभिलेखों की प्रतियाँ जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी;

परन्तु यह कि होगा कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यों, प्रयोजनों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, धनराशि के पृथक से कोई अभिलेख नहीं रखे जायेंगे।

अध्याय–इक्कीस

जिला पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाये

जिला निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना

119. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा राज्य सरकार निश्चित करे, जिला पंचायत के संदर्भ में जिला निधि, किसी ऐसे सरकारी खजाने में या उप–खजाने अथवा ऐसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक एवं डाक घर में खाता खोलकर जमा की जायेगी।

जिला पंचायत में निहित सम्पत्ति

120. (1) राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए, इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति, जो खण्ड/जिले के भीतर स्थित हों, जिला पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो जिला पंचायत में निहित हो जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन रहेगी, अर्थात–

(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें जो जिला निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हो।

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो जिला निधि से निर्मित किए गए हों या उससे अनुरक्षित किए जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण–सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिए की गई हो;

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिए पंचायतों को सक्रमित की गई हों; तथा

(घ) जिला/खण्ड के भीतर स्थित सब तालाब और कुएं और समस्त जमीनें, इमारतें, सामग्री तथा वस्तुएं जो उनसे सम्बद्ध या सशक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हो और न किसी सरकार द्वारा या जिला पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।

(2) (क) जिला पंचायत इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहें, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013), के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, जिला पंचायत द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि या अधिकार, यथास्थिति, जिला पंचायत में निहित हो जायेगा।

(3) सार्वजनिक संस्थाएं:– (क) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया जिला–निधि से होता है, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन, जिला पंचायत में निहित होगा।

(ख) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी जिला पंचायत में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकेगी;

परन्तु यह कि उनके सम्बन्ध में परिषद् के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकेगी।

(ग) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त सम्पत्ति, निबन्ध और निधियाँ जो जिला पंचायत में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों, जिला पंचायत द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिए ऐसी सम्पत्ति, निबन्ध तथा निधियाँ उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थी जबकि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी:

परन्तु यह कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (अधिनियम संख्या 6 वर्ष 1890) के अधीन किसी न्यास की सम्पत्ति को पूर्त विन्यास का कोषपाल में निहित होने से रोकती है।

जिला पंचायत द्वारा बजट तैयार और पारित करना

121. (1) जिला पंचायत, नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का सुनिश्चित ध्यान रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष ऐसे तारीख के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय–व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी एक अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करेंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट अनुदान तैयार करने में आय के अनुमान, राज्य सरकार से आयोजनागत और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुदानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) तदुपरान्त अध्यक्ष, नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किए जाने वाले तारीख के पहले उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए लेखा तथा बजट अनुमान को जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला पंचायत उपधारा (3) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा –

(क) पूरे बजट को पारित करेगी, या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित संशोधित करेगी, जो वह उचित समझें; या

(ग) बजट को फिर से तैयार करने के लिए उसे नियोजन एवं विकास समिति को लौटा देगी।

(5) जब जिला पंचायत उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन लौटा दे तो नियोजन एवं विकास समिति नया बजट तैयार करेगी और अध्यक्ष, उस बजट को जिला पंचायत की बैठक में रखेगा और जिला पंचायत उस पर चर्चा करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा या तो उसे पूर्णतः या उसमें ऐसे संशोधन करके, जो वह उचित समझे पारितं करेगी।

6(क) अध्यक्ष, राज्य सरकार के पास जिला पंचायत द्वारा पारित मूल बजट तथा संशोधित बजट यदि कोई हो, भेजेगा और राज्य सरकार जिला पंचायत द्वारा पारित पूरे बजट नियोजन एवं विकास के कार्यों के निमित्त दिए गए अनुदानों के व्यय किए जाने के सम्बन्ध में हों, कोई ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात जो वह उक्त अनुदानों के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उपयुक्त समझे उसे स्वीकार कर सकती है तथा बजट के अवशिष्ट भाग के सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे।

(ख) यदि राज्य सरकार खण्ड (क) के अधीन एक माह के अन्तर्गत कोई सिफारिश न करें तो बजट ऐसे परिष्कारों सहित यदि कोई हो जो उसने उक्त खण्ड के अधीन किए हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा। यदि राज्य सरकार ने खण्ड (क) के अधीन कोई सिफारिशें की हो तो अध्यक्ष उसे जिला पंचायत की बैठक में रखेगा और जिला पंचायत उन सिफारिशों को अनुदान बजट में परिवर्तन कर सकती है। तब बजट राज्य सरकार द्वारा इस धारा के खण्ड (क) के अधीन किए गए परिवर्तनों सहित (यदि कोई हो) तथा जिला पंचायत द्वारा इस खण्ड के अधीन किए गए परिवर्तनों सहित यदि कोई हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जाएगा।

(ग) यदि ऐसे तारीख के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए जिला पंचायत ने बजट न पारित किया हो और न वह उसके द्वारा पारित समझा जाए या यदि अध्यक्ष ने खण्ड 6 (ख) के उपबन्धों किसी बजट या किन्हीं बजट या किन्हीं बजटों को प्रस्तुत न किया हो तो राज्य सरकार, अध्यक्ष से ऐसी सूचना देने के लिए कह सकता है जिसकी उसे अपेक्षा हो तथा राज्य सरकार जिला पंचायत के लिए बजट तैयार कर सकती है और ऐसा बजट जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा।

(घ) यदि उस तारीख से पूर्व, जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए, राज्य सरकार की सिफारिशें खण्ड 6(ख) के अपेक्षानुसार जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत न की जाएं, या जिला पंचायत ने उन पर कोई निर्णय न किया हो, तो बजट, उन परिष्कारों सहित जिनकी राज्य सरकार ने सिफारिश की हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा।

(7) जिला पंचायत, नियोजन एवं विकास समिति के परामर्श से, समय–समय पर, जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय है, नियमों एवं उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से पारित समझे गए बजट में परिवर्तन कर सकेगी;

परन्तु यह कि जिला पंचायत द्वारा बजट में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा और वह परिवर्तन, यथा सम्भव उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहेगा। उपधारा (5) में उपरोक्तानुसार जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से पारित आय–व्यय की प्रति अध्यक्ष, राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगा। राज्य सरकार आय–व्ययक सम्बन्धी अपनी स्वीकृति से तीस दिन के अन्दर जिला पंचायत को संसूचित करेगी इस अवधि के पश्चात् यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी दशा में बजट स्वतः पारित समझा जाएगा।

(8)यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा कोई न्यूनतम रोकड़ बाकी नियत करे तो कार्य समिति बजट तैयार करने में उस न्यूनतम रोकड़ बाकी के लिए व्यवस्था करेगी।

(9) प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त को और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगी।

(10) (क) जब इस अधिनियम के अधीन किसी जिला पंचात का बजट या पुनरीक्षित बजट अंतिम रूप से पारित किय ाजा चुका हो तो जिला पंचातय बजट के उस शीर्षक के अतिरिक्त जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत, उस शीर्षक के अधीन पारित धनराशि से अधिक व्यय तब तक न करेगी जब तक कि वह बजट में परिवर्तन करके उस अधिक व्यय के लिए व्यवस्था न कर ले;
(ख) जब किसी ऐसे शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, उस शीर्षक के अधीन अनुमोदित या स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाय तो बजट में परिवर्तनं करके उस व्यय के लिए अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी।

(11) जिला पंचायत के बजट के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध क्षेत्र पंचायत के बजट पर प्रवृत्त होंगे। धारा 83 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ क्षेत्र पंचायत के बजट पर प्रवृत्त होंगे।

जिला पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा

122. (1) जिला पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा, प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो नियत की जाए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए, द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत को, सम्परीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर उपबन्ध करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत हो, को भेजेगी।

अध्याय–बाईस

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

कर जो जिला पंचायत द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं

123. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला पंचायत निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनके आरोपण को जारी रख सकती है, और निम्न मदों से आय सृजित कर सकेगी, अर्थात्

(क) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को "भारत का संविधान", के अधीन जिसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका जिला पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(2) कर "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम तथा तद्धीन निर्मित नियमों विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्ग्रहीत किए जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन अन्यत्र किए गए उपबन्धों के अधीन शुल्क या अन्य फीस।

(4) वाहनों के पंजीकरण पर शुल्क।

(5) परिसम्पत्तियों पर शुल्क।

राज्य सरकार का जिला पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार

124. (1) जब जिला पंचायत अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो वह उन्हें उनके सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों सहित यदि कोई हो, विहित प्राधिकारी को भेजेगी और विहित प्राधिकारी उन प्रस्तावों तथा आपत्तियों को, यदि कोई हों राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) उक्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इंकार कर सकती है, या उन्हें विचार के लिए जिला पंचायत के पास भेज सकती है या उन्हें परिष्कार किए स्वीकार कर सकती है या ऐसे परिष्कारों सहित स्वीकार कर सकती है जिनसे आरोपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हों। जब राज्य सरकार ने जिला पंचायत के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया हो तो जिला पंचायत द्वारा भेजे गए नियमों के प्रालेख पर विचार करने के बाद तुरन्त धारा 90 के अधीन कर के विषय में ऐसे नियम बनाना प्रारम्भ करेंगी जो वह उस समय करना उचित समझे।

जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प

125. (1) पूर्वगामी धाराओ के अधीन भेजी गयी नियमों की प्रति प्राप्ति पर जिला पंचायत विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किए जाने वाले तारीख से कर के आरोपण का निर्देश देगी। जो कि उक्त तारीख एवं उस संकल्प के तारीख से न्यूनतम छः सप्ताह का होगा।

(2) जिला पंचायत द्वारा पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

(3) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा 93 (2) के अधीन निर्दिष्ट तारीख के करारोपण को गजट में विज्ञापित कराएगी और सभी दशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहतु हुए किया जायेगा कि वह उस प्रकार विज्ञापित किया जा सकेगा--

(क) पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, उपधारा (3) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकती है, जो वह उचित समझें।

(ख) (एक) जिला पंचायत एक वर्श से अधिक की अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, उस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है तथा इस विमुक्ति का, जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीनीकरण कर सकेगी।

(दो) जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्ति कर सकेगी।

(तीन) राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्ति कर सकेगी।

(ख) इस अधिनियम की धारा--29 एवं 106 के अधीन जिले के अन्तर्गत स्थित किसी ग्राम पंचायत की उप विधि बनाने व स्वीकृत करने का अधिकार किसी निश्चित तिथि से जिला पंचायत में निहित होगा।

भाग– पांच – अध्याय–तेईस

नियम, विनियम और उपविधियां

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

126. (1) राज्य सरकार किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसे लिए नियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है इस अधिनियम से सुसंगत, गजट में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है तथा ऐसे नियम भी बना सकती है जो अन्यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम सामान्य रूप से समस्त जिला पंचायतों समस्त क्षेत्र पंचायतों तथा समस्त ग्राम पंचायतों के लिए अथवा निर्दिष्ट किए जाने वाली किसी एक या अधिक जिला पंचायतों या क्षेत्र पंचायतों के लिए विशेष रूप से हो सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जाएंगे और जब तक कि कोई ऐसे परिष्कारों अथवा लोप के अधीन रहते हुए प्रभाव होंगे जो विधान सभा के उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या लोप सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

कार्य–संचालन आदि के लिए विनियम बनाने का अधिकार

127. (1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, विशेष संकल्प द्वारा, इस अधिनियम तथा किसी नियम और राज्य सरकार द्वारा इस के अधीन बनाए गए किसी विनियम से सुसंगत विनियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी विषय के लिए बना सकेगी–

(क) उसकी बैठकों का समय तथा स्थान;

(ख) बैठकें आहूत तथा उनके सम्बन में नोटिस देने की रीति;

(ग) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना तथा बैठकों का स्थगन भी है, तथा

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिए परामर्श समितियों से भिन्न समितियों की स्थापना तथा ऐसी समितियों के संघटन तथा उनकी प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों की अवधारणा;

(ड.) निम्नलिखित को अधिकारी कर्तव्यों या कृत्यों का प्रतिनिधान –

(एक) जिला पंचायत का अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख;

(दो) खंड (घ) के अधीन संघटित समितियाँ;

(तीन) उक्त समितियो के सभापति;

(चार) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी या जिला पंचायत का अन्य कोई सेवक।

(च) जिला पंचायत द्वारा नियोजित सेवकों के, जिनके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों के अधिकार में रखे गए अन्य कर्मचारी भी है, जिनके भत्ते या अन्य भत्ते;

(छ) जिला पंचायत के ऐसे कर्मचारी द्वारा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र पंचायत के अधिकार में रखा गया कोई सेवक भी है, जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इश्टकर समझा जाए दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि तथा उसका प्रकार;

(ज) जिला पंचायत के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना तथा उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को यदि कोई हो,

दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(झ) जिला पंचायत के समस्त सेवकों की जिनके अन्तर्गत किसी क्षेत्र पंचायत के अधिकार में रखे गए सेवक भी सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी है तथा जिनके अधीन उक्त सेवकों को या उनमें से किसी को सेवानिवृत्ति होने पर या अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण असमर्थ हो जाने पर उपदान, वार्षिकी या कारूण्य अधिदेय उक्त किन्हीं ऐसे सेवकों के, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्यों का पालन करने में हुई, उत्तरजीवी सम्बन्धियों को दिया जा सकता है;

(ञ) जिला पंचायत, या जिला पंचायत के अनुमोदन से उक्त सेवकों द्वारा, स्थापित पेंशन निधि या भविष्य निधि में ऐसे दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उक्त विनियमों में नियत की जाएं अंशदान देना;

(ट) जिला पंचायत के कर्मचारी वर्ग को जिनके अन्तर्गत किसी क्षेत्र पंचायत के अधिकार में रखे गए सेवक भी हैं– भर्ती के सिद्धान्त तथा रीति;

(ठ) लेखा–परीक्षा के निमित्त वित्त अधिकारी को अभिलेख प्राप्त कराने के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके द्वारा की गई आलोचनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही;

(ड.) अधिकारियों तथा सेवकों के पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) रीति, जिसके अनुसार धारा 108 के अधीन जिला पंचायत को सौंपे गए कृत्यों का सम्पादन किया जाएगा;

परन्तु यह कि इस खंड के अधीन बनाए गए विनियम राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों अथवा अनुदेशों के समनुरूप होंगे;

(ण) शर्तें जिनके अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को देय धनराशियों के रूप में बट्टे खाते डाली जा सकें और शर्तें जिनके अधीन अभिहरण के निमित लिए जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क या उनके किसी भाग में छूट दी जा सके;

(त) खंड (ड.) या (ण) तक वर्णित विषयों के सदृश्य समस्त विषय या ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध में विनियम बनाने के अधिकार इस अधिनियम में स्पष्टतः या उपलक्षित रूप से प्रदान किया गया है पर जिनके लिए इस उपधारा में व्यवस्था नही की गई है; और

(थ) खंड (क) से (घ) तक निर्दिष्ट विषयों से सदृश्य ऐसे समस्त विषय जिनके लिए इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है।

(2) यदि राज्य सरकार उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के खंड (ड) से (ड) तथा (ण) से (थ) तक निर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकती है और इस प्रकार बनाए गए विनियम का प्रभाव यह होगा कि उससे जिला पंचायत द्वारा उक्त उपधारा के अधीन उसी विषय पर बनाया गया कोई विनियम या कोई ऐसे विनियम जो उससे असंगत हो, रद्द हो जाएगा।

(3) पूर्ववती उपधाराओं में आये विषयों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के निर्देश पर नियत प्राधिकारी नियम बना सकता है।

पंचायतों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति

128. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे

नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकेगी –

(एक) कोई विषय जिसके लिए व्यवस्था करने की शक्ति इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त अथवा विधि रूप से राज्य सरकार को प्रदत्त की जाए;

(दो) ग्राम सभा की स्थापना ग्राम पंचायत का संघटन;

(क) प्रधान उप प्रधान एवं सदस्यों के लिए अर्हताए,

(ख) निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण;

(ग) प्रधान, उप प्रधान व ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण;

(घ) प्रधान, उप प्रधान व ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा पद त्याग–पत्र का निवेशित किया जाना;

(ड) सामान्य निर्वाचनों तथा निर्वाचनों का आयोजन;

(च) ग्राम पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों के रूप में व्यक्तियों का नाम–निर्देशन;

(ज) किसी कारण से प्रधान और उप प्रधान की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन किया जाना;

(3) ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की बैठकों का समय और स्थान तथा बैठकें आहूत और उनकी सूचना देने की रीति;

(4) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना और बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तक भी हैं;

(5) समितियों का स्थापित किया जाना और ऐसी समितियों के संघटन और प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी विषयों का अवधारण;

(6) पदाधिकारियों को निलंबन तथा हटाया जाना;

(7) अभिलेख और रजिस्ट्रेशन जो ग्राम पंचायत द्वारा रखे जायेंगे तथा प्रपत्र जिसमें वे होंगे;

(क) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के अभिलेखों का नियतकालिक पुनरीक्षण तथा संशोधन,

(8) कार्यवाही जो धारा 112 में दी गयी समिति में कोई रिक्ति होने पर की जायेगी।

(9) प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रशासनिक, नियोजन वित्त एवं निर्माण समिति, संयुक्त समिति किसी अन्य समिति में नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवादों का निर्णय किया जा सकता है, तथा उसमें पालन की जाने की प्रक्रिया;

(10) ग्राम पंचायत के ऐसे सेवक द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका एक प्रकार जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाए;

(11) ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्तियों अर्हताएं पर्यवेक्षण पदच्युति, सेवामुक्त उन्हें हटाया जाना अथवा दण्ड तथा उनकी सेवा, अवकाश, स्थानान्तरण, वेतन तथा विशेषाधिकारों से सम्बन्धित अन्य विषय और अपील करने के उनके अधिकार;

(12) ग्राम पंचायत के सेवकों के लिए भविष्य निधि का प्रबन्ध और विनियमन, यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य निधि की प्रणाली अपनाई जाए;

(13) प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध तथा उनके भवनों का निर्माण और मरम्मत;

(14) किसी संयुक्त समिति को सौंपे गये पुस्तकालयों, वाचनालयों, औषधालयों की स्थापना प्रशासन तथा नियन्त्रण और उनसे सम्बद्ध भवनों का निर्माण और मरम्मत तथा पंचायत क्षेत्र के निर्धन निवासियों को औषधि और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का सम्भरण;

(15) किसी भूमि, भू–गृहादि अथवा जल पर उत्पन्न जल वनस्पति, घास, तृणादि अथवा अन्य जंगली उपज को खोज निकालना उसे हटाना और नष्ट करना, उनके फैलाव को रोकने के लिए घेरों और अवरोधों को लगाया जाना और ऐसे कार्य को करने में होने वाला व्यय;

(16) (क) स्वच्छता, सफाई, जल निस्तारण, भवनों, सार्वजनिक सड़कों तथा जल सम्भरण के सम्बन्ध में कार्यवाही और सार्वजनिक उपद्रव (लोक न्यूसेन्स) का प्रतिषेध;

(ख) धारा 37, 38 एवं 39 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करना;

(17) आय तथा व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करना तथा विशिष्ट प्रयोजनो के लिए निधि को रक्षित करना;

(18) ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां तथा प्रपत्र जिनमें वे होंगी और प्राधिकारी, जिसको और आवश्यकता पड़ने पर, जब वे प्रस्तुत की जाएंगी।

(19) करों और लाईसेन्स फीस का लगाया जाना, प्राधिकारी जिसके द्वारा और रीति जिसके अनुसार कर निर्धारित किए जा सकते हैं और प्राधिकारी जिसके कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकेगी;

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य के देयों तथा अन्य देयों की वसूली और उसके लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक।

(20) करों तथा अन्य देयों के भुगतान का ढंग और समय, वसूली की प्रक्रिया और प्राधिकारी जिसकी सहायता करों तथा देयों की वसूली करने में ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकेगी;

(21) ग्राम पंचायत द्वारा लेखे रखने का ढंग;

(22) सार्वजनिक भवनों और नजूल भूमि का अनुरक्षण;

(23) किसी सम्पत्ति को अन्तरित करते समय पालन की जाने वाली औपचारिकताएं और वह रीति जिसके अनुसार संविदा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किया जायेगा;

(24) लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों तथा अधीक्षक प्राधिकारियों की जांच करने की साक्षियों को आहूत और उनकी परीक्षा करने की, लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्तियों तथा लेखा परीक्षा निरीक्षण तथा अधीक्षण से सम्बन्धित अन्य समस्त विषय;

(25) शक्तियों जिनका प्रयोग जिला पंचायत अथवा किसी नियम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में किया जा सकता है और वह रीति जिससे ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है;

(28) ग्राम पंचायतों के लिए या ग्राम पंचायतों द्वारा उपविधियों बनाने में नियत प्राधिकारी

द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(27) सामान्यतः इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में प्रपत्रों तथा रजिस्टरों का नियत किया जाना और उनका मुद्रण;

(28) नक्शें डिजायनों, विशिष्ट विवरणों तथा अनुमानों का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना;

(29) ग्राम्य स्वयं सेवक दल के कर्तव्य, शक्तियों और कृत्य;

(30) ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना और उनका पुनर्विलोकन;

(31) ग्राम पंचायतों के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों की बैठक में परामर्शदाता के रूप में उपस्थित हो सकते हैं;

(32) ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र–व्यवहार का माध्यम;

(33) ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों के समाप्त किए जाने पर उनकी परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण;

(34) किसी ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग के किसी नगर, नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र, नगर क्षेत्र अथवा छावनी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही और वह रीति जिससे ऐसी परिस्थितियों में ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण किया जा सकेगा।

(35) शर्तें जिनके अधीन ग्राम पंचायत को देय धनराशियां वसूली न हो सकने की स्थिति में वह बट्टे खाते में डाली जा सकती है और इस अधिनियम में उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित किसी विषय में सामान्यतः ग्राम पंचायतों संयुक्त समितियों अन्य समितियों सरकार के सेवकों तथा अन्य प्राधिकारियों के पथ–प्रदर्शन के लिए;

(36) अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का विनियमन;

(37) सामान्य प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर सरकारी सेवकों की ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली सहायता;

(38) ग्राम पंचायतों द्वारा ऋण लिया जाना तथा दिया जाना;

(39) विषय जो नियत किए जाने हो और नियत किए जाएं, तथा

(40) कोई भी विषय जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में किसी ग्राम पंचायत के लिए उपविधि बनाने की शक्ति नियत प्राधिकारी को प्रदान की गयी हो।

भाग–छः– अध्याय–चौबीस
प्रकीर्ण उपबंध

प्रकीर्ण उपबंध 129 (1) वन पंचायतें ग्राम पंचायत से सामंजस्य स्थापित कर स्वयं का कारबार क्रियान्वित करेंगी। राज्य सरकार ऐसे कारबार के लिए वन विभाग की सहमति से ऐसी व्यवस्था करेगी जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य सरकार, ग्राम पंचायत के प्रधान, उप–प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों

का प्रतिनिधायन ऐसे करेगी जैसा विहित किया जाय।

(3) संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का पंचायतों को ऐसे हस्तान्तरण करेगी जैसा विहित किया जाय।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित 29 विषयों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों के कार्यों एवं दायित्वों हेतु तीन ऐसी पृथक–पृथक अनुसूचियां निर्धारित करेगी जैसा नियमों में विहित किया जाय।

(5) राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकों में इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के विरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्रस्तावों को निरस्त अथवा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा सकेगी।

(6) राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करेगी। जिला योजना समिति इस निमित्त पृथक से अधिनियम/नियमों के अधीन कार्य करेगी।

अध्याय–पच्चीस

प्रकीर्ण

त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं परिसीमन संख्या का अनुपात

130. (1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो।

(2) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाएगा।

(3) किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से सरकार द्वारा कराया जा सकेगा–

(क) कोई ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत जब तक कि उसे इस अधिनियम की धाराओं के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख से पाँच वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(ख) किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के संगठन के लिये निर्वाचन–

(एक) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व;

(दो) उसके विघटन की तारीख से छः मास के अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जाएगा :

परन्तु यह कि जहाँ विघटित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की शेष अवधि जब तक कि पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत बनी रह सकती थी, छः माह से कम हो, वहाँ पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का संगठन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संघठित की गई ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए, जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत खण्ड (4) के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बनी रहेगी।

(5) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का संगठन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जाएगा जो नियत की जाए और तदुपरान्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला

पंचायत को सम्यक् रुप से विघटित समझा जाएगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के संगठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष जैसी स्थिति हो एवं सम्बन्धित पंचायत के दो तिहाई सदस्य विधिवत रूप से निर्वाचित न हो जाएं।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का संघठन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहीं राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छः मास से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, क्षेत्र पंचायत की दशा में प्रमुख, जिला पंचायत की दशा में अध्यक्ष की समस्त शक्तियों, कृत्यों के साथ–साथ तीनों स्तर की पंचायतों की समितियों की शाक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा।

निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध

131. (1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जिले मे पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2)जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्थान का प्रबन्धाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में या सहायक निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं से, प्रबन्धाधिकरण से उपधारा (2) में अभिर्दिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो और वे ऐसे प्रत्येक अधियाचना का पालन करेंगे।

(4)यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) के अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(क) (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, पदीय कर्तव्य भंग करने में युक्ति युक्त कारण बिना किसी कार्य का दोषी हो तो उसे अर्थ दण्ड किया जा सकेगा जो 250 रू० (रूपये दो सौ पचास) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी; मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त की जाए और इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'पदीय कर्तव्य' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्तव्य नहीं है।

(ख) (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि जिले के या राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

(एक) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतदान पेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या होना संभाव्य है, अथवा

(दो) किसी मतदान स्थल से या को मत पेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीव जन्तु की आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तो वह ऐसे परिसर या यथास्थिति ऐसे वाहन को अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई वाहन जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए विधि पूर्ण उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिग्रहित न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसके बाबत जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का भी स्वामी है यह उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस पर तामील जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति से की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (ख) के अधीन अधिग्रहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि से आगे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उक्त उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में –

(क) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग जिसमें झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(ख) वाहन से अभिप्राय किसी ऐसे वाहन से अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से चालित हो या नही।

(ग) जहाँ धारा 130(ख) के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी

धनराशि का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात –

(एक) परिसर के लिये देय किराया या यदि कोई ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिये देय किराया;

(दो) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के फलस्वरूप अपने कारोबार या निवास के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुसंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो;

परन्तु यह कि जहाँ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे निर्धारित प्रतिकर की धनराशि से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाय, वहाँ देय प्रतिकर की धनराशि ऐसी होगी जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करें;

परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त जहाँ प्रतिकर पाने के हक विषयक में प्रतिकर की धनराशि के बटवारे से सम्बन्धित कोई विवाद है, वहाँ निर्धारण के लिये इस निमित नियुक्त मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(तीन) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग कोई वाहन धारा 130(ख) के अनुसरण में अधिग्रहित करें तब उसके स्वामी को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का अवधारण इस धारा में व्यवस्थित रीति से व नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा जैसी भी स्थिति हो अवधारित किया जायेगा;

परन्तु यह कि "हितबद्ध व्यक्ति" से उस व्यक्ति से है, जो धारा 130(ख) के अधीन अधिग्रहित परिसर या वाहन पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व कब्जा रखता था अन्यथा परिसर या वाहन का स्वामी या अवक्रय करार के आधार पर कब्जाधारी अभिप्रेरित है।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी सम्पत्ति को धारा 130 (ख) के अधीन अधिग्रहित करने की या धारा 130 (ग) के अधीन देय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति के आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे प्राधिकारी को देय जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ङ) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर या वाहन के सम्बन्ध में धारा 130(घ) के अधीन आदेश किया जाय और किया जाये तो किस रीति से किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे वाहन का निरीक्षण कर सकेगा।

(च) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहित परिसर या वाहन पर धारा 130(घ) के अधीन किये गये किसी आदेश को उल्लंघन कर परिसर या वाहन का कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर या वाहन में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा। ऐसा सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नही आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

(छ) (1) जबकि धारा 130(घ) के अधीन अधिगृहित कोई परिसर या वाहन अधिग्रहण से नियुक्त किए जाने हो, उनका कब्जा उस व्यक्ति को जिससे उनके अधिग्रहित किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या कोई ऐसा व्यक्ति नही था, उस व्यक्ति को, जिसके विषय में जिला मजिस्ट्रेट या यह समझता है, कि वह वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसा परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के विषय में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर या वाहन के बावत ऐसे किन्ही अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरूद्ध, जिसे परिसर या वाहन पर कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक, प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

(2) जहाँ कि वह व्यक्ति, जिसे 130(घ) के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर या वाहन का कब्जा उपधारा (3) के अधीन दिया जाना है, पाया नही जा सकता या जिसका सरलता से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना, कि ऐसे परिसर या वाहन अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर या वाहन के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र प्रकाशित करवायेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी हो तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर या वाहन ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और न रहने की स्थिति में उनके विषय में यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उस तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर या वाहन के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।

(ज) (1) अध्यक्ष के रूप में अथवा पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाए, इन आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जाए;

परन्तु यह कि निर्वाचन इस कारण स्वतंत्र निर्वाचन नहीं इसमें रिश्वत अथवा अनुसूचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(दो) निर्वाचन के परिणाम पर –

(एक) किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा

(दो)इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर उपेक्षा किए जाने का सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2)इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे।

(एक) रिश्वत, अर्थात –

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े न होने के लिए प्रेरित करने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने

के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उददेश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कि –

(एक) किसी निर्वाचन को इस बात के लिए कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा।

(दो) किसी निर्वाचक को मत देने या मत न देने के लिए अथवा अपने पक्ष में मत देने के लिए पुरस्कार स्वरूप दिया जाए।

(क) पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना।

(ख) अनुचित प्रभाव अर्थात निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न;

परन्तु यह कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो ओर जो –

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को, जिससे उमीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार भी क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है, या

(2) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ में हस्तक्षेप कर रहा है।

(3) उपधारा (ख) के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो विहित किये जायें;

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जो, चाहे ऐसा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4)उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय –

(एक)आवेदन पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में;

(दो) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचक को अमान्य घोषित करने या आवेदन को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य राहत जो राहत आवेदक को प्रदान की जाए, के विषय में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जाये।

(5) उपधारा (1)(ख) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष आदेश के तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात –

(क) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है।

(ख) विहित प्राधिकारी ने अपनी आधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है।

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी आधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश आवेदन पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश या अपर सिविल न्याायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसे ऐसे अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(8) उपधारा (6)(क) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रति प्रेषित कर सकता है और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्याय संगत और सुविधाजनक प्रतीत होगा।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ट) (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 10 क, 11 क एवं भाग–7 के अध्याय–1 की धारा 123 एवं अध्याय 3 की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134क, 135, 135 क, 135 ग और 136, के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों :–

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किए गए निवार्चन का निर्देश हो;

(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन" रख दिए गए हों।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में शब्द "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिए गए हों।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 एवं 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तरखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2016 के द्वारा या अधीन" रख दिए गए हों।

(2) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन" रख दिए गए हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन कराये जाने वाले निर्वाचनों के सम्बन्ध में जहां कहीं इस अधिनियम एवं नियमावली में निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नही रखी गयी है वहां–वहां राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं को यथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा।

(ठ) (1) प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में निर्दिष्ट किसी पद पर चुना गया हो। पद पर आसीन होने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे नियत किया जाय नियत प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो पूर्वोक्त शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार करें, यह समझा जायेगा कि उसने पद को तत्क्षण रिक्त कर दिया है।

निर्वाचन सम्बन्धी विषयों में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध

132. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के सम्बनध में की गयी किसी कार्यवाही या दिए गए किसी निर्णय की वैधतां के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिकता नही होगी।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निरीक्षण आदि हेतु नियत प्राधिकारी

133. (1) राज्य सरकार जैसा कि नियत करें, यथा स्थिति, अपने अधिकार क्षेत्र या अपने जिले की सीमाओं के भीतरः–

(क) **निदेशकः**– राज्य की सीमा के अन्तर्गत जिला पंचायत का विहित प्राधिकारी होगा और वह अपने अधिकार राज्य की सीमाओं के भीतर जिला पंचायत या उसकी समिति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निर्देशाधीन में किए जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, करवा सकेगा।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को पंचायते या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) लिखित आदेश द्वारा पंचायतें या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण लेखें या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगवाना वह उचित समझे, और

(घ) पंचायतें या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार, जो वह उचित समझे, अभिलेखबद्ध कर सकेगा।

(2) **जिला मजिस्ट्रेट :–** (क) जिले में स्थित क्षेत्र पंचायत के विहित प्राधिकारी होंगे। अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर क्षेत्र पंचायत या उसकी समिति या संयुक्त समिति अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निर्देशाधीन में किए जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, करवा सकेगा।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को जो क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) लिखित आदेश द्वारा क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण लेखें या प्रतिवेदन (जिसके

अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगवाना वह उचित समझे; और

(घ) क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार, जो वह उचित समझे, अभिलेखबद्ध कर सकेगा।

(3) **जिला पंचायत राज अधिकारी:–** (क) जिले में स्थित ग्राम पंचायत के विहित प्राधिकारी होंगे। वह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित ग्राम पंचायत या उसकी समिति या संयुक्त समिति अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निर्देशाधीन में किए जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, करवा सकेगा।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को जो ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ग) लिखित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण लेखें या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगवाना वह उचित समझे; और

(घ) ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार, जो वह उचित समझे, अभिलेखबद्ध कर सकता है।

पंचायतों के सन्दर्भ में राज्य सरकार के अन्य अधिकार और कर्तव्य

134. (1) राज्य सरकार समय–समय पर समुचित नोटिस के पश्चात् जिला पंचायत के नियोजन तथा विकास विषयक अनुदान के सम्बन्धित विशयों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुला सकती है, जिसमें वह स्वयं, अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी और यदि आवश्यक समझा जाए तो वित्त अधिकारी सम्मिलित हों।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को विकास कार्य की प्रगति का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा।

विहित प्राधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण

135. ज़िला पंचायत के व्यय से पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुरक्षित निर्माण कार्य या संस्था का तथा तत्सम्बन्धी, अभिलेखों, पुस्तकों, लेखा या लेखा पत्रों का सभी समयों पर इस प्रकार जैसा कि राज्य सरकार एतदर्थ आदेश करें, निरीक्षण किया जा सकेगा।

नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार

136. (1) नियत प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, किसी जिला पंचायत या जिला पंचायत की समिति, या संयुक्त समिति अथवा जिला पंचायत या संयुक्त समिति के सेवक द्वारा इस या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन पारित या दिए गए किसी संकल्प या आदेश निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश स्पष्टतः अवैध या निर्देश से असंगत हो या इस प्रकार का हो कि उससे जन–साधारण के लिए या विधि के लिए अवरोध क्लेश या क्षति अथवा मानव–जीवन, विपरीत स्वास्थ्य संभावना हो, और किसी व्यक्ति द्वारा उक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी काम के लिए जाने या उसे जारी रखे जाने का निषेध कर सकेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाए, तो उसे दिए जाने के कारणों के विवरण सहित, उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायेगी जो जिला पंचायत से स्पष्टीकरण मांगने तथा उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात उस आदेश को रद्द परिष्कृत या पुष्ट कर सकेगी।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन दिए गए, आदेश द्वारा किसी संकल्प का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया जाए और वह निषेधकारी आदेश तब भी प्रचलित हो तो जिला पंचायत या जिला पंचायत की समिति या संयुक्त समिति, अथवा जिला पंचायत या जिला पंचायत की समिति या संयुक्त समिति या इस प्रकार की किसी समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का, उक्त उपधारा के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे करने का उसे उस दशा में अधिकार हो तब वह संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होताा या दिया न गया होता और जो किसी व्यक्ति को उस संकल्प या आदेश जिसका आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया हो, आश्रय लेकर किसी काम को करने या उसका करना जारी रखने से रोकने के लिए आवश्यक हो।

आपात स्थिति के समय राज्य सरकार के पंचायतों के प्रति असाधारण अधिकार

137. (1) आपात स्थिति की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माण कार्य के निशपादन का, अथवा ऐसे कार्य के सम्पादन की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पादन का जिला पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति को अधिकार हो और जिसका तुरन्त निष्पादन अथवा सम्पादन उसकी राय में, जन साधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिए आवश्यक हो और वह यह निर्देश दे सकता है कि निर्माण कार्य को निष्पादित करने अथवा उस कार्य को सम्पादित करने के व्यय का भुगतान जिला पंचायत द्वारा तुरन्त किया जाए।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश या आज्ञा दे सकता है, जिससे जिला निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिए निधि में से उक्त व्यय का भुगतान करने का निर्देश हो और उक्त व्यक्ति ऐसे निर्देश का पालन करेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत या नियत अधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा जिसमें वह इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करें।

त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किया जाना

138. (1) राज्य सरकार पंचायतों के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी :–

(क) उसके किसी ऐसे विषय पर जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी बादार्थी; प्रतिनियोक्ता अथवा किसी व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक हित रखता हो, मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो।

(ख) वह ऐसे सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्पादन करने में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से असमर्थ

हो गया हो;

(ग) वह उक्त सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य, सम्पादन में अपने वर्तमान अथवा किसी पूर्ववर्ती कार्यकाल में अनाचार का दोषी या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या पंचायतों की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने तथा महिला प्रतिनिधियों के पति या पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार के द्वारा उनके स्थान पर अनधिकृत रूप से कार्यों का संचालन करने के कारण वह महिला सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त होंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय अंतिम जांच तक निलंम्बित किया जा सकेगा एवं उनके कार्य एवं दायित्व सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की एक समिति को सोंपे जा सकेंगे। अग्रेत्तर यह भी कि जांच में दोषी पाये जाने वाले विभागीय कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) किसी अन्य अनियमितिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस धारा के अधीन सदस्यता से हटाया गया हो तो उक्त उपधारा (ग) के अधीन हटाए जाने की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से क्रमशः सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर न होगा और यह समझा जाएगा कि उसका उक्त पद रिक्त हो गया है।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन पंचायत की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के तारीख से पांच वर्ष तक पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या किसी पंचायत का क्रमश सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए अनर्हित होगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है।

(4) **निलंबनः– (क)** प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यदि प्राथमिक जाँच के उपरान्त प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया जाता है, तो अंतिम जाँच होने तक राज्य सरकार उसे निलम्बित कर सकेगी।

(ख) यह सिद्ध हो जाय कि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक प्रधान/उप प्रधान के घर पर आहूत की गई, तो सम्बन्धित के विरूद्ध जाँच के उपरान्त राज्य सरकार उसे निलम्बित कर सकेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार/विहित प्राधिकारी द्वारा तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि सम्बधित को इस बात के कारण को प्रकट करने का उचित अवसर नही दे दिया गया हो;

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक जांच एक माह के अंतर्गत और अंतिम जांच छः माह की अवधि में पूर्ण करनी आवश्यक होगी।

राज्य सरकार का पंचायतों को विघटित करने का अधिकार

139. यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि पंचायत इस अधिनियम में या किसी अन्य को यह प्रतीत होता है कि पंचायत इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित का अतिक्रमण या दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार, पंचायत से

स्पष्टीकरण मांगने तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरूद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसी कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जिसमें कार्यवाही के कारण भी दिए होंगे, पंचायत को विघटित कर सकेगी।

अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन

140. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को प्रदत्त, सौंपे गये प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(2) इस अधिनियम का तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अपने अधीन तत्समय सम्पादित किसी कृत्य को उस सीमा तक जो नियत की जाए ग्राम पंचायत को सौंप सकती है या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को सौंप सकती है और इस प्रकार सौंपे गए कृत्य को वापस ले सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उसके नीचे स्तर पर तत्समय सम्पादित किसी कृत्य को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या किसी जिला पंचायत अथवा समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों को सौंपे गए कृत्यों को वापस ले सकेगी।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन, राज्य सरकार कोई कृत्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को सौंपती है तो वह निर्देश दे सकती है कि सम्बद्ध विभाग का कोई कार्यक्रम, योजना या परियोजना भी, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को अन्तरित हो जायेगी और उसका कार्यान्वयन उसके नियन्त्रण में या उसके अधीन किया जायेगा।

कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति

141. किसी अमीन, आदेशिका वाहक, टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम के चौकीदार, पटवारी, सिंचाई विभाग के पतरौल तथा नलकूप–चालक, वन रक्षक, वन विभाग के चौकीदार, प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक, कांजी–हाउस रक्षक, ग्राम में कार्यरत पशुपालन विभाग के कर्मचारी अथवा ग्राम की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी, आँगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा कार्यकर्ती अथवा सरकारी विभाग के चपरासी आदि द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में आचरण, कर्तव्यविमुखता के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की आधिकारिता में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त होने पर ऐसी ग्राम पंचायत यदि प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित यदि प्रत्यक्षताः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित प्राधिकारी को भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी अग्रेतर जांच करने के उपरान्त, जो अपेक्षित हो समुचित कार्यवाही करेगा और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना देगा।

पंचायतों में समानान्तर संस्थाओं के गठन का निषेध

142. (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जो अधिकार व कृत्य पंचायतों को सौंपे गए हैं उनके सम्पादन व प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार की समानान्तर संस्थाओं का गठन नहीं किया जा सकेगा।

(ख) यदि कोई स्वैच्छिक संगठन किसी पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के जनकल्याण व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहे तो ऐसे संगठन को योजना के चयन व उसके सम्पादन के लिए सम्बन्धित पंचायत की सहमति को संकल्प (प्रस्ताव) के रूप में हो, लेनी होगी।

पंचायतों का अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा ऐसी संस्थाओं के जिनका वह प्रबन्ध नहीं करती हो, सहायता करने का अधिकार

143. इस सम्बन्ध में बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए पंचायतें –

(क) किसी अन्य पंचायत या अन्य स्थानीय अधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों में सम्मिलित हो सकती है जिनसे उनके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियन्त्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता हो

(ख) ऐसी किसी संस्था को या कार्य के लिए अंशदान दे।

पंचायतों के कार्यों का संचालन और अधिकारों का प्रयोग

144. इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त, सौंपे गये तथा प्रतिनिहित किये गये और सम्बन्धित अनुसूचियों में उल्लिखित अधिकारों कर्तव्यों तथा तद्धीन नियमों द्वारा किसी अन्य को सौंपे या प्रतिनिहित किए गये, अधिकारों को छोड़कर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अपनी बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और समाधान किया जायेगा अन्यथा नहीं।

समितियों के अधिकार व कृत्य

145. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में स्थापित समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

(1) **नियोजन एवं विकास समिति**– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:–

(क) सम्बन्धित पंचायत के वित्तीय विषयों पर दृष्टि रखना व आय के श्रोतों का सृजन,

(ख) सम्बन्धित पंचायत के लिये वार्षिक कार्य योजना तैयार करना,

(ग) सम्बन्धित पंचायत का आय–व्यय तैयार कर स्वीकृति हेतु रखना,

(घ) कृषि, पशुधन और गरीबी उपशमन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,

(ड.) ग्रामीण मेलों एवं उत्सवों से सम्बन्धित विषय,

(2) **शिक्षा समिति**– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:–

(क) प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता सम्बन्धी कार्य,

(ख) स्कूल भवनों के लिये भूमि का चयन तथा स्कूल भवनों के निर्माण/मरम्मत की गुणवत्ता की देख–रेख करना,

(ग) संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रमांक 17, 18, 19, 20 एवं 21 सम्बन्धित विषय।

(3) **निर्माण कार्य समिति**– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:–

(क) सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करना,

(ख) सम्बन्धित पंचायत के अन्तर्गत समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना,

(ग) अनिवार्य श्रमदान के सम्बन्ध में।

(4) **स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति**– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:–

(क) संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रमांक 23, 24, 25, 26 एवं 27 से सम्बन्धित विषय,

(ख) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशिष्टतः महिला एवं बाल कल्याण, आँगनवाड़ी, पी.एच.सी./सी.एच.सी से सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वयन।

(5) **प्रशासनिक समिति**– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:–

(क) सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित सभी मामले,

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संम्बन्धित विषय।

(6) **जल प्रबन्धन एवं जैव विविधता प्रबन्ध समिति**– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:–

(क) नलकूपों और पेयजल योजनाओं का समुचित संचालन और अनुरक्षण,

(ख) आबादी क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के उपाय,

(ग) भूमि के विभिन्न प्रकारों, परम्परागत किस्मों एवं खेती का संरक्षण। पशुओं एवं सूक्ष्मजीवों का भण्डारण तथा जैव विविधता से सम्बन्धित विषयों की जानकारी।

राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना

146. राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने, अधीनस्थ अधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को प्रतिनिहित कर सकेगी।

इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करने की शास्ति

147. जो कोई इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा। वह जब तक अन्यथा नियत न किया हो, जुर्माने से जो (पांच सौ रूपये) रू0 500/– तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, (पचास रूपये) रू0 50/– तक का हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय, दण्डनीय होगा।

अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति

148. जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन

149. (क) कोई नियम बनाते समय राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी अथवा कोई उपविधि बनाते समय ग्राम पंचायत को निर्देश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/विधि का उल्लंघन करता है तो जुर्माने से जो (एक हजार रूपये) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोषसिद्धि की तिथि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, (एक सौ रूपये) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय, दण्डनीय होगा।

(ख) (1) राज्य सरकार का इस अध्याय के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए विनियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाए जायें और वे तब तक प्रभावी नही होगा जब तक वे गजट में प्रकाशित न हो जायं।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई विनियम समस्त मण्डलों या जिलों के लिए अथवा ऐसे समस्त मण्डलों या जिलों के लिए, जिन्हें स्पष्ट रूप से उसके प्रवर्तन से

अपवर्जित न किया गया हो, सामान्य रूप से हो सकता है अथवा किसी एक या अधिक मण्डलों या जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग के लिए विशेष रूप से हो सकता है, जैसा भी राज्य सरकार निर्देश दे।

(ग) (1) जिला पंचायत विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे विनियम तब तक प्रभावी नही होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय।

(2) जिला पंचायत का उपविधि बनाने का अधिकार इन शर्तों के अधीन होगा कि ऐसी उपविधियाँ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनायी जायेगी और वे तब तक प्रभावी न होंगी जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि नही हो जाय और वे गजट में प्रकाशित न हो जाएं।

(3) उपविधि की पुष्टि करने में नियत प्राधिकारी अथवा विनियम की पुष्टि करने में राज्य सरकार उसके स्वरूप में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसको आवश्यक प्रतीत हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों में किया गया कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय और इसी प्रकार से जिला पंचायत द्वारा बनायी गई उपविधि मे कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय।

(5) राज्य सरकार अपने आशय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी ऐसे विनियम को जिसकी उसने पुष्टि की हो अथवा उसी प्रकार नियुक्त प्राधिकारी किसी ऐसी उपविधि को जिसकी उसने पुष्टि की हो, रद्द कर सकता है और तदुपरान्त वह विनियम या उपविधि प्रभावी न रह जायेगी।

(घ) जब इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियत या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित हो, जिसके लिए उप धारा, नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न हो, तो वह कार्य करने के लिए उस नोटिस में उचित समय निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और यह निर्णय करना न्यायालय के हाथ में होगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थ में उचित समय है या नहीं।

(ड.) (1) इस अधिनियम के किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल, जब तक कि उस धारा, नियम या उपविधि में स्पष्टतया अन्यथा व्यवस्थित न हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील या प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) ऐसा नोटिस या बिल उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो नोटिस या बिल उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर, यदि वह जिला पंचायत या सम्बद्ध क्षेत्र पंचायत, जैसी भी दशा हो, के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो, छोड़कर या उसके कुटुम्ब के किसी सदवयस्क पुरूष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके अथवा नोटिस या बिल को उस इमारत या भूमि के, यदि कोई हो, जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर लिया जायेगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन कोई नोटिस किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील किया जाना, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, तो उसकी तामील उन दशाओं में जिनके लिए इस अधिनियम मे अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो–

(क) नोटिस स्वामी या अध्यासी को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर अथवा यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हों तो, उनमें से किसी एक को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अध्यासी न मिले तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष, सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या नोटिस को उस इमारत या भूमि का, जिसे उसका सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर दी जायेगी।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाता हो, आवश्यक हो तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष, सदस्य या सेवक पर उसका तामील किया जांना उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायेगी।

(च) कोई नोटिस या बिल आकार में दोष होने के कारण अमान्य नहीं होगा।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की सम्पत्ति की अन्तःक्षेपित करने की शास्ति

150. (1) जो कोई सार्वजनिक सड़क की किसी पटरी, नाले अथवा अन्य सामग्री अथवा उसके किसी घेरे, दीवार अथवा खंभे को अथवा बत्ती के खंभे या ब्रेकेट, निर्देश स्तम्भ बंबे, हाइड्रेण्ट अथवा (ग्राम पंचायत) की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को उसकी अथवा विधि सम्मत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटायेगा, विस्थापित करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगा अथवा अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, वह जुर्माने से जो 50 (पचास) रूपये तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय, दण्डनीय होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी कार्य, अपनी किसी उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपधारा (1) द्वारा आरोपित कोई शास्ति उपगत की है और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँचाई है तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने तथा ऐसी शास्ति के भुगतान करने का भागी होगा और अपराधी से उक्त क्षतियाँ विहित रीति से वसूल की जा सकेगी।

जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा

151. **(क)** यदि इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस दी गयी हो जिसमें उसे किसी जंगम अथवा स्थावर सार्वजनिक अथवा किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्माण–कार्य निष्पादित करने अथवा नोटिस में विर्निदिष्ट अवधि के भीतर किसी बात की व्यवस्था करने अथवा उससे विरत रहने की अपेक्षा की गयी हो। और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक करे, तब –

(1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उक्त निर्माण–कार्य को निष्पादित करा सकती है या ऐसी बात की व्यवस्था करा सकती है अथवा उसे पूरा करा सकती है और इस सम्बन्ध में अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को ऐसे व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में नियत रीति से वसूल कर सकेगी।

(2) ऐसा व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने का जो

(पांच सौ रूपये) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय, भी भागी होगा और उस दशा में जबकि उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्ध के तिथि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, (दस रूपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा अथवा जैसा विहित किया जाय;

परन्तु यह कि कोई नोटिस इस कारण अमान्य न होगा कि उसके आकार में कोई दोष है या उसमें कोई बात छूट गई है।

(ख) जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन दण्डनीय अपराधों में से किसी अपराध का तब तक संज्ञान न करेगा जब तक कि जिला पंचायत या सम्बद्ध क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अथवा सम्बद्ध क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करे या जिला पंचायत या उक्त व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त न हो।

अपीलें

152. (1) इस अधिनियम के अथवा किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा दिये गये आदेश अथवा निर्देश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति जब तक अन्यथा नियत न किया गया हो, ऐसे आदेश अथवा निर्देश की तिथि से तीस दिन के भीतर, जिसमें उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा, नियत अधिकारी को अपील कर सकता है जो उक्त आदेश या निर्देश को परिवर्तित या रद्द अथवा पुष्ट कर सकता है और अपील करने वाले व्यक्ति को या उसके विरूद्ध वांद व्यय भी अधिनिर्णीत कर सकता है।

(2) विहित प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो वह उपधारा (1) में अपील के लिए अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

कतिपय मामलों में अभियोजन का अस्थिगित

153. यदि किसी आदेश अथवा निर्देश के विरूद्ध कोई अपील की गई हो, तो ऐसे आदेश अथवा निर्देश को प्रवृत्त करने के लिए कोई कार्यवाही और उसके उल्लंघन के लिये कोई अभियोजन विहित प्राधिकारी के आदेश से, अपील का निर्णय होने तक, निलम्बित किया जा सकेगा और यदि अपील में ऐसा आदेश या निर्देश रद्द कर दिया जाये तो उसकी आज्ञा को अपराध नहीं समझा जायेगा।

अपराध का शमन करने की शक्ति

154. (क) (1) एतदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत किसी आपराधिक वाद के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये अपराध का शमन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की ऐसी धनराशि जो विहित की जाये, के विरूद्ध भुगतान किये जाने पर कर सकती है।

(2) जब किसी अपराध का शमन किया गया हो तो अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार शमित अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इस धारा के अधीन शमन के रूप में भुगतान की गई समस्त धनराशियाँ ग्राम निधि, क्षेत्र निधि एवं जिला निधि जमा कर दी जायेंगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कार्य, उपेक्षा या चूक से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन आरोपित शास्ति का भागी हो गया हो, जिला पंचायत या किसी क्षेत्र पंचायत की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँची हो तो ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति के भुगतान करने का उत्तरदायित्व होगा और विवाद की दशा में, क्षतिपूरक की मात्रा मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसके द्वारा उक्त शास्ति का व्यक्ति दण्डित किया जाय तथा माँग की जाने पर ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर वह अभिहरण द्वारा वसूल की जायेगी तथा उक्त मजिस्ट्रेट एतदर्थ अपना अधिपत्र जारी करेगा।

(ग) (1) धारा 67 में उल्लिखित किसी आदेश या निदेश पर उसमें व्यवस्थित रीति या अधिकारी से अन्यथा आपत्ति न की जायेगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा वह उक्त आदेश या निदेश की पुष्टि करे, उसे रद्द करे या उसका परिष्कार करे, अंतिम होगा:

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह वैध होगा कि प्रार्थना--पत्र दिये जाने पर तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद, वह अपने द्वारा अपील में दिये गये किसी ओदश का पुनर्विलोकन एक ऐसे अतिरिक्त आदेश द्वारा करे जो उसके मूल आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर दिया जाये;

परन्तु यह और कि यदि धारा 67 में उल्लिखित कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अतिलंघन करता हो तो उसे तद्विषयक क्षेत्राधिकारयुक्त किसी दीवानी न्यायालय में उक्त आदेश या निदेश पर आपत्ति करने का अधिकार होगा।

(घ) (1) यदि प्रतिकर की उस धनराशि के सम्बन्ध में जिसका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत से अपेक्षित है, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निबटारा ऐसी रीति से किया जायेगा जिसके विषय में सम्बद्ध पक्ष सहमत हो, या कोई सहमति न हो सके तो, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा या प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना--पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसका निबटारा किया जायेगा।

(2) कलेक्टर का प्रतिकर दिलाने का कोई निर्णय, प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति के इस अधिकार के अधीन होगा कि वह उसके भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013), की धारा 18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को अभिदिष्ट करवाये।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाये, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश, यथासम्भव उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर देने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए नियत की गई है।

(ङ) (1) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत तथा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामलों में जिसमें वे संयुक्त रूप से हित रखते हों, विवाद उत्पन्न हो तो विवाद राज्य सरकार को अभिर्दिष्ट कर दिया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) राज्य सरकार जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, रहने वाले सम्बन्धों को नियत प्राधिकारी द्वारा विनियमित कर सकती है।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उनके अधिकारियों और सेवकों के विरूद्ध सिविल वाद

155. (क) (1) ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धक समिति, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के विरूद्ध या उसके सेवक के विरूद्ध अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जो इन निकायों अथवा व्यक्तियों में से किसी के निर्देश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य के लिये, जो उसने इस अधिनियम के अधीन अधिकारिक रूप से किया हो या जिसका किया जाना तात्पर्यित हो, कोई सिविल वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही तब तक न संस्थित की जायेगी जब तक कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को लिखित नोटिस, जिसमें वाद–कारण, अपेक्षित उपशमी का प्रकार, दावा किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि, कोई हो, कोई इच्छुक वादी का नाम तथा उसके निवासगृह का पता स्पष्ट रूप से वर्णित होगा, सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यालय में परिदत्त दिये जाने या वहाँ छोड़ दिये जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उसके निर्देश के अधीन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, उसे परिदत्त किये जायें अथवा उसके कार्यालय या उसके निवास–गृह पर छोड़ दिये जाने के बाद दो मास न व्यतीत हों, और वाद–पत्र में इस आशय का कथन होगा कि ऐसी नोटिस इस प्रकार परिदत्त की गयी है या छोड़ दिया गया हो।

(2) कोई ऐसी कार्यवाही, जो उपधारा (1) में वर्णित है, वाद–कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् छः मास के भीतर ही प्रारम्भ करने के सिवाय अन्यथा प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(3) किसी न्यायालय में ग्राम पंचायत अथवा उसके किसी सदस्य या पदाधिकारियों अथवा उसके निर्देशन में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन सद्भावना में की गई अथवा की जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्यवाही के लिए दीवानी का मुकदमा अथवा अभियोजन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ख) दीवानी न्यायालयों द्वारा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या उनके अधिकारों के विरूद्ध अस्थायी आदेश का निर्देश किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय–

(1) किसी व्यक्ति को जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति उप समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों या कर्त्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिए कि वह व्यक्ति यथोचित रूप से सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआः या

(2) किसी व्यक्ति का क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति या उप समिति के सदस्य, प्रमुख, उप–प्रमुख, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिए वह व्यक्ति यथोक्त रूप में ऐसे सदस्य, प्रमुख, उप–प्रमुख, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ हैः या

(3) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति या उप–समिति की कोई निर्वाचन करने या किसी विशेष रीति से कोई निर्वाचन करने से रोकने के लिए कोई अस्थायी व्यादेश या अन्तरिम आदेश न देगा।

कार्यवाहियों की वैधता

156. इस अधिनियम के अधीन अथवा उपबन्धित को छोड़कर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अथवा उसकी कोई समिति इस बात के होते हुए भी कि उसकी सदस्यता में कोई कार्यवाहियाँ इस बात् के होते हुए भी वैध होगी कि किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी अथवा कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, मतदान किया अथवा अन्यथा भाग लिया तथापि प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य के किया जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से न्यूनतम दो–तिहाई व्यक्ति सदस्य होने के लिये अनर्ह न रहे हों।

पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

157. पुलिस का प्रत्येक अधिकारी किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किया गया हो और जिसकी उसे जानकारी हो जाये, सूचना तत्काल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को देगा और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के समस्त सदस्यों तथा सेवकों को अथवा न्याय पंचायत को विधि–सम्मत प्राधिकारों के प्रयोग में सहायता देगा।

वित्त आयोग एवं पंचायतों की निधि

158. **(क) वित्त आयोग**– (1) राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँचवे वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत् सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा–

(क) सिद्धान्त जो निम्नलिखित को शासित करेंगे–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण जिसे उनके बीच वितरित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने–अपने अंशों का आवंटन,

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे,

(तीन) राज्य की संचित निधि, में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान,

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

(2) वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी, अर्हताएं रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किये जायेंगे जैसी कि नियत की जाए।

(3) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

(4) वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है किन्तु त्याग–पत्र स्वीकृति किये जाने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(5) वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी शेष अवधि तक के लिए भरा जा सकता है।

(6) वित्त आयोग की अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,

अर्थात्—

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को माँग सकता है,

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है, एवं

(ग) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जैसी नियत की जाएं।

(7) राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी जो ग्राम निधि कहलायेगी।

(1) ग्राम निधि में ग्राम पंचायत या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशियों, जिसमें राज्य एवं केन्द्र सरकार या उसके विभागों तथा क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या लिए गये ऋण एवं निम्न प्रकार समस्त करों से प्राप्त आय ग्राम निधि में जमा किए जाएंगे।

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित विषयों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि भी जमा की जायेगी।

(क) इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी कर की आय;

(ख) ऐसी समस्त धनराशियां जिन्हें न्यायालय या किसी अन्य कानून में ग्राम निधि में जमा करने की आज्ञा दी हो;

(ग) ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा संग्रहित धूल, गन्दगी, गोबर, कूड़ा-करकट जिसके अन्तर्गत पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं की बिक्री से प्राप्त धन;

(घ) नजूल की सम्पत्ति और लगान उनकी अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार ग्राम निधि में जमा किए जाने का निर्देश दे;

(ड.) जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ग्राम निधि में से अंशदान के रूप में दी गयी धनराशियां;

(च) ऋण अथवा दान के रूप में दी गयी धनराशियां;

(छ) ऐसी अन्य समस्त धनराशियां जो राज्य सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ग्राम निधि को अभ्यर्पित की जाए;

(ज) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां।

(3) ग्राम निधि में जमा की गयी समस्त प्रकार की धनराशि का आहरण एवं उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी जो क्षेत्र निधि कहलायेगी।

(1) क्षेत्र पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धनराशियाँ जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार से सहायता अनुदान भी सम्मिलित है या इन पंचायतों द्वारा लिए गए समस्त ऋण निधि जैसी भी दशा हो, में जमा किए जायेंगे;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिए प्राप्त किये गये निधि के भागों को उसी प्रयोजन

विशेष के लिए अलग से रक्षित कर देगी और उसे उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगी।

(2) इस धारा में कोई व्याख्या क्षेत्र पंचायत के उन अधिभारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी ऐसे न्याय से उत्पन्न हो, जो विधितः उन पर निर्धारित किया गया हो या उन्होंने स्वीकार किया हो।

(3) क्षेत्र पंचायत नकद या वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए दे और तत्पश्चात् क्षेत्र पंचायत उसे जहाँ कहीं आवश्यक लगे, अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी।

(4) क्षेत्र निधि में जमा समस्त प्रकार की धनराशियों का आहरण एवं वितरण एवं क्षेत्र पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविधानों के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी के साथ–साथ जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार नियत करे, का होगा।

(घ) प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी जो जिला निधि कहलायेगी।

(1) जिला पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त प्रकार की धनराशियाँ जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान भी सम्मिलित है या जिला पंचायतों द्वारा लिए गए समस्त ऋण निधि या जिला निधि जैसी भी दशा हो, में जमा किए जायेंगे;

परन्तु यह कि जिला पंचायत अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिए प्राप्त की गई निधि के भागों को उसी प्रयोजन विशेष के लिए अलग से रक्षित कर देगी और उसे उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगी।

(2) यह धारा जिला पंचायत के उन अधिभारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी ऐसे न्याय से उत्पन्न हो, जो विधितः उन पर निर्धारित किया गया हो या उन्होंने स्वीकार किया हो।

(3) जिला पंचायत नकद या किसी वस्तु विशेष के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए दे और तत्पश्चात् जिला पंचायत उसे जहाँ कहीं आवश्यक लगे, अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी।

(ड.) जिला पंचायत स्थानीय प्राधिकरण ऋण अधिनियम, 1914 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1914) में यथापरिभाषित "लोक अथारिटी" समझी जायेगी तथा उस अधिनियम के अधीन रूपया उधार लेने के प्रयोजनार्थ उसके समस्त उपबन्धों तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन रहेगी।

(च) निधि का उपयोग– (1) जिला निधि तथा जिला पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति और क्षेत्र निधि तथा क्षेत्र पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति उन व्यक्त या उपलक्षित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जायेगी जिनके लिए, इस अथवा या अन्य किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को अधिकार प्रदान किये गये हों या उस पर कर्त्तव्य या आभार आरोपित किये गये हों।

(2) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत यथास्थिति, जिले या खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिए या ऐसी सीमाओं के बाहर कोई

निर्माण–कार्य सम्पादित करने के निमित्त कोई व्यय–

(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यथा, अथवा

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तों से अन्यथा जो राज्य सरकार आरोपित करे, नहीं करेगी।

(3) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की निधि और सम्पत्ति का उपयोग पूर्वता के निम्नांकित क्रम से किया जायेगा–

(क) विधितः जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न होने वाले दायित्व और आभार।

(ख) अधिष्ठान व्यय का–जिसके अन्तर्गत पेंशन, भविष्य–निधि तथा अवकाश भत्ते भी हैं, भुगतान।

(ग) सरकार को देय समस्त धनराशियाँ।

(घ) स्थानीय प्राधिकरण ऋण अधिनियम, 1914 के उपबन्धों अधीन लिया गया कोई ऋण चुकाना तथा ब्याज का भुगतान।

(ड.) कोई धनराशि यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया हो, तथा

(च) इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन जिला पंचायत पर आरोपित कर्त्तव्यों तथा आभारों का निर्वहन।

भूमि प्रबन्धक समिति का कार्य

159. (1) भूमि प्रबन्धक समिति पर (ग्राम पंचायत) के लिए तथा उसकी ओर से धारा 79 में समस्त सम्पति, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी सामान्य प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा–

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है।

(ख) वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास,

(ग) आबादी स्थलों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(ड.) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास,

(छ) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्व समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा, उससे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन,

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति की विशेषतः अभ्यर्थित कृत्यों का सम्पादन, और

(झ) ऐसे प्रबन्धन परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये, और वह ग्राम पंचायत के उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुषांगिक हों।

(2) भूमि से प्रबन्धक समिति अपना कार्य जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करेगी।

सदस्य तथा अधिकारी, भूमि

160. (1) ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना जानते हुए सम्बन्धित भूमि

प्रबन्धक समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व नही अर्जित करेंगे

प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से किसी लाइसेंस पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा और न उपार्जित करने का प्रयत्न करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से यह नही समझा जाएगा कि उसने कोई हिस्सा या हित उपार्जित किया है या उपार्जित करने का प्रयत्न किया है।

(क) जब कि उसने हिस्सा या हित अपने सदस्य या अधिकारी बनने से पहले उपार्जित किया हो;

(ख) जबकि वह ऐसे क्रय में हित रखता हो जो कि सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति आकस्मिक करती हो और जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता हो और क्रय की हुई वस्तु का मूल्य 5,000/- रू० से अधिक न हो।

(2) कोई न्यायालय या अन्य अधिकारी ऐसे कार्य के आधार पर जो किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के उपबन्धों के विपरीत किया हो उक्त व्यक्ति के दावा करने पर उसे कोई हक नहीं दिलाएगा।

संयुक्त समिति

161. (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो विहित किये जायें दो या अधिक ग्राम पंचायतें किसी ऐसे कार्य को करने के लिये जिनमें वे संयुक्त रूप से अभिरूचि रखती हों अपने प्रतिनिधियों को संयुक्त समिति की नियुक्ति करने हेतु लिखित विलेख द्वारा एक में सम्मिलित हो सकेगी और-

(क) ऐसी शर्तो के साथ जिन्हें वे आरोपित करना उचित समझे, उस समिति को ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बन्धकारी कोई योजना बनाने के लिये जो किसी सम्मिलित निर्माण कार्य के निवारण तथा रख-रखाव के सम्बन्ध में और ऐसी किसी योजना के सम्बन्ध में उक्त किसी सभा द्वारा काम में लाये जाने वाले अधिकार के सम्बन्ध में हों अधिकार सौंप सकेगी।

(ख) ऐसी समिति के बने रहने तथा उस समिति के सदस्यों की पदावधि और कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार करने की पद्धति के सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम बना सकती है या उनको परिष्कृत कर सकेगी।

(2) यदि इस धारा के अधीन कार्य करते हुये ग्राम पंचायत में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो उसे विहित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और उसके सम्बन्ध में उस प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दें तो या उससे अधिक ग्राम पंचायतें उपधारा (1) में विर्निदिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी।

(4) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दें तो या उसे अधिक ग्राम पंचायतें उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी।

संपत्ति को संक्रमित करने का अधिकार

162. (क) (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी निबन्धन के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अपने में निहित किसी संपत्ति को, जो ऐसी संपत्ति न हो, जो किसी ऐसे न्यास के रूप में उसके अधिकार में हो, जिसकी शर्तें उसके इस प्रकार संक्रमण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय, बंधक, पट्टे, दान, विनिमय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संक्रमित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, राज्य सरकार की स्वीकृति से, अपने में निहित कोई संपत्ति सरकार को संक्रमित कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे किसी ऐसे न्यास या सार्वजनिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिनके अधीन वह संपत्ति हो।

(ख) (1) जो कोई किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वनजिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा, जैसा विहित किया जाय।

(2) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जमानतीय और संज्ञेय होगा।

(ग) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत अपनी निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकेगी जिसे जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन कार्य कराने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमित से या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग से या आरोपित कर्त्तव्य के सम्पादन से क्षति पहुँची हो और ऐसा प्रतिकर तभी देगी जब कि स्वयं क्षति उठाने वाले व्यक्ति से कोई चूक नही हुई हो।

(घ) (1) जब जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में किये जाने वाले किसी मेले, कृषि प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियंत्रित और विनियमित पशु बाजार या पशु मेले के अवसर पर तथा स्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत राज्य सरकार से विशेष पुलिस संरक्षण की माँग करे तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था की व्यवस्था कर सकेगी और उक्त परिषद द्वारा न्याय रूप में देय समझे, अदा करेगी।

(2) यदि देय व्यय की राशि अदा नही की जाय तो नियत प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकेगा जिसमें जिला–निधि या क्षेत्र निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को यह निदेश हो कि वह उक्त व्यय उस निधि से अदा कर दे और वह व्यक्ति तद्नुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा संविदाएँ

163. **(क)** (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर हो।

(2) संविदाओं की स्वीकृति निष्पादन, परिवर्तन तथा निर्वहन से सम्बद्ध समस्त विषय जिनके अन्तर्गत उनके लिए योजनाएँ, अनुमान तथा परियोजनाएँ तैयार करना तथा उनके लिए स्वीकृति देना भी है, नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(3) यदि किसी संविदा का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा एतदर्थ निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण से अन्यथा किया जाए तो यह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत पर बन्धनकारी नही होगा।

(ख) निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे अर्थात्–

(1) अनुदान तथा ऋण देना,

(2) लेखे जो जिला पंचायत या क्षेत्र समिति द्वारा रखे जायेंगे,

(3) जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त समिति से और क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त एवं विकास सिमति, शिक्षा समिति और समता से बजट

के सम्बन्ध में परामर्श करने की रीति।

(4) रीति जिससे ऐसे लेखों की परीक्षा की जायेगी और उन्हें प्रकाशित किया जायेगा तथा लेखा–परीक्षकों का व्यय को अस्वीकृत करने और किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक की अज्ञानता या अनाचार के कारण जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी निधि या सम्पत्ति को हुई क्षति या उसके अपव्यय या दुरूपयोग के सम्बन्ध में जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध सिफारिश करने का अधिकार;

(5) तिथि जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिए बैठक की जायेगा,

(6) बजटों की तैयारी में अपनायी जाने वाली प्रणाली तथा प्रपत्र,

(7) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ, विवरण और प्रतिवेदन, और

(8) यात्रा–भत्ता, जिसके अन्तर्गत दैनिक–भत्ता भी है, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्षों, और उपाध्यक्षों, प्रमुखों, उप–प्रमुखों तथा सदस्यों को दिया जा सकेगा।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर का आरोपण जारी रहना

164. (1) यदि निश्चित तिथि से ठीक पूर्व किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कोई कर प्रचलित रहा हो जो संयुक्त प्रान्त जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1922) के अधीन आरोपित किया गया हो या जारी रखा गया हो, तो ऐसा कर जब तक कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समाप्त या परिवर्तित न कर दिया जाय, जिला पंचायत द्वारा उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों पर, जिनसे और जिनके अधीन वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया जा रहा था, उद्गृहीत किया जाता रहेगा तथा इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित तारीख पर ऐसे करों के उद्ग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त नियम, विनियम और उपविधियों, समस्त आदेश तथा विज्ञप्तियां और समस्त नियुक्तियां उसी प्रकार प्रचलित रहेंगी मानों इस अधिनियम के अधीन अनुसार निरस्त परिवर्तित या परिष्कृत किया जा सकता है।

(2) यदि निश्चित तारीख से ठीक पूर्व, किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कर पहले से ही प्रचलित हो तो उस जिले की जिला पंचायत आगे दी गयी रीति से ऐसा कर आरोपित कर सकेगी।

(3) विभव तथा सम्पत्ति पर कर यदि कोई बकाया जिला पंचायत द्वारा स्वगति से धारा 179 (करों तथा अन्य देयों की वसूलों की रीति).के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्तें और निबन्धन

165. जिला पंचायत का विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता हो या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है निर्धारणाधीन वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर न्यूनतम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जाएगा जिसकी कुल कर–योग्य आय 50,000/–रूपये वार्षिक से कम हो;

(ग) कर की दरें अथवा वार्षिक आय की अधिकतम सीमा जैसा कि राज्य सरकार नियत करे एव जिला पंचायत को संसूचित करे। ऐसी दशा में ही जिला पंचायत द्वारा तदोपरान्त ही आरोपित की जा सकेगी।

(घ) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम अनुमानित

धनराशि से, जो कोई हो, अधिक न होगी जोकि राज्य सरकार द्वारा नियम द्वारा नियत की जाए;

परन्तु यह कि इस धारा के प्रयोजन के लिए "कर योग्य आय" से तात्पर्य अनुमानित आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गो की आय नही होगी:-

(1) भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित "कृषि आय" से है।

(2) आय जिस पर किसी भी नगर क्षेत्र के लिए प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन किसी नगर क्षेत्र हेतु गठित पालिका/परिषद् या महापालिका द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो।

विभव तथा सम्पत्ति कर की ग्राम पंचायतों के माध्यम से वसूली

166. जिला पंचायत विभव कर तथा अन्य कर यदि कोई हो, फीस, शुल्क आदि ग्राम पंचायतों के माध्यम से वसूल करा सकेगी। ग्राम पंचायत उस दशा में जिला पंचायत के निर्णयानुसार कर आदि वसूल की गयी धनराशि का उचित प्रतिशत जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, देय होगा। ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की गयी कर की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के एक सप्ताह के अन्तर्गत जिलानिधि में अवश्य जमा करायेगी।

कर रोपण के लिए प्रस्तावों का तैयार किया जाना

167. (1) जब कोई जिला पंचायत कर आरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बिन्दु निर्दिष्ट किये जाएगें :-

(क) कर, जो धारा 179 में वर्णित करों, में से कोई होगा, जिसे वह आरोपित करना चाहे;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन पर कर का दायित्व डाला जायेगा तथा उन सम्पत्तियों पर अन्य कर योग्य वस्तु या विभव का वर्णन जिसके सम्बन्ध में उन पर दायित्व डाला जायेगा, किन्तु जब कोई वर्ग या वर्णन खण्ड (क) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा पहले ही से पर्याप्त रूप से परिभाषित हो, तो उसकी पुनरावृत्ति की अपेक्षा न होगी;

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्ग्राह कर की मात्रा या दर;

(घ) धारा 126 में उल्लिखित कोई अन्य विषय जिसे निर्दिष्ट किए जाने की राज्य सरकार नियम द्वारा अपेक्षा करे।

(2) जिला पंचायत उन नियमों का एक प्रालेख भी तैयार करेगी जो वह धारा 128 में उल्लिखित विषयों से सम्बन्ध में राज्य सरकार से बनवाना चाहें।

(3) तत्पश्चात जिला पंचायत नियमों द्वारा नियम रीति से, उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये प्रस्तावों और उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए नियमों के प्रालेखों को, ऐसे रूप से नोटिस के सहित जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करें, प्रकाशित करेगी।

प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया

168. (1) कोई व्यक्ति जो सामान्यतः उस जिले में रहता जो या व्यवसाय करता हो जिस पर जिला पंचायत कर आरोपित करना चाहती हो, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, पूर्वगामी धारा के अधीन तैयार किए गए सभी या किसी प्रस्ताव के विरूद्ध लिखित रूप से आपत्ति कर सकेगी और जिला पंचायत इस प्रकार की गयी किसी भू-आपत्ति पर विचार कर सकेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आदेश पारित करेगी।

(2) यदि कोई पंचायत अपने प्रस्तावों को या उसमें से किसी प्रस्ताव को परिष्कृत करना

चाहे तो वह परिष्कृत प्रस्तावों को और आवश्यक हो तो पुनरीक्षित नियमों के प्रालेख को ऐसे नोटिस के सहित प्रकाशित करेगी जिससे कि प्रस्ताव तथा नियम, यदि कोई हो, आपत्तियों के लिए पूर्व प्रकाशित और नियमों का परिष्कार करके बनाए गए हैं।

जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प

169\. (1) पूर्वगामी धाराओ के अधीन भेजी गयी नियमों की प्रति प्राप्ति पर जिला पंचायत विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किए जाने वाली तिथि से कर के आरोपण का निर्देश देगी। जो कि उक्त तिथि एवं उस संकल्प की तिथि से न्यूनतम छः सप्ताह का होगा।

(2) जिला पंचायत द्वारा धारा 168 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

(3) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा 168 के अधीन निर्दिष्ट तारीख के करारोपण को गजट में विज्ञापित कराएगी और सभी दशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए किया जायेगा कि वह उस प्रकार विज्ञापित किया जा सकेगा।

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, उपधारा (3) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकेगी, जो वह उचित समझें

(ख) विमुक्ति – (1) जिला पंचायत एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, उस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी तथा इस विमुक्ति का जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीनीकरण कर सकेगी।

(2) जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्ति कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्ति कर सकेगी।

राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार

170\. (1) जब कभी राज्य सरकार को किसी भी शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि जिला पंचायत द्वारा आरोपित किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या किसी कर का भार न्यायसंगत नहीं है तो राज्य सरकार जिला पंचायत के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा सरकार, जिला पंचायत के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकती है कि वह आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके भीतर से कर में या कर के निर्धारण या वसूली की रीति में विद्यमान हो।

(2) यदि जिला पंचायत, राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक के लिए जब तक कि उक्त

दोष दूर न कर दिया जाएं, निलम्बित कर सकेगी अथवा कर को समाप्त कर सकेगी या कम कर सकेगी।

दायित्व बतलाने का आधार

171. (क) (1) जिला पंचायत लिखित आदेश द्वारा उपरोक्त धाराओ में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने के लिए कह सकती है जो वह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि–

(क) वह व्यक्ति उस पर कर का देनदार है या नहीं जो उसके विभव या संपत्ति पर निर्धारित किया गया है;

(ख) उस पर कितनी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए; तथा

(ग) उस भूमि या इमारत का, जो उसके अध्यासन में हो, वार्षिक मूल्य क्या है तथा स्वामी का नाम और पता क्या है।

(2) किसी अन्य कर के सम्बन्ध में जिला पंचायत लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस कर का देनदार प्रतीत, जो ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है जो नियम द्वारा नियत की जाए।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे इस प्रकार सूचना देने के लिए कहा गया हो, वह सूचना नही दे या ऐसी सूचना दे जो असत्य हो, तो दोषी पाए जाने पर उसे जुर्माना किया जा सकेगा, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है।

(ख) धारा में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिला पंचायत का अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी और, यदि संकल्प द्वारा वह एतदर्थ प्राधिकृत हो तो जिला पंचायत का अन्य कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी इमारत में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी माप कर सकता है।

कर के सम्बन्ध में अपील

172. (1) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किए गए परिवर्तन के विरूद्ध अपील, विहित प्राधिकारी को उस रीति से की जा सकेगी और उसके द्वारा उस रीति से निर्णीत की जाएगी जो नियमों द्वारा नियत की जाए।

(2) धारा 169 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार के अधीन जिला पंचायत द्वारा आरोपित कर के विषय में राज्य सरकार, नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करेगी जिसे कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किए गए परिवर्तन के विरूद्ध अपील की जा सकेगी तथा उस रीति की व्यवस्था करेगी जिसके अनुसार ऐसी अपील प्रस्तुत तथा निर्णीत की जाएगी।

कालावधि तथा अभ्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना

173. ऐसी कोई अपील तब तक नही सुनी जाएगी और नही उस पर निर्णय दिया जाएगा, जब तक कि:–

(क) वह निर्धारण के या निर्धारण में किए गए परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति की तिथि के तीस दिन के भीतर, या यदि कोई नोटिस न दिया गया हो तो निर्धारण के या निर्धारण में किए गए परिवर्तन के अधीन की गई प्रथम मांग के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की गई हो; और

(ख) यदि अपीलकर्ता से अभ्यर्थित कोई धनराशि जेसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत हो, उसका आधा भाग, उसके द्वारा जिला पंचायत के कार्यालय में जमा न कर दिया गया हो।

व्यय

174. (1) धारा 171 के अधीन की गई किसी भी अपील में व्यय दिलाना, अपील का निर्णय करने वाले विहित प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर होगा।

(2) इस धारा के अधीन जिला पंचायत को दिलाया गया व्यय जिला पंचायत द्वारा धारा

172 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) यदि जिला पंचायत अपीलकर्ता को दिलाया गया व्यय, व्यय दिलाने वाले आदेश की सूचना जिला पंचायत को दिए जाने के तारीख के बाद बीस दिन के भीतर अदा न करें तो व्यय दिलाने वाला अधिकारी जिला निधि की अवशिष्ट राशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को व्यय की उक्त धनराशि अदा करने का आदेश दे सकता है और वह व्यक्ति तद्नुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक

175. (1) उस रीति या प्राधिकारी से, जिसकी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन व्यवस्था की गई हो, भिन्न किसी रीति से या प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्यांकन या निर्धारण के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति पर कर निर्धारित किए या लगाए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति न की जाऐगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश जिसके द्वारा गणना या निर्धारण के दायित्व या कराधान के सम्बन्ध में कोई आदेश पुष्टिकृत, रद्द, परिष्कृत किया गया हो, अंतिम होगा;

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह आवेदन–पत्र दिए जाने पर या स्वतः अपने द्वारा अपील मे दिए गए आदेश का अपने मूल आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर एक और आदेश पारित करके पुनर्विलोकन करें ।

व्यावृतियां

176. कोई भी निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या अन्य ऐसा लेखा जो किसी कर, परिव्यय, किराए या शुल्क के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव को निर्दिष्ट करता हो या निर्दिष्ट करना भावित हो, केवल इसी कारण कि किसी व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यवसाय या पेशे के स्थान में अथवा संपत्ति, वस्तु या विभव के वर्णन में कोई त्रुटि रह गई हो, या केवल इस कारण कि उसमें कोई लिपिकीय अशुद्धि है या उसके आकार में कोई दोष है, अमान्य नहीं होगा और यह पर्याप्त होगा कि सम्बद्ध व्यक्ति, वस्तु या विभव की पहचान के प्रयोजन के निमित पर्याप्त वर्णन कर दिया गया है और किसी ऐसी सम्पत्ति के, जिस पर कर का दायित्व हो, स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक नही होगा।

निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम

177. इस अधिनियम द्वारा एतदर्थ की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, निम्नांकित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे, अर्थात् :–

(क) करों का निर्धारण और वसूली;

(ख) करापवंचन की रोकथाम;

(ग) पद्धति जिसके अनुसार कर लौटाने की अनुज्ञा दी जाएगी और उनका भुगतान किया जाएगा;

(घ) विभव तथा संपत्ति पर करों के मध्य भुगतानों की मांग के नोटिस के लिए तथा अभिहरण के अधिपत्र (वारंट) के निष्पादन के लिए शुल्क;

(ड़) अभिहृत पशुधन के पोषण के निमित्त लिए जाने वाले व्यय की दरें;

(च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नही की गई हो या अपर्याप्त की गई और राज्य सरकार की राय में जिसके लिए व्यवस्था करना आवश्यक हो; तथा

(छ) क्षेत्र में स्थापित भवनों को भवन संख्या के आवंटन सम्बंधी अधिकार।

करों में ग्राम पंचायतों का अंश

178\. यदि जिला पंचायत संकल्प द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने किसी कर, शुल्क या फीस को वसूल कराने का विनिश्चय करें तो ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वसूल की गई धनराशि का निश्चित प्रतिशत जो नियमों द्वारा नियत किया जाये, ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।

शुल्क और पथ कर– ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की संपत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिए शुल्क

179\. (1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, यथास्थिति, अपने में निहित या अपने प्रबन्ध में सौंपी गई किसी अचल संपत्ति के जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक मार्ग या स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है, (पट्टे के अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिए शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलामी द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(2) ऐसे शुल्क या तो उन शुल्कों के साथ उदगृहीत किये जा सकेंगे स्वीकृत लाइसेन्स या अनुमति के निमित लिए जा सकेंगे या वसूल किए जा सकेंगें।

(क) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, किसी ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत या अनुमति के लिए जिसे स्वीकृत करने का उसे उसे अधिनियम द्वारा उसके अधीन अधिकार प्राप्त हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो, शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(ख) कुछ अन्य शुल्क राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पड़ावों के प्रयोग के लिए शुल्क, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण कार्यों या संस्थाओं या सहायता–कार्यों के रूप में प्रारम्भ किए गये हों, प्रयोग के लिए उनसे होने वाले लाभों के लिए शुल्क, सांड़ों तथा बीजाश्वों की सेवा और पशुओं के पंजीकरण के लिए शुल्क, ऐसे मेलों, बाजारों, कृषि–प्रदर्शनी और औद्योगिक प्रर्दशनी के लिए शुल्क चाहे वे उसके प्राधिकार के अधीन की जाती हो या अन्यथा जिनमें जन–साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा निर्मित, मरम्मत किए गए या अनुरक्षित पुलों का प्रयोग के लिए पथकर निश्चित कर सकती है और उन्हें उद्ग्रहीत कर सकेगी।

(ग) बाजारों के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क और पथकर–राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाए कए किसी नियम के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, किसी ऐसे बाजार में जो उसके द्वारा स्थापित किया गया हो या जिसका वह अनुरक्षण या प्रबन्ध करती हो, निम्नलिखित शुल्कों या पथ–करों में से एक या अधिक आरोपित कर सकेगी–

(1) ऐसे बाजार में अपना व्यवसाय करने वाले कमीशन एजेन्टों, आढ़तियों, तौलों या मापकों पर लाइसेन्स शुल्क;

(2) बिक्री के लिए ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, टट्टू पशुओं या कुलियों पर पथकर;

(3) ऐसे बाजार में बिक्री के लिए माल प्रदर्शित करने का अधिकार के लिए या उसमें किसी इमारत या संरचना का प्रयोग करने के लिए बाजार शुल्क;

(4) ऐसे बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क।

(घ) पंचायतों द्वारा लगाए गए शुल्कों तथा पथकरों की वसूली की रीति –

(1) जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के जिन शुल्कों और पथकरों का भुगतान न किया गया हो वे नियत रीति से वसूल किए जा सकते हैं।

(2) ग्राम पंचायत के कर व देयों की वसूली की रीतिः– इस अधिनियम के अधीन आरोपित करों के कारण समस्त देयों एवं ग्राम पंचायत को देय अन्य आरोपित धनराशियों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली

180. **(क) करों तथा अन्य देयों की वसूली की रीति–** जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, बिल तथा बकायेदार अन्य देय जिला पंचायत द्वारा आगे व्यवस्थित रीति के बकायेदार की चल सम्पत्ति को अभिहरण;तथा बिक्री करके वसूल किए जा सकंगे।

(ख) बिल का प्रस्तुत किया जाना– (1) जैसे ही कोई व्यक्ति–

(क) जिला पंचायत द्वारा आरोपित किसी कर के मध्य किसी धनराशि का, अथवा

(ख) किसी अन्य धनराशि का, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन नार्दन इण्डिया फेरीज एक्ट, 1878 (एक्ट संख्या 17, 1878), के अधीन बनाये गये किसी नियत या उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थिति रीति के अनुसार वसूल करने योग्य घोषित की गई हो, देनदार हो जाय, जिला पंचायत यथाशीघ्र, ऐसे देनदार व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत करा देगी।

(2) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेन्स शुल्क का देनदार उस अवधि के आरम्भ होने पर समझा जायेगा जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

(ग) प्रत्येक ऐसे बिल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी–

(1) अवधि जिसके लिए तथा सम्पत्ति, व्यवसाय, विभव अथवा वस्तु जिसके सम्बन्ध में धनराशि माँगी गई हो,

(2) शास्ति जो भुगतान न किये जाने की दशा में आरोपित की जा सकेगी, और

(3) धारा 98 की व्यवस्था के अनुसार समय जिसके भीतर अपील, यदि कोई हो, की जा सकेगी।

(घ) यदि वह धनराशि, जिसके लिए पूर्वोक्त रीति से बिल प्रस्तुत किया जा चुका हो, बिल प्रस्तुत किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर जिला पंचायत के कार्यालय में अथवा उस व्यक्ति का, जो विनियम द्वरा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया हो अदा न की जाय, तो जिला पंचायत उस धनराशि के लिए देनदार व्यक्ति पर ऐसे आकार में जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करे, माँग का एक नोटिस तामील करवा सकेगी।

(ड.) (1) यदि उक्त धनराशि का देनदार व्यक्ति माँग के ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर–

(क) नोटिस में माँगी गई धनराशि अदा न करे, या

(ख) जिला पंचायत के या ऐसे अधिकारी के, जिसे जिला पंचायत इस सम्बन्ध में विनियम द्वारा नियुक्त करे, संतोषानुसार इस बात का कारण न बताये कि वह धनराशि क्यों अदा न करे, तो ऐसी धनराशि, वसूली के सम्पूर्ण व्यय सहित जिला पंचायत द्वारा ऐसे आकार में, जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करे, जारी करवाये गये अधिपत्र (वारन्ट) के अधीन बकायेदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूली की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये प्रत्येक अधिपत्र में अध्यक्ष के अथवा किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसके जिला पंचायत ने विनियम द्वारा यह अधिकार

प्रतिनिहित किया हो।

(च) जिला पंचायत के किसी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसे धारा 105(ड.) के अधीन जारी किया गया अधिपत्र सम्बोधित हो, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अधिपत्र में आदिष्ट अभिहरण करने के निमित्त किसी इमारत के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की हो केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में तोड़कर खोले अन्यथा नहीं–

(क) यदि अधिपत्र में कोई ऐसा विशेष आदेश हो जिसके द्वारा उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तथा

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने के उचित कारण हो कि उक्त इमारत में ऐसी सम्पत्ति है जो अधिपत्र के अधीन अभिगृहीत की जा सकती है, तथा

(ग) यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने और प्रवेश के लिए यथाविधि अनुमति माँगने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश न कर सकें;

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी स्त्रियों के रहने के लिए उपयुक्त कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं करेगा और न उसके दरवाजे को तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी स्त्री की, जो उसके भीतर हों, वहाँ से हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

(छ) (1) अधिपत्र में उल्लिखित अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह किसी बकायेदार की चल सम्पत्ति का, ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जहां पर वह पायी जाए, उप धारा (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अभिहरण करें।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का अभिहरण नही किया जायेगा।

(क) बकायेदार या उसकी पत्नी और बच्चों को पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे और उसके खाना बनाने के लिए आवश्यक बर्तन,

(ख)जब बकायेदार खेतिहर हो तो उसके खेती के उपकरण, बीज, अनाज तथ ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हों।

(3) अभिहरण अत्यधिक न होगा, अर्थात् अभिहरण की गयी सम्पत्ति मूल्य में यथा संभव उस धनराशि के बराबर होगी, जो अधिपत्र में हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की राय में इस प्रकार अभिहरण नहीं किया जाना चाहिए था तो वे सभी वस्तुएं तुरन्त लौटा दी जायेंगी।

(4) सम्पत्ति का अभिग्रहण करके अधिकारी उस सम्पत्ति की तुरन्त एक सूची बनाएगा और उसे हटाने के पूर्व, अभिग्रहण के समय उस कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, उक्त सूची की अपने द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रतिलिपि तथा इस आशय का एक लिखित नोटिस कि उक्त सम्पत्ति उस नोटिस के उल्लेख के अनुसार बेच दी जायेगी ऐसे आकार में, जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करें, देगा।

(ज) (1) यदि अभिग्रहित सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाने वाली अथवा वसूल की जाने वाली धनराशि से मिलकर उसकी अभिरक्षा के व्यय के उसके मूल्य से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जिसने अधिपत्र पर हस्ताक्षर किए हों, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहित की गयी थी तुरन्त इस आशय का नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति तुरन्त बेच दी जायेगी और वह तदनुसार उसे बेच देगा, जब तक कि अधिपत्र में निर्दिष्ट धनराशि अविलम्ब अदा न कर दी जाय।

(2)यदि अभिग्रहित सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन तुरन्त न बेच दी गयी हो,

तो वह उसका पर्याप्त अंश, अधिपत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किए गए नोटिस में निर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर जिला पंचायत के आदेशानुसार सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है; जब तक कि अधिपत्र उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसमें हस्ताक्षर किए थे निलम्बित न कर दिया जाए या बकायेदार द्वारा देय धनराशि नोटिस, अधिपत्र और अभिहरण तथा सम्पत्ति से सम्बन्धी सभी आनुषांगिक व्ययों सहित अदा न कर दी जाए।

(3) शेष धनराशि, यदि कोई हो, डाक का व्यय कमीशन काटकर धनादेश द्वारा तुरन्त उस व्यक्ति को भेज दी जायेगी जिसके कब्जे से यह सम्पत्ति ली गयी थी। इस प्रकार ली गयी धनराशि को कोष में जमा कर दिया जायेगा, और साथ ही धनराशि के इस प्रकार जमा किए जाने का नोटिस उस व्यक्ति का दे दिया जायेगा तथा यदि नोटिस भेजे जाने के तारीख से एक वर्ष के भीतर जिला पंचायत के आवेदन पत्र देकर उक्त धनराशि की मांग की जाए अथवा उक्त नोटिस के भेजे जाने के तारीख से एक वर्ष के भीतर मांग न की जाए, तो ऐसी सम्पत्ति पंचायत में निहित हो जायेगी।

ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया

181. (क) यदि किसी बकायेदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति ग्राम्य क्षेत्र के भीतर न मिल सके तो जिला मजिस्ट्रेट जिला पंचायत के आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को अपना अधिपत्र जारी कर सकेगा।

(एक) मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य भाग में स्थित बकायेदार की किसी चल सम्पत्ति या सामान का अभिहरण तथा बिक्री, अथवा

(दो) उपधारा (क) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में वह अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किए गए अधिपत्र को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करवाएगा तथा वसूल की गयी धनराशि की अधिपत्र जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को भिजवाएगा जो कि उसे जिला पंचायत को भेज देगा।

(ख) धारा 105(घ) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस तथा धारा 105(छ) या 106(क) के अधीन किये गये अभिहरण का आदेशिका शुल्क तथा उक्त धाराओं के अधीन अभिग्रहीत किसी पशु के संधारण का व्यय, उन दरों से लिये जायेंगे जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित हों और उन्हें धारा 105(ड.) के अधीन उद्‌ग्राह्य वसूली के व्यय में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(ग) बिल, नोटिस, अभिहरण–अधिपत्त, सूची अथवा उससे सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में कोई त्रुटि या दोष या उसके ठीक आकार में न होने के कारण इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अभिहरण या विक्रय अवैध नहीं समझा जायेगा न उसे करने वाला व्यक्ति अनाधिकार प्रवेशक समझा जायेगा।

वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार

182. (1) अभिहरण और विक्रय की कार्यवाही करने के बदले अथवा मांगी गयी सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई अंश अभिहरण और विभाग द्वारा वसूल न कर सकने की दशा में, जिला पंचायत उस धनराशि के बकायेदार व्यक्ति के विरूद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगी।

(2) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के बकाए की दशा में जिला पंचायत बिल के अनुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त एतदर्थ बनाए गए नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए, उसे मालगुजारी के बकाए के रूप में वसूल कर सकती है।

भूमि के किराए की वसूली

183. यदि जिला पंचायत में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा जिला पंचायत को लगान या किराये के मध्य कोई धनराशि देय हो, तो जिला पंचायत एतदर्थ नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए ऐसे किसी बकाए को मालगुजारी के बकाए के रूप में वसूल कर सकेगी।

अन्य अचल सम्पत्ति के लिए लगान या किराये की वसूली

184. पंचायत में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि से भिन्न किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा जिला पंचायत को लगान या किराये के मध्य देय कोई बकाया बिल में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन

185. राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नियत प्राधिकारी को किसी निर्दिष्ट जिला पंचायत या जिला पंचायतों अथवा क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों या ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अपने में निहित किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रतिनिहित कर सकती है।

वृत्त– पुस्तिकाओं तथा कर–निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा

186. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की वृत्त–पुस्तिकाओं एवं कर–निर्धारण सूचियों का निरीक्षण किसी भी करदाता द्वारा एतदर्थ उपविधि द्वारा नियम शर्तों के अधीन निःशुल्क किया जा सकेगा।

पंचायतों के अभिलेखों की सिद्धि की रीति

187. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कब्जे में कोई रसीद, प्रार्थना पत्र, नक्शा, नोटिस आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिक पालक या एतदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा यथावत प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविशिट या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य यदि वह प्रस्तुत किया गया होगा, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राहय होगा।

पंचायतों के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने पर निबन्धन

188. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिमसें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तु पूर्वगामी धारा प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, अथवा उसमें अभिलिखित बहियों तथा व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक विशेष कारण से न्यायालय ने ऐसा आदेश न दिया हो।

सदस्यों द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्यों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण

189 ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य किसी दर्ज ऐसे निर्माण कार्य या संस्था का, जो यथास्थिति पूर्णतः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के व्यय से निर्मित या अनुरक्षित हो तथा प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष, की पूर्व स्वीकृति से यथास्थिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यालय के किसी रजिस्टर, पुस्तक लेखे या अन्य लेख्यों का निरीक्षण कर सकेगा।

देय धनराशियां

190. किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को देय समस्त धनराशियां चाहे वे किसी कर की मद में देय हो या किसी अन्य खाते में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी।

न्याय पंचायत की स्थापना

191. राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी जिले की ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में विभाजित कर यथासाध्य समान रूप से ग्राम पंचायतों के समूह के लिए इस निमित एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा;

परन्तु यह कि प्रत्येक क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र यथासंभव

भौगोलिक दृष्टि से संयत होंगे। राज्य सरकार विहित रीति से न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल आदि का निर्धारण करेगी;

परन्तु यह और कि राज्य का विधान मण्डल न्याय पंचायतों को ग्रामीण न्यायालय के रूप में विकसित करने के लिए जैसा उचित समझे, उपबन्ध कर सकेगी।

मानदेय और भत्ते

192. ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख एवं सदस्य तथा जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे मानदेय और भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा विहित किया जाय।

अधिभार

193. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान या उपप्रधान या सदस्य अथवा कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन संगठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य यथास्थित ग्राम पंचायत या अन्य समिति के धन या सम्पति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके ऐसा प्रधान, उपप्रधान, सदस्य अथवा कर्मचारी रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ हो।

(2) विहित प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार, जो नियत की जाये, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा एवं कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण–पत्र भेजेगा जो वह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूल करेगा।

(3) अधिभार की धनराशि नियत करने के विहित प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपीलीय प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये और आदेश के विरूद्व अपील कर सकेगा।

(4) जहाँ उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाये, वहा राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी देनदार व्यक्ति के विरूद्व ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

निरसन

194. (1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

कारण और उद्देश्य

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से सम्बन्धित मामलों के व्यवहरण के लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 लागू था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन उक्त दोनो अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय संशोधनों के साथ लागू है।

2. उक्त अधिनियमों के अधिनियमन के पश्चात् इन अधिनियमों से सम्बन्धित मामलों के लिये भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन करते हुए इन्हे सुदृढ़ किये जाने की ओर भगीरथ प्रयास किया गया है। इन संशोधनों के लिये फलस्वरूप पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाये जाने पर भी बल दिया गया है।

3. उत्तराखण्ड पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पंचायतों के सम्बद्ध में कई मामलों में संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बहुत अधिक विधियों के स्थान पर न्यूनतम विधियों को बनाये रखे जाने का परामर्श दिया है। पंचायत जैसे संवेदनशील मामले में न्यूनतम विधि का होना स्वयं में एक बहुत बढ़ी उपलब्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो कि उत्तराखण्ड में कतिपय संशोधनों के साथ यथावत् लागू है, को एक ही कानून के रूप में रखने की चुनौती स्वीकार किया है। फलतः ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से सम्बन्धित मामलों के व्यवहरण के लिये एक ही अधिनियम तैयार कर माननीय विधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रीतम सिंह,
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधायी/196–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।